मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा पंचम सत्र

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2015

(4 फाल्गुन, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 5] [अंक-4]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2015

(4 फाल्गुन, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है(विपक्ष की ओर इशारा करते हुए)

एक माननीय सदस्य-- आज तो विपक्ष पूरा खाली है.

राज्य मंत्री,संसदीय कार्य(श्री शरद जैन)-- खाली नहीं, नदारद है.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष जी, दयनीय स्थिति है.

गृह मंत्री(श्री बाबूलाल गौर)-- आज कोई आया ही नहीं दिखता.

प्रश्न संख्या 1 -- (अनुपस्थित)

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- माननीय अध्यक्ष महोदय, देवेन्द्र वर्मा जी नहीं आये, उनकी जगह मुझे इसके लिए बता के गये थे.

अध्यक्ष महोदय-- लिखकर के दिया है क्या?

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- हां, दिया है.

अध्यक्ष महोदय-- आपने उपलब्ध नहीं कराया.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- उन्होंने फैक्स से भिजवा दिया था.

अध्यक्ष महोदय-- हमारे पास तो नहीं आया.

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम

2. **(*क्र. 446) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विगत पाँच वर्षों में इंदौर जिले में महिलाओं पर हुए अपराधों (बलात्कार, चेन स्नेचिंग, छेड़खानी, मानव तस्कर, खुदकुशी) की संख्या बढी हैं ? विगत पाँच वर्षों में इंदौर जिले के थानेवार महिलाओं पर हुए अपराधों के पंजीयन की संख्या बतावें । (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इंदौर जिले में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) विगत पाँच वर्षो में पंजीबद्ध अपराधों की थानावार संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) महिलाओं पर घटित अपराधों को रोकने के लिये अगस्त 2012 में महिला सेल का गठन किया गया है । फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन किया जाकर महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है । एक जनवरी 2013 से राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन 1090 प्रारंभ की गई है, जिसमें महिला संबंधी शिकायत का निराकरण त्वरित किया जा रहा है । जिले में महिला थाना स्थापित किया गया है एवं महिला डेस्क प्रारंभ की गई है । घरेलु हिंसा पारिवारिक विघटन रोकने के लिये परामर्श केंद्र जिले में स्थापित है । इंदौर जिले में निर्भया पेट्रोलिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिससे निरंतर भ्रमण कर छेड़खानी करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करती है एवं कंट्रोल रूम एवं महिला हेल्प लाईन से प्राप्त सूचनाओं पर मौके पर पहुँचकर त्वरित निराकरण किया जाता है ।

श्री सुदर्शन गुप्ता-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्दौर बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला शहर है. बढ़ती आबादी व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र तथा शिक्षा और मेडीकल हब इन्दौर बनता जा रहा है और उसको देखते हुए

क्या इन्दौर जिले में पुलिस बल, पुलिस थाने और नय संसाधन बढ़ाये जाएंगे तथा इन्दौर की बिगड़ती ट्रेफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार कोई शीघ्र कदम उठायेगी क्या?

श्री बाबूलाल गौर-- अध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे.

श्री सुदर्शन गुप्ता-- माननीय अध्यक्ष महोदय,विचार नहीं करेंगे, आये दिन वहां पर ट्रेफिक जाम रहता है तेजी के साथ आबादी बढ़ती जा रही है, इन्दौर में एक व्यावसायिक केन्द्र है, औद्योगिक केन्द्र है और इस तरीके का जवाब दें जिससे भविष्य में उसमें कुछ सुधार हो सके.

श्री बाबूलाल गौर-- अध्यक्ष महोदय, इन्दौर जिले में 42 थाने हैं.माननीय सदस्य अपना प्रतिवेदन देंगे और आज जो उन्होंने विधानसभा में कहा है.

श्री सुदर्शन गुप्ता-- प्रस्तावित है. शासन के पास प्रस्ताव भेजा हुआ है उसको स्वीकृत कर दें.

श्री बाबूलाल गौर-- माननीय सदस्य मेरी बात तो सुन लें, किसी भी थाने को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के मंत्री जी से बजट का प्रावधान कराना पड़ता है. (XX)

श्री सुदर्शन गुप्ता-- अध्यक्ष महोदय, लगातार वहां पर ट्रेफिक की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और वहां पर आबादी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है. आये दिन दुर्घटना होती है.अपराध बढ़ते जाते हैं. (XX), यहां पर सीधा सीधा प्रशासन का मामला है.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

अध्यक्ष महोदय-- आप सुझाव दे दीजिए.

श्री सुदर्शन गुप्ता-- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि वहां पर थाने , पुलिस बल बढ़ाये, संसाधन बढ़ाये जाने की आवश्यकता है. मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें.

श्री बाबूलाल गौर-- आप मुझसे मिल लें और उसकी आवश्यकता बतायें तो विचार करके बढ़ा देंगे.

श्री सुदर्शन गुप्ता-- ठीक है. धन्यवाद.

बैढ़न उप जेल क्का जिला जेल में उन्नयन

3. (*क्र. 197) **श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली के अंतर्गत बैढ़न उप जेल को जिला जेल बनाये जाने हेतु शासन की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? (ख) क्या वर्तमान में उप जेल बैढ़न के अंतर्गत महिला बैरिक संचालित है ? यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब तक पूर्ण कराया जा सकेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृति दी जायेगी । (ख) जी नहीं । उप जेल बैढ़न की क्षमता 63 पुरूष एवं 07 महिला अर्थात् कुल 70 बंदियों को रखने की है, जिसके विरूद्ध दिनांक 06/02/2015 को 245 पुरूष बंदी जेल में परिरूद्ध हैं । पुरूष बंदियों की क्षमता बढ़ाने हेतु 04 बैरिकों की स्वीकृति जेल मुख्यालय के ज्ञापन क्रमांक 15305/भवन, दिनांक 07/10/2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्रदान की गई है । स्वीकृत बैरिकों का निर्माण होने पर पूर्व से निर्मित महिला बैरिक का उपयोग महिला बंदियों को रखने हेतु प्रारंभ कर दिया जावेगा । इस हेतु महिला प्रहरियों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

श्री राम लल्लू वैश्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट जरुर हूँ किन्तु आपके जवाब में आया है कि 2015-16 में स्वीकृति दी जाएगी, बहरहाल उपजेल को जिला जेल मैं चाहता हूँ कि आज ही सदन में घोषणा हो जाए,यही मैं जानना चाहता हूँ.

श्री बाबूलाल गौर-- माननीय सदस्य आपकी बात मंजूर कर ली है और अप्रेल के अन्दर यह जिला जेल घोषित हो हो जाएगी .

श्री राम लल्लू वैश्य-- धन्यवाद.

प्रश्न क्र. 4 (अनुपस्थित)

गंभीर अपराध में दोषसिद्ध पर कार्यवाही

5. **(*क्र. 566) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 51 (क्र. 576) दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में जवाब दिया गया है कि जांच के दौरान माननीय उच्च न्यायमा लय जबलपुर में दायर याचिका क्र. 13414/14 द्वारा भी अनूप शुक्ला विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य 8 में पारित आदेश दिनांक 12.09.14 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ? क्या आदेश माननीय उच्च न्यायमा लय द्वारा पारित किया है ? आदेश की एक प्रति दें । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के प्रश्न के खण्ड (ख) (ग) एवं (घ) में जब राज्य शासन विभिन्न अनियमितताओं को स्वीकार कर रहा है तो उक्त प्रकरण की जांच किस नाम/पदनाम के द्वारा प्रश्न तिथि तक की जा रही है, क्या समय सीमा उक्त जांच की तय की गई है ? (ग) क्या राज्य शासन उक्त हुये गंभीर अपराध की सूक्ष्मता से जांच नही कराना चाहता है ? अगर नहीं तो क्यों ? कारण दें । अगर कराना चाहता है तो कब तक जांच पूर्ण होगी ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के प्रश्न में किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये है ? उन पर राज्य शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) मा ननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2014 की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा द्वारा पूर्व जांच कमेटी की जांच निरस्त कर नये सिरे से पुनः जांच करने के आदेश दिये गये हैं । पुनः जांच पूर्ण हुये बगैर अनियमितताओं के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है । जांच विस्तृत एवं सूक्ष्म स्वरूप की है । अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार ।

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था उसमें अनियमितताओं के संबंध में शासन ने स्वयं स्वीकार किया है. मेरा अनुरोध यह है कि जब शासन स्वयं स्वीकार कर रहा है कि अनियमितता हुई है तो उसमें प्राथमिकी तो दर्ज की जाए, इसके उपरांत जांच बिठाई जाए.

श्री बाबूलाल गौर -- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर एक प्रिटीशन पेश की थी. हाई कोर्ट का निर्देश हुआ है कि जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो उस प्रकरण के अंदर शामिल हैं, इसलिए वह कमेटी निष्पक्ष नहीं है इसलिए हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उस कमेटी को निरस्त कर दिया गया है और रीवा संभाग के कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं और नई कमेटी बना दी गई है, उसमें उस सरकार के लोगों को नहीं रखा है और वे प्राथमिकता से जांच करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध यह है कि जब हाई कोर्ट का प्रकरण एक व्यक्ति के संबंध में है लेकिन जिस भी संबंधित अधिकारी ने यह गलतियां की हैं, जो कि उस समय वहां पोस्टेड थे और शासन भी यह मान रहा है कि अनियमितता हुई है, प्रथम दृष्टिया अनियमितता हुई है तो that should be an FIR recorded एक प्राथमिकी रिकार्ड की जाए और उसकी पुन: जांच करा ली जाए.

श्री बाबूलाल गौर -- अध्यक्ष महोदय, पहले कमेटी जांच करेगी, उसमें जब अनियमितता पाई जाएगी तभी तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब शासन यह मान रहा है कि अनियमितता हुई है तो.

अध्यक्ष महोदय -- आपकी बात का समाधान हो गया, जांच चल रही है उसकी और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए यह विषय तो आपको आ चुका है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- लेकिन प्राथमिकी का विषय नहीं आया.

अध्यक्ष महोदय -- आ गया, उन्होंने उत्तर दे दिया कि जब तक जांच नहीं हो पाएगी, तब तक कार्यवाही नहीं करेंगे.

परिशिष्ट – "एक"

मूर्ति एवं आम जन की समुचित सुरक्षा

6. **(*क्र. 1) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिला अंतर्गत-आनन्द गढ़ (उग्र तारा माता), गोविन्दगढ़ (पुजारी हत्या), इटमा (राधा कृष्ण मूर्ति), डभौरा (पुजारी हत्या एवं मूर्तिचोरी), चिन्मय आश्रम लक्ष्मणपुर (अष्टधातु की मूर्तियों र्क्की चोरी) के प्रकरण में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मूर्ति एवं आम जन की सुरक्षा के संबंध में वर्तमान में क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हाँ, तो समुचित सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत डकैतीग्रस्त क्षेत्रों में पूर्व में लगाई गई एस.एफ. की सुरक्षा फोर्स क्या वर्तमान में हटा ली गई है ? यदि हाँ, तो क्या पुन: उन स्थानों में सुरक्षा फोर्स लगायी जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी हहाँ , मूर्ति एवं आमजन की समुचित सुरक्षा हेतु समय-समय पर चैकिंग, गश्त, र्क्कॉ म्बिग गश्त आदि की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी नहीं।

श्री दिव्यराज सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में माननीय गृह मंत्री जी से पूछने की कोशिश की है कि रीवा जिले में कई मंदिरों में चोरियां हुई हैं और साथ-साथ पुजारियों का मर्डर भी हुआ है. इसमें कई चोरियों की जांच चल रही है कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और कुछ लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और अज्ञात रूप से अभी वह प्रकरण दर्ज है. इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि केवल रीवा जिला ही इस चीज से प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि रीवा के आसपास के लगे हुए जिलों सतना, सीधी, शहडोल इन जिलों में कई चोरियां मंदिरों में हो रही हैं. मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार की मंदिरों में मूर्तियां चोरी करने का जो एक गिरोह बन गया है और अच्छी तरह से इसकी जांच की जाए, या तो क्या इस मामले को सी.बी.आई. में भेजा जा सकता है ताकि और अच्छी तरह से जांच हो पाए ?

श्री बाबूलाल गौर -- माननीय अध्यक्ष महोदय, रीवा और सतना के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है और इसके अंदर ये सभी मंदिर निजी हैं, निजी मंदिरों में पुजारियों के अलावा कोई गार्ड नहीं रखा गया है. हमने अब व्यवस्था यह कर दी है कि जो एस.एफ. के जवान हैं, वे उसकी निगरानी करेंगे.

श्री दिव्यराज सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि चूँकि यह एक गिरोह के जैसे काम कर रहा है, कई मंदिरों में चोरी हो रही है, कई वेल्युएबल मूर्तियां चोरी हो जा रही हैं, तो सरकार इस ओर ध्यान दे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से मूर्तियां बेची जा रही हैं, तो इसको रोकने के लिए सी.बी.आई. को जांच दी जा सकती है, क्योंकि पूरे देश भर में ये मूर्तियां जा रही हैं.

श्री बाबूलाल गौर -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक कि चोर पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक कार्यवाही कैसे की जाएगी ?

श्री दिव्यराज सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जांच होगी तभी तो चोर पकड़े जाएंगे.

श्री बाबूलाल गौर -- जांच हो तभी तो एस.एफ. रखी है और उन सभी चोरियों के प्रकरण की जांच हो रही है.

श्री दिव्यराज सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि सी.बी.आई. जांच हो.

अध्यक्ष महोदय -- आपका विषय आ गया है.

प्रश्न क्र. 7 (अनुपस्थित)

प्रश्न क्र. 8 (अनुपस्थित)

भू-अभिलेख बंदोबस्त नक्शे एवं पटवारी नक्शे में अंतर

9. **(*क्र. 881) श्रीमती ममता मीना :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले की तहसील गुना के ग्राम कुशमौदा प.ह.नं. 59 के भू-अभिलेख बंदोबस्त नक्शा एवं वर्तमान में पटवारी ग्राम नक्शा में क्या-क्या अंतर है ? (ख) क्या ग्राम कुसमौदा का मूल बंदोबस्त नक्शा रिकार्ड में मौजूद है ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही हुई ? (ग) क्या तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने मूल नक्शा एवं वर्तमान पटवारी नक्शा ग्राम कुशमौदा को दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार गुना को दिया है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई ? (घ) यदि ग्राम कुसमौदा के मूल नक्शे अनुसार, पटवारी ग्राम के नक्शे में कोई दुरूस्ती नहीं की तो कब तक होगी ? यदि कोई त्रुटि है तो आमजनों को सुविधा अनुसार मूल नक्शे की प्रतियां कब तक उपलब्ध होंगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) ग्राम कुशमौदा के बंदोबस्त नक्शा सन् 1957 सम्वत् 2014 में व वर्तमान पटवारी चालू नक्शा में कोई अंतर नहीं है। (ख) ग्राम कुशमौदा का मूल बंदोबस्त नक्शा रिकार्ड में मौजूद है। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता। (ग) तत्कालीन कलेक्टर द्वारा मूल नक्शा एवं वर्तमान पटवारी नक्शा ग्राम कुशमौदा का नवीनीकरण करने का आदेश दिया गया है। दुरूस्ती संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया। (घ) मूल नक्शा अनुसार पटवारी ग्राम के नक्शा में दुरूस्ती प्रस्तावित नहीं है, बल्कि बंदोबस्ती नक्शा से नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है। बंदोबस्ती नक्शा कार्यालय में उपलब्ध है, आम जन चाहे तो प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

श्रीमती ममता मीना - अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि भू-अभिलेख बंदोबस्त नक्शा एवं पटवारी के नक्शे में क्या अंतर है, इस पर माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि प्रश्न उद्भूत नहीं होता. यह हलका नं. 77 है, इसमें नक्शे और बंदोबस्त में पूरी तरह से भिन्नता है. माननीय मंत्री जी ने भी जो जवाब दिया है वह सही नहीं दिया है. अध्यक्ष महोदय,

अगर आपका आदेश हो तो प्रश्न में मैंने जिस डिप्टी कलेक्टर के पत्र का उल्लेख किया है, अगर आपकी अनुमति हो तो इस पत्र को मैं पटल पर रख दूं?

अध्यक्ष महोदय - नहीं, पहले आप इस प्रश्न का उत्तर ले लें.

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, नवीनीकरण का बंदोबस्ती नक्शा उपलब्ध है. माननीय विधायक जी ने जो सुधार के कार्य का कहा है तो एक माह में उसको दुरुस्थ करा दिया जाएगा.

श्रीमती ममता मीना - अध्यक्ष महोदय, एक माह में माननीय मंत्री जी इसमें सुधार करवा लेंगे तो यह बहुत अच्छी बात होगी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, आज सभी अखबारो में...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आप प्रश्नकाल होने दें. तिवारी जी कृपया बैठ जाइए.

श्री उमाशंकर गुप्ता - प्रश्नोत्तर तो होने दें.

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - पहले प्रश्नकाल हो जाने दें. यह महत्वपूर्ण है. आप रोज प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं. यह उचित बात नहीं है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - बाधित नहीं कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - नहीं, आप बाधित कर रहे हैं, यह उचित नहीं है. दूसरे माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (XXX)

अध्यक्ष महोदय - जो तिवारी जी बोल रहे हैं वह कार्यवाही में कुछ भी नहीं आएगा. आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं आ रही है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (XXX)

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता है और आसंदी ने आदेश दिया कि प्रश्नकाल हो जाने दें, यह भी स्पष्ट करा दें कि प्रश्नकाल के बाद सरकार क्या स्पष्टीकरण देगी?

अध्यक्ष महोदय - अभी प्रश्नकाल होने दें और जो कार्य चल रहा है इसके बाद की बात बाद में देखेंगे.

(XXX) आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (XXX)

श्री उमाशंकर गुप्ता - यह कोई तरीका है क्या?

श्री के.के. श्रीवास्तव - प्रश्नकाल होने दीजिए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (XXX)

अध्यक्ष महोदय - श्री तिवारी जी जो कुछ बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जाएगा. आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं आ रही है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (XXX)

अध्यक्ष महोदय - इस तरह से आप कार्यवाही को बाधित नहीं कर सकते हैं. यह सर्वधा अनुचित है. आप प्रश्नकाल चलने दें. यह उचित नहीं है. मामला न्यायालय में है.

श्री के.के. श्रीवास्तव - अध्यक्ष महोदय, बार-बार सदन की कार्यवाही में विघ्न डालकर तिवारी जी पूरा समय बर्बाद कर देते हैं.

अध्यक्ष महोदय - आप कृपया बैठ जाएं. मामला न्यायालय में है. यह उचित नहीं है. आप सदन की कार्यवाही चलने दें. प्रश्नकाल चलने दें. माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मेरा अनुरोध है कि वे उनको समझाएं. प्रश्नकाल होने दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (XXX)

अध्यक्ष महोदय - आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं आ रही है. आपके कहने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है. कृपा करके तिवारी जी बैठ जाएं, मेरा आपसे अनुरोध है. सदन की कार्यवाही चलने दें. आप रोज कार्यवाही इस तरह से बाधित करते हैं, यह उचित नहीं है.

(XXX) आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया.

विस्थापित पट्टाधारियों कको बेदखल किया जाना

10. **(*क्र. 945) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1987 में शासन के सिंचाई विभाग ने कलियासोत बांध के निर्माण के समय पूर्व वार्ड क्र. 56 के ग्राम चंदनपुरा एवं छावनी ग्रामों के 183 परिवारों को केवल मकान का मुआवजा प्रदान करते हुए भूमि के बदले भूमि सर्वसुविधायुक्त विस्थापित कर तत्कालीन नगर निगम वार्ड क्र. 52 शाहपुरा स्थित खसरा नं. 89 पर एक वर्ष के अस्थाई पट्टें (1000 वर्गफीट के भूखण्ड सहित) उपरांत स्थाई पट्टे निष्पादित कर बसाया गया था । इसका क्या आधार हैं ? इसके पश्चात् भी प्रमुख सचिव, राजस्व के पत्र क्र एफ-6-37/2012/सात/नजूल दि. 04.02.2014 के अनुसार श्री हुकुमचंद व अन्य 05 (याचिका क्र. 15/2012) एवं श्री शंकरलाल व अन्य 141 (याचिका क्र. 16164/2012) इन्हें अतिक्रमणकारी बताकर बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही हैं, क्यों ? इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों एवं शासनादेशों की प्रतियां उपलब्ध करावें । (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त रहवासियों को निवासरत् शाहपुरा स्थित भूमि को भोपाल नगर निगम

सीमा अंतर्गत मान्य करते हुए समस्त विकास कार्य क्यों किये गये ? यदि किये गये तो इस खसरे को रहवासी कालोनी में नामांतरित क्यों नहीं किया जा सकता ? कारण स्पष्ट देवें। (ग) 27-28 वर्षो से स्थापित इस कालोनी को वैध करने संबंधी शासन/विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ? स्पष्ट जानकारी देवें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी को पत्र क्र. 250, दिनांक 02.08.2014 जारी करने के उपरांत भी स्थाई पट्टे जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है और कार्यवाही न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जवाबदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां। एक वर्ष के अस्थाई पट्टे पर भूमि दी गई थी। अस्थाई पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात अस्थाई पट्टाधारी अतिक्रमण श्रेणी का है। जी हां, अभ्यावेदकों के मकान विक्रय-पत्र के माध्यम से क्रय किए गए हैं, जिसमें इन्हें मकान का प्रतिफल दिया जा चुका है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि मकान का प्रतिफल देते समय मकान के नीचे के भू-खंड को क्रय नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें तात्कालिक व्यवस्था के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी पट्टे अवश्य दिए गये थे। ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहा है कि इन अस्थायी पट्टों को स्थायी पट्टे के रूप में परिवर्तित किए जाने का कभी कोई आश्वासन दिया गया हो। इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों से यही परिणाम निकलता है कि सभी अस्थायी पट्टों के आधार पर काबिज अभ्यावेदक अतिक्रामक की श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकार की इनके लिए ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं है कि इन्हें स्थायी किया जाए। **जानकारी पुस्तकालय में में रखे परिशिष्ट अनुसार** (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां. मुख्यमंत्री कार्यालय से परीक्षण करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं.

श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह - अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कलियासोत बांध के डूब के समय वहां से करीब 183 लोगों को विस्थापित किया गया था और भोपाल के शाहपुरा गांव में बसाया गया था. उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी. साथ ही उनको एक साल का पट्टा भी दिया गया था. बाद में उनको स्थायी पट्टा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन शासन ने स्थायी पट्टा देने की बजाय आज करीब 30 साल बाद उनको बेदखली का नोटिस दिया है. क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है? साथ ही साथ मैं यह मांग करता हूं कि उनको स्थायी पट्टा दिया जाय.

श्री रामपाल सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1987 का यह मामला है और वास्तव में एक साल का पट्टा देकर उनको बसाया गया था. माननीय विधायक जी ने इसके लिए निरंतर मुझे भी पत्र लिखे हैं कि इनको स्थायी पट्टे दिये जायें, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपने पत्र लिखे हैं. पट्टे दिये जाने की मांग विधायक जी ने की है. मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जो लोग वर्षों से काबिज हैं उनको संरक्षण दिया जाय और पट्टे देने संबंधी कार्यवाही भी की जाय. निश्चित रूप से मैं माननीय विधायक जी की बात से सहमत हूं जिले से रिपोर्ट बुलाकर पट्टे देने संबंधी कार्यवाही तुरंत की जायेगी.

श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह -- मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं.

थाना प्रभारी पलेरा के विरूद्ध शिकायत की जाँच

11. (*क्र. 338) **श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि दिनांक 09/12/14 को आवेदक रज्जू s/o हरिदयाल यादव निवासी ग्राम मड़री थाना पलेरा में चोरी की रिर्पोट दर्ज करने गया था और उसका आवेदन पत्र टी.आई. पलेरा द्वारा नहीं लिया तथा आवेदक को मुजरिम बनाकर थाने में बंद करके निर्मम पिटाई की ? (ख) क्या यह भी सच है कि आवेदक ने दिनांक 11/12/14 को पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिसका मेडीकल परीक्षण भोपाल एवं ग्वालियर में हुआ ? टी.आई. के

खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ग) क्या यह भी सच है कि आवेदक रज्जू के भाई रमेश s/o सुखदीन यादव पर पुन: टी.आई. पलेरा द्वारा बिजली कका सामान जब्त कर एफ.आई.आर. काट दी जबकि बिजली का ठेकेदार लिखित में पत्र दे रहा है कि उक्त बिजली का सामान मैंं ने इसके घर पर रख दिया था फिर भी टी.आई. पलेरा चोरी का मुकदमा बनाकर दबाव बनाते रहे कि एस.पी. टीकमगढ़ को दिये गये आवेदन को वापिस ले लो ? (घ) क्या यह भी सही है कि जब आवेदन पत्र आवेदक रज्जू द्वारा वापिस नही लिया तो 21/1/15 को आवेदक की मॉ लाड़कुंवर की बेरहमी से पिटाई कर दी ? इस प्रकार का कृत्य करने वाले टी.आई. पलेरा को थाना, पलेरा से कब हटा देंगे समयावधि बताये एवं क्या उक्त मामलों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराकर टी.आई. पलेरा को (सस्पेंड) की कार्यवाही कब तक करेंगे ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) :

(क) यह सही नहीं है कि, टी0आई0 पलेरा द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र नहीं लिया गया एवं यह भी सही नहीं है कि, आवेदक को थाने में बंद किया गया। आवेदक की मारपीट के आरोप पर थाना प्रभारी पलेरा श्री रामेश्वर दयाल आष्ट्या के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॉच की जा रही है।

(ख) जी हॉ । इस संबंध में पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ द्वारा थाना प्रभारी पलेरा को थाने से हटाकर पुलिस लाईन अटैच किया जाकर आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॉच की जा रही है।

(ग) दिनांक 24.12.2014 को आवेदक रज्जू यादव के चचेरे भाइ रमेश यादव पिता सुखदीन यादव के घर से विद्युत तार कीमती एक लाख पॉच हजार की चोरी के संदेह में थाना प्रभारी द्वारा जप्त किया गया, थाना पलेरा में अपराध कमांक 305/14 धारा 379 भा.द.वि. 41(1) डी 102, जाफ्ता फौजदारी एवं 136 विद्युत अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

(घ) यह सही नहीं है, कि आवेदक की मॉ श्रीमती लाडकुॅवर की बेरहमी से पिटाई की गई। थाना प्रभारी पलेरा के विरूद्ध शिकायत पर पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ द्वारा लाईन अटैच किया जाकर विभागीय जॉच की जा रही है। दोषी पाये जाने पर विधिसंम्मत कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर -- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पलेरा टीआई के द्वारा आवेदक रज्जू की बेरहमी से पिटाई की लेकिन उसकी

मां लाड़कुआं थाने पर गई तो पलेरा टीआई ने निर्दोष महिला को बेरहमी से पीटा. माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ऐसे टीआई को निलंबित करें जिससे निर्दोष महिलाओं पर मारपीट न हो सके. मैं भी एक महिला विधायक हूं और मेरे ही विधान सभा क्षेत्र का मामलाहै. पलेरा टीआई के निलंबन की कार्यवाही करें.

क्षश्री बाबूलाल गौर-- माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्या का आरोप सही है और टीआई को आज निलंबित किया जाता है. डीआईजी के द्वारा पूरे प्रकरण की कार्यवाही की जायेगी.

श्री शैलेन्द्र जैन --अध्यक्ष महोदय आज तो बहुत गजब हो गया.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- माननीय अध्यक्ष महोदय प्रदेश के गृहमंत्री जी बैठे हैं..(व्यवधान)..

आत्महत्याओं की रोकथाम हेतु उपाय

12. **(*क्र. 735) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 226 दि. 08.12.14 के उत्तर में दिनांक 01 जनवरी 14 से 31.05.14 तक प्रदेश में कुल 3302 आत्महत्यायें जिसमें से 707 कृषक तथा कृषि मजदूर एवं दिनांक 01 जुलाई से 10 नवम्बर तक कुल 2998 आत्महत्यायें होने जिसमें 687 कृषक एवं कृषक मजदूर की जानकारी दी गई थी ? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में दिनांक 11 नवम्बर 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश के किस-किस जिले में कितनी-कितनी आत्महत्यायें, आत्महत्या के प्रयास एवं पुलिस निरोध में मृत्यु की घटनाऐं घटित हुईं ? जिलेवार योग सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) की घटनाओं के क्या-क्या कारण रहे एवं आत्महत्या के मामले में आत्महत्या करने वालों का व्यवसाय क्या था ? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार आत्महत्या करने वाले लोगों में से कितने कृषक व कृषि मजदूर थे ? कृपया नाम व पते सहित बतावें। प्रदेश में बढ़ रही आत्महत्याओं (विशेषकर कृषक वर्ग में) को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ग) आत्म हत्या करने वाले व्यक्तियों में मुख्यतः गृहणी, मजदूर, कृषक, कृषि मजदूर एवं छात्र हैं। मृतकों द्वारा गृह कलह, दहेज प्रताड़ना, अधिक शराब पीने से, प्रेम प्रसंग के कारण आत्म हत्या करना मुख्य रूप से पाया गया है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" "स" एवं "द" अनुसार है।**

श्री रामनिवास रावत -- गौर जी उनका भी निवेदन करके अगर स्पष्ट कर देंगे तो आप जल्दी से उधर पहुचेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से प्रदेश में हो रही आत्महत्याओं के बारे में पूछा था . मैं इस बारे में लगातार प्रश्न पूछता रहा हूं इन प्रश्नो के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है. प्रदेश में प्रतिदिन 22 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, प्रदेश में प्रतिदिन 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह आपके लिए हमारे लिए सदन के लिए और सरकार के लिए चिंता की बात है. मैंने यह भी पूछा है माननीय मंत्री जी से कि कृषकों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किये गये हैं. आपने एक फोल्डर दे दिया है जो किसान कल्याण विभाग में कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं कि हम जीरो प्रतिशत पर ब्याज दे रहे हैं. कृषक जीवन कल्याण योजना चला रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी प्रदेश में लगातार किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है इनको रोकने के लिए विशेष कोई कार्यक्रम बनाकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान आत्महत्या नकरें और दूसरा जितने भी किसानों ने इस वर्ष आत्महत्या की है करीब 1662 किसानों ने आत्महत्या की है तो इन किसानों के परिवारों को आत्मसंबल प्रदान करने के लिए कोई सहायता प्रदान की है.

श्री बाबूलाल गौर -- अध्यक्ष महोदय यह सही है और सारी जानकारी हमने परिशिष्ट में दी है कि इस जिले में किन किन व्यक्तियों के द्वारा जिसमें मुख्यत: गृहिणी, मजदूर, कृषक, कषि मजदूर एवं छात्र हैं. मृतकों के द्वारा गृह कलह , दहेज प्रताड़ना, अधिक शराब पीने से, प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्याएं की गई हैं.

श्री रामनिवास रावत -- आप किसानों की पीड़ा को जरा दिल से समझ लें. आत्मा से समझ लें, आप मुझे समझा दें मैं तो समझता रहूंगा.

श्री बाबूलाल गौर -- अभी मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है. आप बैठ जायें या मैं बैठ जाऊं. आप अनुमति दें तो मैं बोलूं

श्री रामनिवास रावत--(बैठे बैठे हंसते हुये चलिये बोलिये)

श्री बाबूलाल गौर -- इसमें हंसने की बात नहीं है समझने की बात है. अध्यक्ष महोदय, हमने इसका आंकलन किया है इसमें 108 कृषक हैं और 160 कृषि मजदूर हैं. अब इसमें विभिन्न कारण हैं पारिवारिक कलह है, घर ग्रहस्थी के आपसी विवाद हैं, कहीं किसी की बेटी भाग गई है, कहीं किसी मोहल्ले के अंदर खेती का झगड़ा है , इस प्रकार अनेक कारण है जिसके कारण आत्महत्यायें की हैं. हम योगा केन्द्र खोल रहे हैं जहां पर कि लोगों को शक्ति प्रदान की जायेगी.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आत्महत्या का कारण गिना दिये. मैं यह कह रहा हूं कि यह आत्महत्यायें, कर्ज के कारण, खेती बिगड़ने के कारण, कर्ज में डूब जाने के कारण लोग आत्महत्यायें कर रहे हैं. क्या आपकी बात और मेरी बात का परीक्षण कराने के लिये आप विधानसभा के सदस्यों की समिति बनाकर के जांच करा लें, और प्रदेश में सर्वे करा लें, प्रदेश का किसान आत्महत्यायें न करे इसके लिये एक कार्यक्रम करा लें.

श्री बाबूलाल गौर -- माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे ज्यादा हमें कृषकों की चिंता है.

श्री रामनिवास रावत-- नहीं है . बिल्कुल चिंता नहीं है.

श्री बाबूलाल गौर-- चिंता है अब आप बैठें तो मैं बोलूं. नहीं तो मैं बैठ जाता हूं.

श्री रामनिवास रावत- बोलिया आप बोलिये.

श्री बाबूलाल गौर-- बैठें तो. जरा सुन तो लीजिये.

श्री रामनिवास रावत-- सुनाईये.

श्री बाबूलाल गौर-- पहले बैठिये तो सही.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- कांग्रेस कहां बैठे जगह ही नहीं बची है.

श्री बाबूलाल गौर-- इतनी तीव्रता नहीं होनी चाहिये. आप वरिष्ठ सदस्य हैं.

श्री रामनिवास रावत--यह तीव्रता किसानो की आत्महत्या के कारण है. मुझे तीव्रता नहीं है लेकिन प्रदेश के किसान आत्म हत्या कर रहे हैं, उनकी पीड़ा है. उनके छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर के आत्महत्या करते हैं उनकी क्या पीड़ा होती है , क्या स्थिति होती है कभी इसके बारे में विचार करें.

श्री बाबूलाल गौर-- अब आप सुनेंगे तो मैं बोलूं. नहीं तो फिर आप खड़े हो जायेंगे. अध्यक्ष महोदय यदि आपकी अनुमति हो तो माननीय सदस्य से कह दें कि मेरे उत्तर को पूरा सुने. आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है.

एक माननीय सदस्य- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ मंत्री जी समय बर्बाद न करें.

श्री बाबूलाल गौर-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें किसानों की चिंता है . और किसानों के लिये इस सरकार ने जितना काम किया है आज तक आपकी सरकार ने कभी काम नहीं किया है. (सत्ता पक्ष द्वारा मैजों की थपथपाहट) और इसलिये मैं बताना चाहता हूं..

श्री रामनिवास रावत-- किसानों की मौतों पर टेवल तो मत थपथपाओ भैया.

श्री बाबूलाल गौर-- यह फिर खड़े हो गये.

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके उत्तर ले लें. माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- आपकी सरकार ने क्या किया है किसानों के लिये.

श्री रामनिवास रावत--हां किया था.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- तभी कोने में बैठे हो. पंचायत चुनाव में भी पूरे प्रदेश में बैंड बज गया .

अध्यक्ष महोदय-- आप उत्तर तो ले लें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- इसी कारण से पूरे प्रदेश से गायब हो गये .

श्री रामनिवास रावत-- किसानों की आत्महत्या पर टेबल तो नहीं थपथपा रहे हैं. कांग्रेस की सरकार में किसान जेल नहीं जाते थे, आत्महत्यायें नहीं करते थे.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया सभी सदस्य बैठ जायें. रावत जी आप बैठ जाईये.

श्री राम निवास रावत--किसानों को आत्महत्या करने के लिये आपने मजबूर किया है. कितने किसान बिजली के बिल के कारण जेल में गये हैं.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न का उत्तर तो गंभीरता से ले लें.

श्री प्रदीप अग्रवाल -- अध्यक्ष महोदय, फील्ड में जाकर के काम करे नहीं तो 2018 में इतने भी सदन में नहीं दिखेंगे.

श्री बाबूलाल गौर -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रावत जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा दिल थाम कर मेरी बात सुनें. थोड़ी देर के लिये दिल थाम लें. बार बार खड़े न हों. शिवराज सिंह जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों के लिये किया है वह देश की किसी भी सरकार ने नहीं किया है .

श्री राम निवास रावत- जेल भेजा, आत्महत्या करने के लिये मजबूर किया..

श्री बाबूलाल गौर-- सुन तो लो एक बार. कांग्रेस के जमाने में 15-16% की ब्याज दर से किसानों को ऋण दिया जाता था, जो क्रमश: कम करते करते भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों को अब शून्य प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. आपने कराया कभी ..

श्री सुंदरलाल तिवारी-- यह सरासर असत्य है, जीरो प्रतिशत ब्याज पर कोई ऋण किसानों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. एक भी किसानों को नहीं मिला है. फर्जी आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं.93 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया था यूपीए की सरकार ने .

..(व्यवधान)..

श्री बाबूलाल गौर -- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अंशदान योजनाओं के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को टापअप अनुदान दिया जा रहा है. ..(व्यवधान).. राष्ट्रीय कृषि बीमा के तहत वर्ष 2013 की खरीफ फसल में हुए नुकसान के संबंध में कुल 14 लाख 20 हजार किसानों को 2181.00 करोड़ बीमा राशि का भुगतान किया गया है.

श्री रामनिवास रावत -- यह आपके उत्तर में आ गया है.

श्री बाबूलाल गौर -- यह किसने किया है. इसीलिये तो हम जीतते हैं और आप हारते हैं. मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये, दुर्घटना में स्थायी अपंगता के लिये 25 हजार रुपये, आंशिक अपंगता के लिये 7500 रुपये, अंत्येष्टि अनुदान 2000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है. वर्ष 2013-14 के लिये 366.00 लाख रुपये की सहायता हितग्राहियों को दी गयी है. ..(व्यवधान).. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसल के लिये वर्ष 2013-2014 में कुल 1095 करोड़ रुपये की राशि प्रभावित कृषकों को बांटी गई है.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय -- आप भाषण दे रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत -- मैं भाषण नहीं दे रहा हूं. भाषण ऊधर से आ रहा है.

अध्यक्ष महोदय -- दोनों तरफ से वही हो रहा है.

श्री रामनिवास रावत -- जो लिखा हुआ है, जो उत्तर दे चुके हैं, उसी को पढ़ रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- आप पाइंटेड प्रश्न पूछिये.

श्री रामनिवास रावत -- मेरा पाइंटेड प्रश्न है.

श्री सत्यप्रकाश सखवार -- अध्यक्ष महोदय, अम्बाह विधान सभा में आज तक एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया. पानी वहां नहीं मिल रहा है. बिजली वहां नहीं मिल रही है. किसान पूरी तरह से तबाह है. खाद की पूरी तरह से काला बाजारी हो गयी.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है. क्या इन मृतकों को जिन किसानों ने आत्म हत्या की है, क्या किसी एक को सहायता सरकार ने प्रदान की है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न संख्या-13. श्री विश्वास सारंग.

श्री रामनिवास रावत -- मेरा एक प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, आप पाइंटेड प्रश्न पूछते नहीं, भाषण देते हैं.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, क्या मैंने भाषण दिया है. मैंने कोई भाषण नहीं दिया है.

अध्यक्ष महोदय -- अच्छा आप पाइंटेड एक प्रश्न पूछ लीजिये.

श्री रामनिवास रावत -- जो किसान पिछले एक वर्ष में जिन 1662 किसानों ने आत्महत्या की है. इन किसान के किसी एक परिवार को सहायता शासन ने दी हो तो नाम बता दें.

श्री बाबूलाल गौर -- अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से बताना चाहता हूं. (श्री रामनिवास रावत के खड़े होने पर) विस्तार से सुनिये आप.

श्री रामनिवास रावत -- मैं उत्तर चाह रहा हूं, भाषण नहीं.

श्री उमाशंकर गुप्ता -- अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री जी को डॉयरेक्ट करेंगे क्या.

श्री बाबूलाल गौर -- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये, दुर्घटना में स्थायी अपंगता के लिये 25 हजार रुपये, आंशिक अपंगता के लिये 7500 रुपये, अंत्येष्टी अनुदान 2000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है. ..

श्री रामनिवास रावत -- मैं उत्तर चाह रहा हूं, भाषण नहीं.

अध्यक्ष महोदय -- अब आप उत्तर तो सुन लीजिये.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ चुका है. मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है. उसके किसी एक परिवार को शासन ने सहायता दी है क्या.

अध्यक्ष महोदय -- वे उत्तर दे रहे हैं ना. आप उत्तर तो सुन लें.

श्री रामनिवास रावत -- मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर तो आये.

श्री बाबूलाल गौर -- कृपया बैठो तो बंधू.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- रावत जी कैसी भाषा में उत्तर चाह रहे हैं आप.

श्री रामनिवास रावत -- आप अपनी आत्मा से कह दो, अपने दिल पर हाथ रखकर कह दो कि आप खुश हो रहे हो.

श्री विश्वास सारंग -- आत्मा से कोई नहीं कहता. मुंह से कहना पड़ता है.

श्री रामनिवास रावत -- तो आप भी दुखी हो ना.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- पूरा प्रदेश का किसान खुश है. ब्याज जीरो, शिवराज हीरो.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न संख्या-13. कृपया सहयोग करें. दूसरे प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं.

10.58 बजे **बहिर्गमन**

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है और जिन किसानों ने आत्महत्या की है, सरकार उनके परिवार को कोई सहायता नहीं दे रही हैं. मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं. इसलिये मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़े हुए सवाल पर इनका एक उत्तर आ जाता तो किसानों के ही हित में था. आपसे हम यह अपेक्षा करते हैं.

अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति देंगे, तो हम बहिर्गमन करते हैं. हम सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

10.59 बजे **तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)**

प्रमुख स्थल पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम

13. **(*क्र. 1474) श्री विश्वास सारंग :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल शहर के दस प्रमुख स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण की जानकारी देते हुए बताएं कि उक्त स्थानों पर मानक स्तर से कितना ज्यादा इकाई/मात्रा में ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत भोपाल में निर्धारित मात्रा में ज्यादा ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने के क्या-क्या प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत भोपाल में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रश्न दिनांक तक किन-किन पर कब-कब, क्या-क्या कार्रवाई हुई ? (घ) क्या ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए डीजे और लाउडस्पीकर पर सख्ती से रोक लगायी जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार**। (ख) प्रदेश में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 प्रभावशील है, जिसके तहत कार्यवाही की जाती है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है**। (घ) ध्वनि प्रदूषण रोके जाने के लिये उक्त अधिनियम के तहत समय-सीमा पर कार्यवाही की जाती है।

श्री विश्वास सारंग -- अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न में जवाब आया है, उससे मैं संतुष्ट हूं.

श्री बाबूलाल गौर -- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विश्वास सारंग जी को धन्यवाद देता हूं कि वे उत्तर से संतुष्ट हैं.

श्री विश्वास सारंग -- मैं तो आपसे हूं ही संतुष्ट साहब.

राजस्व भूमि पर कब्जाधिकारियों को पट्टा वितरण

14. (*क्र. 1127) **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय का यह आदेश है कि विगत 10 वर्षों से जो शासकीय भूमि में मकान बनाकर निवास कर रहे है या कब्जा किये हैं , उन्हें भूमिस्वामी पट्टा दिया जाये ? (ख) सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र रेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में ऐसे कितने कब्जाधारी है, जिनको आवेदन करने के बावजूद भी पट्टा नहीं दिया गया है ? ग्रामवार जानकारी देवें । (ग) शासन द्वारा जिन शासकीय आराजियों में गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिये इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है, क्या उन कॉलोनियों में आवासों के पट्टे हितग्राहियों को दिये जायेंगे ? यदि हाँ, तो बतायें ।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) तहसील रघुराजनगर एवं नागौद अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रैगांव में आने वाले ग्रामों में ऐसे कोई कब्जाधारी नहीं है, जिनके आवेदन करने के बावजूद भी पट्टा नहीं दिया गया है । (ग) शासकीय आराजियों को गरीबों को, आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जाता है । ऐसे हितग्राहियों द्वारा आवेदन करने पर पट्टे दिये जावेंगे ।

श्रीमती ऊषा चौधरी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न था कि रैगांव विधान सभा में अनुसूचित जाति, जनजाति की बस्तियां जो बसी हैं, उसमें आज तक कोई भी पट्टा प्रदान नहीं किया गया. लेकिन मंत्री जी ने सीधे जवाब में दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने गांव का नाम पूछा है. मैं बताना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत गिंजारा की शहरा बस्ती में पचासों सालों से अनुसूचित जाति की बस्ती बसी हुई है, उनका पट्टा आज तक नहीं मिला. ग्राम पंचायत शिवराजपुर में अनुसूचित जाति की बस्ती बसी हुई है, उनका पट्टा भी आज तक नहीं मिला है. ऐसे अनेकों गांव हैं कल्पा, मढ़ई और सिंगपुर के पुरवा में जहां का पट्टा आज तक गरीबों को नहीं मिला है, वहां के भूमाफिया के जो दबंग लोग हैं, उनके परेशान करते रहते हैं समय समय पर उनकी जमीनों को दलालों के माध्यम से बेच भी देते हैं और उन्हें बड़ी तकलीफ है.

श्री रामपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय विधायक जी ने मांगी थी, वह हमने दे दी है जैसे जतारा, शिवराजपुर इन गांवों में अगर पट्टे नहीं मिले हैं, तो विधिवत आप आवेदन करवा दें, उसमें हमें परीक्षण करना पड़ता है कि आबादी की भूमि है. कई जगह रास्ते पर शासकीय ऐसी जगहों पर बना लेते हैं, वहां थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन आप आवेदन करायें, तो निश्चित रूप से उनको पट्टे देने की कार्यवाही करवायेंगे.

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय मंत्री जी से मैं बताना चाहती हूं कि ग्राम सुहावल में, खमरिया में इनके आवेदन कम से कम 10 बार किये गये हैं, ग्रामीणों ने ट्रेक्टर भर भर कर कलेक्टर के यहां गये हैं और आवेदन दिये हैं और ग्राम खमरिया में तो आज तक वहां का नक्शा ही नहीं है, वह नक्शा ही गायब है.

अध्यक्ष महोदय--आप जानकारी उपलब्ध करा दें, वह कार्यवाही करेंगे.

श्रीमती ऊषा चौधरी--कैसे जानकारी उपलब्ध करा दें, जब मैं बता रही हूं कि वहां कम से कम 10-10 बार आवेदन दिये गये हैं.

श्री रामपाल सिंह--अभी जो कलेक्टर से जानकारी आई है, उसमें लिखा है कोई आवेदन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के कोई आवेदन हैं तो हम उसकी जांच करायेंगे और गरीबों को सुविधा देने की जो सोच है, उसको हम पूरा करेंगे.

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय मंत्री जी, वहां पर गरीबों के लिये आप जो जवाब दे रहे हैं, देश की आजादी के 67 साल बाद भी आजतक गरीब बसा ही नहीं, उनके परिवार नहीं बढ़े.

अध्यक्ष महोदय--वह दे रहे हैं ना, देने के लिये राजी हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी--मतलब देश में आज तक गरीबों के लिये अधिकार ही नहीं हैं.

अध्यक्ष महोदय--बस, आपका प्रश्न आ गया है और उत्तर भी आ गया है, वह देने के लिये तैयार हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी--देश की आजादी के 67 साल बाद भी वहां गरीबों को आज तक बसाया ही नहीं गया है.

अध्यक्ष महोदय--अब हो गया आपका प्रश्न, कृपया, आप बैठ जायें. प्रश्न संख्या 15..

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठने के लिये चुप करा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब है ही नहीं.

अध्यक्ष महोदय--आ गया है ना जवाब, वह कह रहे हैं आप आवेदन करवाइये, वह उसका परीक्षण करवा के कर देंगे.

श्रीमती ऊषा चौधरी--जब सदन चलता है, जवाब आ जाते हैं, पर आज तक गरीबों के लिये कुछ नहीं होता है. सदन में कही हुई कार्यवाही पर कुछ नहीं होता.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया आप बैठ जाइये. प्रश्न संख्या 15..

हैंडपंपों का सुधार एवं नल-जल प्रदाय योजना

15. **(*क्र. 1131) श्री लखन पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में विकासखंड पथरिया एवं बटियागढ़ में प्रत्येक ग्राम में कितने-कितने हैंडपंप स्थापित हैं, कितने हैंडपम्प बंद पड़े हैं ? (ख) बंद पड़े हैंडपम्पों का सुधार कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ग) उपरोक्त विकासखंड के ग्रामों में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किस ग्राम में कितने-कितने हैंडपंप कहां-कहां स्वीकृत किए गए हैं ? (घ) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में उपरोक्त विकासखंड के किन-किन ग्रामों में नल-जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई हैं ? स्वीकृत निर्माणाधीन योजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** । (घ) कोई भी नलजल योजना स्वीकृत नहीं । अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

श्री लखन पटेल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास खंड भटियागढ़ में जल स्तर काफी नीचे चला गया है, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि मेरे निर्वाचन

क्षेत्र के भटियागढ़ ब्लाक में कितने हैंडपंप खराब हैं और वह कब तक ठीक कराये जायेंगे ? दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे जहां पर जल स्तर नीचे चला गया है और हैंड पंप नहीं चल सकते, उन ग्रामों में क्या सबमर्सिबल पंप डलवाकर पानी की व्यवस्था करवायेंगे और तीसरे, मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व में मैंने पूछा था 13-14, 14-15 में मेरे क्षेत्र में कोई नलजल योजना स्वीकृत की गई हैं, तो जवाब आया कि नहीं स्वीकृत की गई, परंतु पूर्व में लंबित नलजल योजना ग्राम नंदरई, जोरतला, नरसिंहगढ़ ऐसे पूर्व से लंबित हैं, तो क्या उनको इसी वर्ष स्वीकृत कराया जायेगा ?

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--माननीय अध्यक्ष महोदय, सुधार योग्य सिर्फ 9 पंप हैं और वह सुधारे जा चुके हैं 104 पंप खराब हैं, जिसमें से 9 हमने सुधार दिये हैं और 49 में पानी नहीं है, यदि उनमें पानी की संभावना होगी, तो हम सबमर्सिबल पंप डलवा देंगे और दूसरी बात, नलजल योजना स्वीकृत नहीं है इसलिये, लेकिन यदि वहां पर कोई सतही जल स्तर का स्त्रोत है, तो हम उस नलजल योजना को मंजूर करके वहां पर नलजल योजना में कार्य चालू करेंगे.

श्री लखन पटेल--नहीं, वह 3 जो नलजल योजनायें मैंने बताईं, वहां सोर्स भी है और प्रस्ताव पहले से आपके यहां लंबित हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- नहीं अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव होगा लेकिन स्वीकृत नहीं है, हम उसे दिखवा लेंगे, अगर वहांपर सतही जल है, तो हम उसे स्वीकार करेंगे और उस पर कार्य चालू करेंगे.

श्री लखन पटेल--बहुत बहुत धन्यवाद.

प्रश्न संख्या (16)--

पुलिस थाने और चौकियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही

16. (*क्र. 1154) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा में कितने व कहां-कहां पुलिस थाने और चौकियां हैं ? नाम बतावें ? थानों और चौकियों पर कितने पद स्वीकृत हैं, जिसमें से कितने पद पर कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? (ख) पुलिस थाने या चौकी पर आवेदनकर्ता या शिकायतकर्ता के आवेदन करने या कहने पर एफ.आई.आर. दर्ज या किसी भी धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है या जांच होने के बाद प्रकरण या एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है ? (ग) यदि किसी दोषी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो क्या उनके रिश्तेदार या जान पहचान वालों को पुलिस थानें में लाकर प्रताड़ित कर सकती है या नहीं तथा कितने दिन तक उसको थाने में रख सकती है ? (घ) पुराने अपराधियों को जो अब सुधर चुके हैं उन्हें त्यौहार या चुनाव के समय मुचलका या जमानत करना अनिवार्य है या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 4 थाने क्रमशः सीतामउ, सुवासरा, शामगढ, नाहरगढ़ एवं 2 चौकियां क्रमशः सीताखेडी, चंदबासा है । "**शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** " (ख) पुलिस थाने या चौकी पर आवेदनकर्ता या शिकायतकर्ता के आवेदन करने या कहने पर तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है । यदि शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध की शिकायत अथवा सूचना दी जाती हैं तो धारा 154 दं.प्र.सं. के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाता है तथा सूचना पर पुलिस हस्तक्षेप योग्य न पाये जाने पर धारा 155 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में जाने की समझाईश दी जाती है । (ग) जी नहीं । इस तरह की कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है । (घ) जी नहीं ।

परिशिष्ट – "चार"

श्री हरदीप सिंह डंग--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह सवाल है कि जो थाने में एफ.आई.आर. दर्ज या प्रकरण दर्ज किये जाते हैं, तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर या उसके कहने पर ही दर्ज हो जाता है, या उसकी जांच होने के बाद

प्रकरण दर्ज या एफ.आई.आर. दर्ज होना चाहिये, पहला प्रश्न. अब 2-2 प्रश्न इकट्ठे पूछ लूं कि एक एक करके ?

श्री हरदीप सिंह डंग—मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब कोई अपराधी अथवा दोषी व्यक्ति रहता है तो उसके रिश्तेदारों को, पहचान वालों को थाने में लाकर के 3-3, 4, 4 अथवा 8-8 दिन बैठाया जाता है, उनको पीटा जाता है फिर उनसे सेटिंग के बाद में छोड़ा जाता है तो क्या वास्तव में यह कानून है कि उनके रिश्तेदार या पहचान वालों को थाने में बैठा सकते हैं.

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जो पुराने अपराधी सुधर चुके हैं उनको त्यौहारों के समय पर, चुनाव के समय पर लाकर के थाने में बंद करना या धमकी देना या मुचलका या जमानत करवाना या फिर ऊपर से ही सेटिंग करके उनको छोड़ देना यह क्या नियम है कि जो सुधरे हुए अपराधी हैं उनको थाने पर लाकर बैठाना चाहिये, मुचलके अथवा जमानत लेना चाहिये, क्या उनको इस प्रकार से तंग करना चाहिये, यह क्या कानून में है अथवा नहीं हैं ?

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो शिकायत के बारे में पूछा है कि किस प्रकार एफ.आई.आर की रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसमें इसका विस्तृत रूप से दिया हुआ है माननीय सदस्य कृपया पढ़ने की कृपा करें. पुलिस थाने अथवा चौकी पर आवेदनकर्ता या शिकायतकर्ता के आवेदन करने या कहने पर तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है ? यदि शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध की शिकायत अथवा सूचना दी जाती है तो धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाता है तथा सूचना पर पुलिस हस्तक्षेप योग्य न पाये जाने पर धारा 155 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में जाने की समझाइश दी जाती है.

अध्यक्ष महोदय—आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर इसमें है.

श्री हरदीप सिंह डंग—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण निवेदन है कि जब कोई आवेदनकर्ता अथवा शिकायतकर्ता आता है तो यह असत्य रिपोर्ट या थर्ड आदमी, चंट, चालाक आदमी पहले से ही थाने में पहुंच जाता है तो उसकी एफ.आई.आर.दर्ज हो जाती है तो उसकी जांच होना चाहिये मैंने यह प्रश्न पूछा है आपने जो लिखा है वह मैंने पढ़ लिया है. इसमें मेरा कहना है कि वह सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसकी जांच होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, जांच होकर के एफ.आई.आर दर्ज होना चाहिये या नहीं होना चाहिये.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाने में या चौकी में आवेदनकर्ता अथवा शिकायतकर्ता के आवेदन-पत्र या कहने पर तथ्यों के आधार पर पूरी कार्यवाही की जाती है. अगर वह पुलिस कार्यवाही योग्य है तो उनकी एफ.आई.आर.लिखी जाएगी अन्यथा अगर वह पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं है तो उसको समझाइश दी जाएगी कि आप इस प्रकार से दायर करें.

श्री हरदीप सिंह डंग—माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 तारीख का एक उदाहरण है 2 व्यक्तियों की मोटरसायकिल आपस में टकराई उसमें से एक पॉवरफुल व्यक्ति था उसको कोई चोट भी नहीं आयी, दूसरे गरीब व्यक्ति को चोट आयी वह शरीफ व्यक्ति हॉस्पीटल जाता है, दूसरी तरफ चंट, चालाक व्यक्ति थाने में जाता है तो दूसरे के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज हो जाती है और जिसका मेडिकल होता है वह बाद में आता है उसको जेल में बैठाया जाता है, उसकी मोटरसायकिल भी वहां पर रख ली जाती है उसको थाने में बैठाया जाता है.

अध्यक्ष महोदय—यह इससे उद्भूत नहीं हो रहा है.

श्री हरदीप सिंह डंग—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि पहले इसमें जांच होना चाहिये और बाद में उसकी एफ.आई.आर दर्ज होना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय—ऐसा ही उत्तर में लिखा हुआ है.

श्री हरदीप सिंह डंग—ऐसा इसमें नहीं लिखा है.

अध्यक्ष महोदय—इसमें तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

श्री हरदीप सिंह डंग—तथ्यों के आधार पर इनकी मर्जी आती है तो कर लेते हैं.

श्री बाबूलाल गौर – आप लिखित में मुझे यह दे दें मैं इसकी पूरी जांच करा दूंगा.

श्री हरदीप सिंह डंग – अच्छा दूसरी रिश्तेदारों वाली बात बता दें. रिश्तेदारों और पहचान वालों को थाने में लाकर बैठाना चाहिये या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय – हो गया. उत्तर आ गया. उत्तर इसमें है ना, "जी नहीं लिखा है" (ग) और (घ) में लिखा है.. आप पढ़िये.

श्री हरदीप सिंह डंग – फिर इसके लिये हम स्वतंत्र हैं कि वहां धरना दें या कुछ भी करें क्योंकि ऐसे प्रकरण बहुत आते हैं कि रिश्तेदारों और पहचान वालों को थाने में बैठाया जाता है.

अध्यक्ष महोदय – आप ऐसे प्रकरणों की जानकारी उनको दे दें.

श्री हरदीप सिंह डंग – अध्यक्ष जी, जो अपराधी हैं उनको भी क्या त्यौहारों या चुनाव के समय थाने में लाकर बैठाना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय – उत्तर दिया हुआ है.

श्री घनश्याम पिरोनियां - अध्यक्ष महोदय, झांसी रोड थाना ग्वालियर में एक घटना हुई थी मेरे समाज के व्यक्ति को थाने में बैठा लिया. वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसको न्याय मिल जाये. यह मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – यह उद्‌भूत नहीं होता.

(..व्यवधान..)

समूह नल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति

17. **(*क्र. 1185) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 645 दिनांक 10 दिसम्बर 2014 के उत्तर में बताया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में सतही स्त्रोत कुशलपुरा बांध आधारित समूह नलजल प्रदाय योजना स्टेज-1 लागत रू.48.40 करोड़ की

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा सतही स्त्रोत आधारित 37 ग्रामों की पहाड़गढ़ नलजल योजना का स्टेज-1 प्रस्ताव रू.46.27 करोड़ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? तो क्या उक्त योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या उक्त समूह नलजल प्रदाय योजनाओं की डी.पी.आर. शीघ्र तैयार कर स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। जी नहीं। कार्यवाही गतिशील है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार होने के उपरांत, तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उचित पाये जाने पर स्वीकृति संबंधी निर्णय लिया जावेगा। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

श्री नारायण सिंह पंवार - अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है अत्यंत पेयजल संकट से बारहों महिने ग्रसित रहता है और वहां जो नल जल योजनाएं हैं और पेयजल की टंकिया हैं लगभग सभी बंद पड़ी हुई हैं. मेरे क्षेत्र में जो बड़े सतही जल स्त्रोत हैं पार्वती नदी और कुशलपुरा डेम, इनके माध्यम से समूह नल जल योजना बनाने का प्रस्ताव बना था. विभाग ने कहा है कि सर्वे किया जा रहा है. पिछले दिसम्बर सत्र में मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया था और आग्रह किया था तब भी कहा गया था कि सर्वे कार्य जारी है. अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सर्वे कार्य जारी है. मैं जानना चाहता हूं कि सर्वे कार्य कब तक चलता रहेगा. क्या आगामी सत्र में, सत्र के पूर्व या सप्लीमेंट्री बजट में इस योजना को पूरी तरह से जोड़कर स्वीकृत करके लोगों को लाभान्वित किया जायेगा. यह आश्वासन मैं मंत्री जी से चाहता हूं.

सुश्री कुसुमसिंह महदेले – माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र में कुशलपुरा बांध आधारित योजना जो 48.40 करोड़ रुपये की है. इसकी निविदाएं दि . 21.1.2015 को हो चुकी हैं. मैं माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे ही निविदाओं का परीक्षण हो जायेगा काम चालू हो जायेगा.

श्री नारायण सिंह पंवार - अध्यक्ष महोदय, अगली सप्लीमेंट्री बजट में इसको अनिवार्य रूप से लिया जाये क्योंकि लोगों को बहुत समस्याएं हैं और उत्तर के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं.

बरमी खाद के भण्डारण में अनियमितता

18. (*क्र. 924) **श्री संजय पाठक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कृषि उद्योग विकास निगम कटनी से संबंधित तारांकित प्रश्न 89 दिनांक 10.12.2014 से संबंधित शिकायत की जांच दल द्वारा संबंधित शाखा प्रबंधक से पत्र क्र. शिकायत/कटनी 2014-15/क्यू-1 दिनांक 24.12.14 के द्वारा बिन्दुवार जानकारी उपलबध कराने हेतु पत्र लिखा गया था ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो संबंधित शाखा प्रबंधक ने बिन्दुवार जानकारी जांच दल को उपलब्ध कराई ? यदि हाँ, तो उपलब्ध कराई गई जानकारी की प्रति उपलब्ध करावें । (ग) क्या प्रत्येक विकासखण्ड में बरमी खाद 880 बोरी से अधिक का चालान जारी कर भण्डारित किया गया ? यदि हाँ, तो किस ट्रक से तथा उस ट्रक की क्षमता क्या थी ? चालान एवं बिलों की छायाप्रति उपलब्ध करावें । (घ) यदि प्रश्नांश (ग) क्षमता से अधिक ट्रक से परिवहन किया गया तो क्या फर्जी भण्डारण बताकर फर्जी बिल जारी कर अनुदान एवं कृषक अंश प्राप्त करने के लिये शाखा प्रबंधक दोषी है, जिसने बिना सत्यापन एवं बिना प्रदाय के कूटरचित अभिलेख तैयार कराने में उपसंचालक कृषि को सहयोग दिया ? (ड.) यदि प्रश्नांश (घ) हां तो दोषी शाखा प्रबंधक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर शासकीय राशि की वसूली की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हां. (ख) जी हां. उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण संलग्न परिशिष्ट-पत्र में दिया गया है.(ग) से (ड.) विषयान्तर्गत जांच पूर्ण नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है ।

श्री संजय पाठक – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं.

सुश्री कुसुमसिंह महदेले – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्य को धन्यवाद देती हूं.

प्रश्न क्र.19 अनुपस्थित.

कानून व्यवस्था भंग करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही

20. **(*क्र. 779) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर में विधानसभा मतगणना के दिन हुए दंगों के संबंध में प्रश्नकर्ता के अता.प्रश्न संख्या 15 (क्र. 103) दिनांक 03.03.14 के उत्तर में बताया था कि दिनांक 08.12.2013 को मतगणना के दिन जिन-जिन लोगों ने कानून व्यवस्था भंग की थी, उनमें से सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर शेष आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जावेगी ? क्या उक्त आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली गई ? यदि हाँ, तो नाम, पते सहित बतावें। यदि नहीं तो क्यों व कब तक पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जावेगा ? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित समस्त आरोपियों में से किन-किन लोगों के पास शस्त्र लायसेंस हैं, उनके नाम व पते बताये क्या उन लोगों के लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। 11 आरोपियों की पहचान की गई है। आरोपियों के नाम निम्नानुसार हैं :- 1- गोपाल सिंह निवासी रिजोद, 2- शिवशंकर शर्मा, निवासी कचनार, 3- दरियाब सिंह, निवासी रीतीखेड़ा, 4- बब्लू यादव, निवासी छैघरा, 5- छोटू तोमर निवासी अशोकनगर, 6- राजकुमार यादव निवासी खानपुर, 7- चंद्रजीत यादव निवासी अमरोद, 8- उत्तम सिंह यादव, निवासी अमरोद, 9- जगराम यादव निवासी अमरोद, 10- चित्रपाल सिंह यादव निवासी अमरोद, 11- माधव सिंह यादव निवासी खानपुर। उक्त 11 आरोपियों में से 03 आरोपी 1- गोपाल सिंह पुत्र खलक सिंह यादव, निवासी रिजोदा, 2- शिवशंकर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, निवासी कचनार, 3- दरियाबसिंह पुत्र कल्याण सिंह यादव निवासी रीतीखेड़ा को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया है। शेष 08 आरोपियों के विरूद्ध धारा 173(8) जा.फौ. के तहत विवेचना जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। (ख) एक आरोपी नहारसिंह पुत्र रतन सिंह यादव नि. यादव कॉलोनी लोनी अशोकनगर के पास 315 बोर का लायसेंस शस्त्र है। आरोपी के आर्म्स लायसेंस निरस्त करने हेतु नोटिस तामील कराया जा चुका है। कार्यवाही प्रचलन में है।

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, **मैं माननीय** मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस घटना को हुए लगभग पंद्रह महीने हो गये हैं और 11 आरोपियों में से सिर्फ 3 ही गिरफ्तार हुए हैं

और आपने कहा है कि हम गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. तेरह महीने का विलंब मुझे समय नहीं आता है. इसमें पुलिस और प्रशासन पर कुछ लोगों ने हमला किया उनकी गाड़ियां और स्कूटर जप्त किये गये. इसमें कुछ बूथ केप्चरिंग वाले लोग भी थे. इसकी आप स्वयं या आपके प्रमुख सचिव गृह से मेरे सभी पत्र, घटनाओं का विवरण, सी.सी.टी.वी. फुटेज मंगवाकर तथा जांच करवाकर न्याय करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बाबूलाल गौर – अध्यक्ष महोदय, आपके दोनों प्रश्न में जितनी भी बातें उठाईं थीं उनका परीक्षण किया गया है और उस पर कार्यवाही की गई है. इसमें जो पहले आरोपी थे उनकी नामजद संख्या 40 थीं और फुटेज के अंदर 11 और पाये गये. इस प्रकार कुल 51 आरोपी थे. इसमें से 20 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 11 में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 9 आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं है. अब 19 आरोपियों के विरुद्ध ईनाम की घोषणा की गई है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जायेगा और नरसिंह,पुत्र रतन सिंह यादव के शस्त्र जप्त किये जा चुके हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा :- अध्यक्ष महोदय, उसमें 40 आदमी थे, उनमें से आपने 13 कर दिये उसमें थे तो 80 -90 और वह सब सीसीटीवी में थे और एक अजय नाम के व्यक्ति थे लेकिन उनका नाम निकाल दिया गया है। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और यह बूथ कैप्चरिंग से भी जुड़ा हुआ मामला है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे सारे पत्रों को लेकर बूथ केप्चरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश की सुरक्षा के लिये ऐसे, दोषियों को दंडित करने के लिये इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश देंगे क्या ?

श्री बाबूलाल गौर :- इसकी निष्पक्षता से जांच हो रही है। अब इसकी अधिक आवश्यकता नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा :- मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं हुई है। आपके पुलिस और प्रशासन पर हमला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको इसकी फिक्र नहीं है।

इलेक्ट्रानिक उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों के क्रय में अनियमितता

21. **(*क्र. 1243) श्री हर्ष यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास सेवा (महिला एवं बाल विकास विभाग) ने डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, फर्नीचर व अन्य सामग्रियों की खरीदी के लिए कितने जिलों के कितनी-कितनी राशि का बजट आवंटित किया और किस-किस कंपनियों से खरीदी की गई ? कितनी सामग्रियों के लिए लघु उद्योग निगम के रेट कांट्रेक्ट को आधार बनाकर खरीदी की गई ? वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी वर्षवार दें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित समयावधि में विभाग ने किस-किस कंपनियों से किस-किस सामग्रियों की खरीदी किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि की की और इस संबंध में कितनी-कितनी शिकायतें जिला स्तर व विभागीय स्तर पर प्राप्त हुई ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या बजट एवं सामग्रियों के संबंध में उक्त समयावधि में शिकायतें प्राप्त हुईं ? खरीदी के समय सामग्रियों की गुणवत्ता क्या थी और खरीदी के उपरांत गुणवत्ता क्या थी ? क्या उक्त सामग्रियों की जांच की जायेगी ? हां, तो कब, नहीं तो क्यों कारण बतायें। (घ) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास मुख्यालय द्वारा कुछ कंपनियों के ही उपकरण खरीदने के संबंध में कोई पत्र जारी किया है ? हां, तो कंपनियों के नाम बतायें। क्या यह नियम के अंतर्गत है ? नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण थे और इसमें कौन-कौन अधिकारीगण सम्मिलित हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** इस अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अतः शेष का प्रश्न उपस्थित **त** नही होता। (ग) जी नहीं। शासकीय संस्थाओं के माध्यम से क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु संबंधित संस्था द्वारा तकनीकी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा नियमानुसार सामग्री प्राप्ति के समय किया जाता है। अतः पृथक जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) जी नहीं, आई.सी.डी.एस.मिशन अंतर्गत क्रय हेतु सामग्री की सुझावात्मक सूची जिलों को प्रेषित करते हुए जिलों पर गठित क्रय समिति के माध्यम से जिला स्तर

से म.प्र.भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए क्रय करने के निर्देश दिए गए थे जो नियमानुकूल है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हर्ष यादव :-अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि यह मामला महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश से और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कम्प्यूटर, डेक्सटाप, लेपटाप और बल्डप्रेशर की मशीनें खरीदी गयी है। इसमें मुख्यालय द्वारा विशेष कम्पनियों को खरीदी के लिये पत्र लिखा गया है। जिसका उल्लेख द्वारा 20 दिसम्बर, 2014 के दैनिक भास्कर अखबार में भी छपा हुआ है। उसमें उल्लेख किया गया है कि महिला बाल विकास मुख्यालय द्वारा दो कम्पनियों से लिखा गया है और करीब करीब सवा दौ करोड़ का मामला है। मैं इसमें चाहता हूं कि इसकी खरीदी की जांच हो, और जो घटिया सामग्री खरीदी गयी है उसमें विधायकों की कमेटी बनाकर जांच की जाये ।

श्रीमती माया सिंह :- अध्यक्ष जी, विधायक जी ने जो सवाल उठाया है मैं उनको बताना चाहती हूं कि संचालनालय के पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुझावात्मक सामग्री की जो सूची उसमें दी गई है और साथ ही आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि सामग्री के लिये प्रत्येक स्तर पर मध्यप्रदेश में भण्डार नियम का पालन किया जाए और साथ ही साथ सामग्री का क्रय और इसके स्पेसिफिकेशन और जिला स्तरीय क्रय समिति की अनुशंसा के उपरांत ही क्रय नियमों के अनुसार ही उसकी खरीदी की जाए । इससे स्पष्ट है कि नियमानुसार ही कार्यवाही की गयी है। उसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री हर्ष यादव:- अध्यक्ष जी मेरा निवेदन था कि यदि मंत्री जी कह रही हैं कि सही खरीदी हुई तो विधायकों की एक समिति से जो जिला स्तर पर खरीदी हुई है,उसमें जिले के वर्तमान विधायक जो भी हों उनसे खरीदी की जांच करा ली जाए कि घटिया स्तर की खरीदी की गयी है या नहीं। यदि खरीदी सही हुई है तो इसमें क्या दिक्कत है । विशेष कंपनियों को फायदा देने के लिये वहां पर बहुत ही घटिया स्तर का सामान भेजा गया है।

श्रीमती माया सिंह :- विधायक ही जो सवाल उठा रहे हैं मैं फिर से आपसे कह रही हूं कि यह जो खरीदी की गयी है वह नियमानुसार ही खरीदी की गयी है और जिला स्तर पर और संचनालय स्तर पर इस तरह की कोई भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है और आप जो कह रहे हैं कि उसमें स्पेशल कंपनियों का जिक्र किया गया है तो वहां जो नियम हैं उस नियम के अनुसार ही वह सामग्री के बारे में जो क्रय करने की है या किस कंपनी से क्रय की गयी है उसका जिक्र किया जा सकता है लेकिन खरीदी के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं लेकिन लघु उद्योग निगम के द्वारा ही खरीदी की जाती है हमारे पूरे विभाग में, लघु उद्योग नियम के अनुसार ही खरीदी की जाती है।

श्री हर्ष यादव :- अध्यक्ष जी, यदि नियमानुसार खरीदी की गयी है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है, खरीदी में करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होना चाहिये यह पूरे प्रदेश का मामला है।

उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण हेतु संचालित योजनाएं

22. **(*क्र. 628) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में गत वर्ष एवं आगामी वर्षों के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं, फल, सब्जी, फूल एवं मसाला उत्पादन की क्या कार्य योजना है ? (ख) गुना जिले में स्पाईस पार्क बना है, क्या शासन ने स्पाईस पार्क का लाभ लेने हेतु क्षेत्रीय किसानों को बड़े स्तर पर मसाला उत्पादन की कोई कार्ययोजना बनाकर स्पेशल पैकेज बनाया है ? यदि हाँ, तो उल्लेखित करें । यदि नहीं, तो क्यों कब बनायेंगे जिससे कृषकों को लाभ हो ? (ग) क्या गुना जिले में फल, फूल सब्जी, मसाला उत्पादन की कोई संस्थाएं पंजीकृत हैं यदि हाँ, तो उनको विभाग की योजनाओं का लाभ कब और कैसे दिलायेगें ? (घ) क्या गुना जिले में कोई पॉली हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज है, क्या पॉली हाउस, प्याज शेड एवं कोल्ड स्टोरेज का कोई बजट है या प्रस्तावित है प्लान है ? यदि हाँ, तो केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं सहित विवरण बतायें ।

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है** । (ख) केन्द्र शासन की संस्था स्पाईसेस बोर्ड द्वारा स्पाईस पार्क स्थापित किया गया है। जी नहीं, प्रचलित योजनाएं पर्याप्त है । (ग) विभाग संस्थाओं को पंजीकृत नहीं करता है । उपसंचालक उद्यानिकी गुना द्वारा निम्न संस्थाओं को बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत विपणन अनुमति जारी की है । 1. बालाजी बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, सामरसिंगा, विकास-खण्ड बमोरी, जिला-गुना, 2. पूजा बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, राघोगढ़, गुना । 3. दीक्षा एग्री क्लीनिक एण्ड एग्रो सेंटर गुना । 4. श्री ट्रेडर्स पुरानी गल्ला मंडी गुना । (घ) गुना जिले में निर्मित तथा निर्माणाधिन पॉली हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है** । एकीकृत बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में गुना जिले में 5000 वर्गमीटर क्षेत्र में पॉली हाउस बनाने एवं 5 प्याज भंडार गृह बनाने के लिए क्रमशः राशि रू. 23.37 लाख एवं राशि रू. 5.37 लाख का प्रावधान है । कोल्ड स्टोरेज के लिए जिलेवार प्रावधान करने की व्यवस्था नहीं है ।

परिशिष्ट – "पाँच"

श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले जी से है और मैं उनके जवाब से पूर्णत: संतुष्ट हूं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देती हूँ.

अविवादित नामान्तरण प्रकरणों का निराकरण

23. (*क्र. 682) **श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109-110 में अविवादित नामान्तरण करने के अधिकार पटवारी/राजस्व निरीक्षक में विहित है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण पटवारी/राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं तो सिवनी जिले की तहसील सिवनी व लखनादौन के कार्यालय में इनके कितने अविवादित नामान्तरण प्रकरण कब से लम्बित हैं और क्यों ? तहसीलवार जानकारी देवें। (ग) क्या यह सही है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178, 178 (क) में अविवादित बंटवारा प्रकरणों का निराकरण करने के अधिकार पटवारी/राजस्व निरीक्षक में निहित है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण पटवारी/राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित तहसीलों के कार्यालयों में एक वर्ष से अधिक समय के कितने बंटवारा प्रकरण लम्बित हैं और क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता। (ग) जी नहीं (घ) जी नहीं। जिला सिवनी की तहसील सिवनी अंतर्गत बंटवारे के 127 प्रकरण एक वर्ष से अधिक से लंबित हैं। चूंकि विगत वर्ष विधान सभा/लोकसभा/नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत निर्वाचन के कार्य में संलग्न रहने के कारण प्रकरण लंबित हैं।

श्री दिनेश राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से प्रश्न पूछा गया था उसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैंने सिवनी जिले में सिवनी और लखनादौन तहसील दोनों के प्रकरण की जानकारी चाही थी कि आर.आई. और पटवारी के कार्यालय में द्वारा कितने प्रकरण लंबित हैं उसमें असत्य जानकारी मुझे दी गई है और सिर्फ सिवनी तहसील की जानकारी दी गई है लखनादौन तहसील की नहीं दी गई है. मंत्रीजी इसमें कठोर कार्यवाही करते

हुए जांच करने की कृपा करेंगे क्या ? दोनों तहसीलों में तहसीलदार द्वारा हीला हवाली की जाती है, बिना लेन-देन के कोई काम नहीं किया जाता है मैं मंत्रीजी से इसमें जवाब चाहता हूँ.

श्री रामपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया था उन्हें बताना चाहूंगा कि आरआई और पटवारी के अधिकार अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को दे दिये गये हैं और यह जानकारी माननीय सदस्य को दे दी गई है. आपने अपने क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक की जानकारी चाही है 127 प्रकरण एक वर्ष से अधिक वाले लंबित हैं फिर भी आपने यहां जो कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है या समय-सीमा में काम नहीं हो रहे हैं. इसके लिए जो 127 प्रकरण हैं जो समय-सीमा में नहीं किये गये उनके खिलाफ हम तहसीलदार को नोटिस जारी कर रहे हैं बाकी प्रदेश में इस तरह की शिकायत होगी तो कार्यवाही करेंगे. समय-सीमा में काम करें यह निर्देश दे रहे हैं.

श्री दिनेश राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय समय-सीमा में कार्यवाही करने का आश्वासन देते हैं तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ.

श्री रामपाल सिंह—धन्यवाद.

पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही

24. **(*क्र. 1061) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में 2012 से 2014 में कितनी चोरिया, अपहरण एवं हत्या के अपराध के प्रकरण पंजीबद्ध हुए ? थानेवार, अपराधवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा शहर के थाने, विश्वविद्यालय, सिविल लाईन, सिटी कोतवाली, चोरहटा थाने की जानकारी अपराधवार, घटनावार, पीडित व्यक्तिवार जानकारी उपलब्ध करायें । (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त थानों में घटित चोरी की घटनाओं से पीडित व्यक्तियों कीी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में उक्त थाना प्रभारियों के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि सार्थक कार्यवाही नहीं हुई तो उन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।** (घ) उत्तरांश "ख" एवं "ग" अनुसार थाना प्रभारियों के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

श्रीमती शीला त्यागी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पुलिस विभाग की रीवा जिले की जो जानकारी दी है वह सही नहीं है, कुछ सही है. 30 मार्च को जो इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलोनी में चोरी हुई थी चोर गहने जेवर ले गये. जिस महिला के गहने जेवर ले गये वह संवेदना से जुड़ा हुआ मामला था, भावनात्मक मामला था. शादी में जो गहने जेवर चढ़ाये जाते हैं वे भावनात्मक रुप से जुड़े हुए होते हैं दोबारा गहने जेवर तो बन जाते हैं लेकिन जो संवेदना और क्षण होते हैं वह वापिस नहीं होते हैं. चोर गहने जेवर ले गये रसीदें छोड़ गये पुलिस में लिखित में रिपोर्ट दी गई पुलिस 35 लाख की चोरी को 5 लाख की चोरी बता रही है. मैं मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि रीवा जिला पुलिस जोन है वहां बड़े स्तर के अधिकारी बैठते हैं. वहां आईजी और पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं जब वहां ऐसे प्रकरण होते हैं तो जो थाने होते हैं उनके जो टीआई और एसआई सही तरीके से कार्यवाही नहीं करते हैं बहुत मामले लंबित पड़े हुए हैं. क्या मंत्रीजी ऐसे मामलों को जल्दी से निपटायेंगे.

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो नये तथ्य रखे हैं उनकी लिखित शिकायत आप दे दें उसकी पूरी विवेचना करके अपराधियों को दंडित किया जायेगा.

श्रीमती शीला त्यागी—माननीय मंत्रीजी लिखित शिकायत दी जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है.

अध्यक्ष महोदय—आप उसकी एक प्रति मंत्रीजी को दे दीजिये.

श्रीमती शीला त्यागी—मैं फिर से प्रति दे दूंगी लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि (XX) और यही मिलकर आपस में..

अध्यक्ष महोदय—इसको कार्यवाही से विलोपित कर दें.

श्रीमती शीला त्यागी—एक बात बता दूं कि इस समय रीवा जिले की लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है वहां के टीआई और एसआई को तत्काल हटाने का काम करें.

अध्यक्ष महोदय—आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है अब आप बैठ जायें.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आवर्धन योजना

25. **(*क्र. 810) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जल आवर्धन योजना के तहत् कितनी नल-जल योजनाएं संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिला अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत है ? उनमें कितनी संचालित हैं एवं कितनी बन्द पड़ी हैं ? इनमें कितनी योजनाओं में विद्युत कनेक्शन लेकर योजनाएं अविलम्ब चालू/संचालित की जावेंगी ? (ग) क्या विधान सभा क्षेत्र मऊगंज का अधिकांश हिस्सा पठारी होने के कारण पेयजल की गंभीर परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त नल-जल योजनाएं स्वीकृत कर आमजन को पेयजल मुहैया कराया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो कारण बताएं ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 14465 नलजल योजनाएं संचालित हैं। (ख) 46 स्वीकृत। 38 योजनाएं चालू, 5 योजनाएं बन्द तथा 3 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर। 11 क्रियान्वित योजनाएं अस्थाई विद्युत कनेक्शन से चालू हैं, इनमें स्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही पंचायत द्वारा की जाना है। (ग) क्षेत्र में पेयजल की गंभीर स्थिति नहीं है। जिन ग्रामों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार वर्तमान में पेयजल पर्याप्त नहीं है, उनमें गुण-दोष के आधार पर **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** शर्तों की पूर्ति होने पर कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

श्री सुखेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी विधान सभा क्षेत्र की नलजल योजनाओं के बारे में माननीय मंत्रीजी से प्रश्न पूछा है. मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि 48 नलजल योजनायें स्वीकृत हैं 38 योजनायें चालू हैं 5 योजनायें बंद हैं तथा 3 योजनायें क्रियान्वित प्रगति पर हैं लेकिन यह गलत जानकारी है. कहीं बिजली के अभाव से योजनायें ठप्प हैं कहीं न

चलाये जाने की वजह से योजनायें ठप्प हैं इसकी आप विधिवत् जांच करवाइये और यह जो गलत जानकारी मिलती है कृपया गलत जानकारी न आया करे.

अध्यक्ष महोदय-- आप सीधा प्रश्न पूछ लीजिए.

श्री सुखेन्द्र सिंह-- प्रश्न का उत्तर सब गलत आता है. क्या पूछें. सब गलत आता है कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका सही जवाब आता हो.

अध्यक्ष महोदय-- तो आप ऐसा बोल दीजिए.(व्यवधान)भाषण मत दीजिए.(व्यवधान)

श्रीमती शीला त्यागी-- अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो प्रश्न के जवाब आते हैं बिल्कुल सही नहीं होते हैं.

श्री सुखेन्द्र सिंह-- अध्यक्ष महोदय, हमारा विधान सभा क्षेत्र रीवा जिले का सबसे बड़ा 500-600 फुट में हैंडपंप होते हैं. यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने यह लिख कर भेजा है कि वहाँ पेजयल की कोई गंभीर समस्या नहीं है. क्षेत्र मेरा है, भ्रमण मैं करता हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइये. उत्तर ले लीजिए.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है. परिशिष्ट शामिल है. सदस्य कृपा करके कष्ट करें, परिशिष्ट को पढ़ें और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 500 फुट नीचे जल है और अगर कहीं जल स्रोत में पानी पाया जाएगा तो हम सबमर्सिबल पंप डलवा कर भी उसकी व्यवस्था कर देंगे. लेकिन आपने जो यह आरोप लगाया उससे मैं सहमत नहीं हूँ.

श्री सुखेन्द्र सिंह-- इससे आप इसलिए सहमत नहीं कि आपने यह कह दिया कि गंभीर पेयजल का संकट नहीं है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- हाँ वह तो नहीं है.

श्री सुखेन्द्र सिंह-- वह नहीं है, अब आप फिर बोल रही हैं कि संकट नहीं है.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- अब प्रश्नों का द्वितीय चक्र होगा. पूर्व में अनुपस्थित रहे माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे जाएँगे. यदि वे उपस्थित होंगे तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे.(व्यवधान)

प्रश्न संख्या-- 1 (अनुपस्थित)

प्राकृतिक आपदा राहत राशियों का भुगतान

4. **(*क्र. 281) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा अतिवृष्टि, ओला-पाला, आंधी तूफान, आसमानी बिजली गिरने आदि प्राकृतिक आपदाओं में हितग्राही को आपदा राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है ? (ख) यदि (क) हाँ तो नागौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अतिवृष्टि, आंधी तूफान से हुये नुकसान, ओला-पाला, आसमानी बिजली गिरने के कारण तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को लगभग दो वर्षों से राहत राशि क्यों प्रदान नहीं की गई है ? (ग) इन व्यक्तियों को कब तक राहत राशि प्रदान की जावेगी, राहत नहीं मिलने के कारण क्या हैं ? शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा की गई लापरवाही पर क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) क्या प्राकृतिक आपदा राहत राशियों का भुगतान तुरंत कराया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान हैं। (ख) प्रभावित शेष कृषकों को राहत राशियां वितरित की जा चुकी है। (ग) प्रश्नांश "ख" की जानकारी के अनुसार प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है। शेष प्रष प्रश्नांश उदभूत नहीं होता। (घ) प्रश्नांश "ग" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उदभूत नहीं होता।

श्री यादवेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 2 साल पहले से आपके सर्पदंश, खलिहानों में आगजनी और आकाशीय बिजली से मरने वालों के लिए आज तक स्वीकृत राशि 2 साल से मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं पहुँची. करीब करोड़ रुपये से ऊपर है. जो मकानों में आग लगी है उसका मुआवजा स्वीकृत पड़ा है तो कृपा करके मंत्री जी यह बता दें कि इसे कब तक भिजवा देंगे. 2 वर्ष हो गए हैं.

श्री रामपाल सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने जो प्रश्न किया है इनके क्षेत्र में 75 करोड़ 62 लाख रुपये भेज दिए हैं और अभी जो कलेक्टर से रिपोर्ट आई है, वह राशि बँट

गई है, नागौद तहसील का है 27 हितग्राहियों को 8 लाख 34 हजार 800 रुपये, उचैहरा तहसील में 922 हितग्राहियों को 31 लाख 29 हजार 100 रुपये का वितरण शेष था, यह भी वितरित कर दिया गया है और अभी भी कोई कमी है तो आप जानकारी दें तुरन्त उसको राशि देंगे.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा की बात कर रहा था. वह तो ठीक है आपकी बैंक में पड़ी है मंत्री महोदय जी. मैं निवेदन कर रहा था कि जो 2 साल से, आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर, सर्पदंश से मृत्यु होने पर जो सहायता राशि मिलती है. वह अभी तक नहीं गई. किसानों के खलिहानों में आग लगी, वह 2 साल से स्वीकृत केस पड़े हैं, पैसे के अभाव में, वह नहीं जा पा रहे हैं, वह करोड़ रुपये से ऊपर है.

श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, इस तरह की अगर लेटलतीफी कहीं हो रही है तो हम इसका परीक्षण कराएँगे. तुरन्त उनको सहायता मिलना चाहिए. आकाशीय बिजली हो, प्राकृतिक आपदा हो, 6 (4) के माध्यम से. अगर कोई चीज है तो आप लिख कर के भी ध्यान में लाएँ अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट है, जो राशि कलेक्टर ने मांगी थी वह राशि हमने जारी कर दी है और फिर से हम इसकी जानकारी भी लेंगे.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है.(व्यवधान)मंत्री जी, बहुत जरूरी है मार्च तक में भिजवा दें.

प्रश्न संख्या-- 7 (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या—8 (अनुपस्थित)

सी.एम. हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायततों का निराकरण

19. **(*क्र. 229) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. हेल्पलाईन 181 नम्बर पर प्राप्त कितनी शिकायतें L-4 लेबिल पर 22

जनवरी 2015 की स्थिति में लंबित है ? (ख) उक्त लंबित शिकायतों में से ऐसी कितनी शिकायतें हैं , जो बिना किसी कार्यवाही के अपने लेबल से उच्च लेबल पर ट्रांसफर हुई है, इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है ? (ग) उक्त जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की तथा यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों, कारण बतायें ? (घ) सी.एम.हेल्पलाईन 181 नंबर पर प्राप्त शिकायतों का निश्चित समयावधि में प्रत्येक लेबिल पर निराकरण हो इस हेतु शासन क्या-क्या कार्यवाही करेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) :

क. 864 शिकायतें लंबित थी।

ख. 139 शिकायतें। इसके लिए जिम्मेदारी के संदर्भ में उच्च स्तर से नीचे के सभी स्तरों पर पदांकित अधिकारी लेबल 1 पर तहसीलदार, लेबल 2 पर एस.डी.एम. एवं लेबल 3 पर जिला कलेक्टर हैं।

ग. स्वयमेव लेवल जम्प होने के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो निश्चत ही कार्यवाही की जायेगी।

घ. योजना में समय सीमा में निराकरण का प्रावधान इसलिए रखा गया है विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने हेतु सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है।

श्री चंपालाल देवड़ा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सी एम हेल्पलाइन 181 से संबंधित था. उसमें उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि, "जानकारी एकत्रित की जा रही है."

श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है. माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है. जिसकी पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है. अध्यक्ष महोदय, अभी तक 70 हजार 830 जो हमको शिकायतें मिली थीं

उनमें से 65 हजार 278 का निराकरण हो गया लगभग 95 प्रतिशत और उसमें जो लेटलतीफी की है इसमें 19 तहसीलदारों को सूचना पत्र, कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 6 तहसीलदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं. इस योजना का लाभ पूरे सीधा शासन को अपनी भावना मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से भेज रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण योजना है. इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे यह माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ.

श्री चंपालाल देवड़ा-- धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

...(व्यवधान)...

समय- 11.30 बजे **267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय-- निम्नलिखित सदस्यों के शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी.

1. श्री आरिफ अकील
2. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
3. श्री अजय सिंह
4. श्री सदुर्शन गुप्ता
5. श्री रामनिवास रावत
6. श्री दुर्गालाल विजय
7. डॉ. गोविंद सिंह
8. डॉ. रामकिशोर दोगने
9. श्री प्रदीप अग्रवाल

10. इंजी. प्रदीप लारिया

श्री जितू पटवारी--- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष और हम सब आपसे कुछ कहना चाहते है आप कृपा करके सुन लें....(व्यवधान)...व्यवस्था का प्रश्न है.

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र)--- अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है.

श्री रामनिवास रावत-- शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठता है क्या?

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठता है आप थोड़ा पढ़ लो.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)--- अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में बहुत हलचल मची हुई है आए दिन मुख्यमंत्री जी के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं. मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना थी कि मुख्यमंत्री जी सदन में आकर यह स्पष्ट कर दें कि स्थिति क्या है. ..(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय--- आपने इस विषय में कुछ लिखकर दिया है क्या...(व्यवधान)...

श्री जितू पटवारी--- आप व्यापम से जुड़ी कोई भी चीज पूछने क्यों नहीं देना चाहते हैं .

डॉ. नरोत्तम मिश्र--- आप हमें भी सुन लें और अपनी भी बात कहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

अध्यक्ष महोदय--- आप कोई भी चीज दें तो किन्हीं नियमों के तहत दें तब तो बात ठीक है परन्तु बिना किसी सूचना के कोई भी विषय कैसे उठाया जा सकता है. उसके भी कुछ प्रावधान है.नियमों के तहत ही शून्यकाल की सूचनाएं भी दी जाती हैं और भी सूचनाएं दी जाती हैं.

श्री सत्यदेव कटारे--- अध्यक्ष महोदय,हम पहले भी बार बार निवेदन कर चुके हैं. शून्यकाल किस नियम के तहत बना , जिस नियम के तहत शून्यकाल बना हम उसके तहत ही बोल रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—शून्यकाल के तहत सूचनाएं लिखकर दी जाती हैं और उनको यहाँ पढ़ा जाता है.

श्री सत्यदेव कटारे--- शून्यकाल की सूचना को केवल पढ़ा ही नहीं जाता है उसमें कुछ बातें कही भी जाती हैं, कुछ मुखाग्र भी बातें बोली जाती है.

अध्यक्ष महोदय-- ऐसा कोई नियम नहीं है.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में अपनी बात बोली भी जा सकती है.

श्री सत्यदेव कटारे--- अध्यक्ष महोदय, आप सुन लें. हमारी बात का यह जवाब दे दें. ...(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय--- यह विषय यहाँ है ही नहीं.

डॉ. नरोत्तम मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति रहेगी तो नारेबाजी होगी, हल्ला होगा, सदन नहीं चल पाएगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्र--- आप ऐसा न करें . आप अपनी बात कहें और हमारी भी सुने.

अध्यक्ष महोदय-- आप सभी बैठ जाइए.

श्री के.के. श्रीवास्तव--- अध्यक्ष महोदय, यह तो चुनौती दी जा रही है सदन को नहीं चलने देंगे , यह तो ठीक बात नहीं है. आपको विरोध करना है तो बाहर मैदान पड़ा हुआ है सदन बहस के लिए बना हुआ है.

श्री तरुण भनोत--- यदि सरकार गलत करेगी तो सदन के अंदर विरोध करेंगे..(व्यवधान)...

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि बाजार में, अखबारों में एक्सल शीट छप रही है और उसमें विभिन्न नाम आ रहे हैं उसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है एक जगह नहीं कई जगह आ रहा है.

श्री विश्वास सारंग-- अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरी आपत्ति है .

एक माननीय सदस्य-- यह सब फर्जी है.

श्री सत्यदेव कटारे--- उसी एक्सल शीट के आधार पर कुछ लोगों को एसआईटी ने... (व्यवधान)....मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें उस एक्सल शीट में उनका भी नाम है.

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात आ गई अब मंत्री जी की भी बात सुन लें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र--- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर किसी पार्टी के एक नेता प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, कहीं से कोई निर्णय आता है, सदन नहीं चलने दिया जाता है . वही विषय जो इसी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से ,ध्यानाकर्षण के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से ,स्थगन के माध्यम से उठाया जा चुका है , मेरी गुजारिश इतनी सी है कि अभी यहाँ पर महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है जो विषय सम्मानित सदस्य उठाना चाहें वह अभिभाषण के तहत उठा सकते हैं , बजट में विभागवार चर्चा होगी तब उठा सकते हैं, कोई भी विषय उठने में कहीं कोई रोक नहीं है . दूसरा मेरा यह कहना है कि इसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष या सम्मानित सदस्य इस विषय पर चर्चा चाहते हैं तो क्या उन्होंने शून्यकाल की सूचना दी, क्या उन्होंने ध्यानाकर्षण दिया , क्या उन्होंने स्थगन दिया वह इसका भी तो उल्लेख करें तीसरी बात क्या यहाँ जो यह सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं,क्या इनके अपने कोई प्रीविलेज नहीं हैं . लगातार कभी प्रश्नकाल में व्यवधान हो, कभी ध्यानाकर्षण में व्यवधान हो, सदन की कार्यवाही में व्यवधान हो, राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान हो. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूँ कि इस तरह से सदन का महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं और ये किस तरह से चर्चा चाहते हैं. हम हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- अब अलाऊ नहीं. माननीय सदस्यों से अनुरोध है और प्रतिपक्ष के नेता जी से भी अनुरोध है कि नियमों के तहत् आप लिखकर के दें तो विचार किया जाएगा. अब कृपया बैठ जाएँ, कार्यवाही आगे बढ़ने दें.

श्री राम निवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का स्पष्टीकरण आ जाए.

अध्यक्ष महोदय- किस बात में स्पष्टीकरण? आपने किस नियम के तहत् लिख के दिया है?

श्री रामनिवास रावत-- सदन के नेता के ऊपर आरोप लगे हैं

अध्यक्ष महोदय-- आप लोग बैठ जाइये (व्यवधान)

11.36 बजे **गर्भगृह में प्रवेश**

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यापम मामले को लेकर गर्भगृह में प्रवेश

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों ने व्यापम मामले को लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया और नारेबाजी की.)

(...व्यवधान..)

11.37 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) ऊर्जा विभाग की अधिसूचना (क्रमांक एफ 3-49-2014- तेरह) दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

ऊर्जा मंत्री(श्री राजेन्द्र शुक्ल)-- अध्यक्ष महोदय,मैं, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-49-2014- तेरह दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 पटल पर रखता हूँ.

(व्यवधान के बीच इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

(2) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014

श्रम मंत्री(श्री अंतर सिंह आर्य)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 27 की उपधारा(5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पटल पर रखता हूँ.

...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया बैठ जाएं. अपने स्थान पर जाएँ. यह कुछ भी रिकार्ड में नहीं आएगा. यह बिना अनुमति के जो बोला जा रहा है, वह रिकार्ड में नहीं आयेगा. आप किसी नियम के तहत् बोलिये. शून्यकाल हो गया. अब कार्यवाही आगे बढ़ गयी. शून्यकाल भी नियमों के तहत् चलता है. सदन की हर कार्यवाही नियमों से चलती है. आप कृपया बैठ जाएं.

(3) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 पटल पर रखता हूँ. ...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठें. आपके ही सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हुए हैं. आप यदि उन पर चर्चा नहीं चाहते. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में आप क्यों नहीं बोलते. आप लोग बीच में क्यों बोलते हैं. किसी नियम के तहत् लिखकर के दीजिए. आप लोग नियमों से नहीं बोलते हैं, कोई भी चीज कार्यवाही में नहीं आयेगी. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें.आप लोग बैठ जाएँ,आपके दल के वरिष्ठतम् सदस्य का ध्यानाकर्षण हैं,उनका ध्यानाकर्षण आने दीजिए.नारे लगाने के लिए विधानसभा नहीं है.वेल से बात करने का कोई फायदा नहीं है. ..(व्यवधान)..

(व्यवधान के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए.)

समय 11.42

ध्यानाकर्षण सूचना

प्रदेश में अमानक बीज प्रदाय करने वाली कंपनियों पर कार्यवाही न होना

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली) (अजय सिंह) --

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मध्यप्रदेश में बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है लेकिन इस वर्ष बीज उत्पादक संस्था द्वारा व्यापारियों को ही प्रमाणीकरण हस्ताक्षरित वाले टेग थोक में दे दिये गये जो महाराष्ट्र में पकडे भी गये और एफ.आई.आर दर्ज हुई तथा उक्त प्रकरण में संचालक को निलंबित किया गया। बोरियों में किसी भी प्रकार की सोयाबीन की बीज भरकर प्रमाणीकरण वाले टेग लगाकर बेच दी गई इस प्रकार लाखों टन अमानक सोयाबीन बीज को मानक बना दिया गया । इस संबंध में प्रदेश भर में लगभाग 130 बीज कंपनियों के नमूनों की जांच की गई जिसमें मात्र 33 नमूने ही मानक शेष 97 अमानक पाये गये लेकिन 11 कंपनियों के खिलाफ एफ आई आर विभिन्न स्थानों पर दर्ज की गई जबकि कुछ स्थानों की कंपनियों के ऊपर विभाग द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज नही की गई अमानक बीज प्रदाय करने के मामले मे इंदौर एवं खंडवा की सर्वाधिक कंपनियां है ।

इसी प्रकार सतना जिले में अमानक बीज तथा खाद बेचे जाने के कई मामले जानकारी में आने के बाद अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त ने 22 जुलाई, 2014 को एफ.आई.आर. कराने के निर्देश दिये गये थे लेकिन इसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिले की आठ बीज दुकानों के नमूने ग्वालियर स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा चार खाद विक्रेता दुकानों के नमूने इंदौर प्रयोगशाला में अमानक पाए गये थे। उक्त पूरे मामले पर छोटे अधिकारियों/ कर्मचारियों पर तो कार्यवाही हो रही है, लेकिन जो वास्तविक बड़े अधिकारी जिम्मेदार है उनके विरूद्ध कार्यवाही न होने से प्रदेश के किसानों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) -- माननीय अध्यक्ष महोदय,

म0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था व्दारा राज्य में बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है। संचालक, महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, अकोला (महाराष्ट्र) द्वारा अवगत कराये अनुसार जिला गुण नियंत्रण निरीक्षक अकोला (महाराष्ट्र) ने मैसर्स दुर्गा एग्रो इण्डस्ट्रीज अकोट, जिला–अकोला के अनाधिकृत प्रकिया केंद्र पर मेसर्स इण्डो एग्रो जेनेटिक सीड्स देवास के लेबल लगाया जाकर अनाधिकृत रूप से पैकिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसमें म0प्र0 राज्य बीज एवं प्रमाणीकरण संस्था के टैग पाये गये थे। प्रकरण में "जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कृषि विभाग, अकोला" (महाराष्ट्र) व्दारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गई, उक्त प्रकरण म0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, के संज्ञान में आने पर संस्था द्वारा मेसर्स इण्डो एग्रो जेनेटिक सीड्स देवास का उत्पादक संस्था पंजीयन एवं बीज प्रक्रिया केंद्र का पंजीयन निरस्त किया जाकर समस्त प्रमाणीकरण कार्य प्रतिबंधित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रकरण में दोषी सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी देवास को तथा पर्यवेक्षण में कमी के आरोपों पर तत्कालीन प्रबंध संचालक को निलंबित किया गया व विभागीय जॉच संस्थित की गई है। यह सही नहीं है कि बीज प्रमाणीकरण संस्था व्दारा व्यापारियों को ही प्रमाणीकरण हस्ताक्षरित वाले टैग थोक में दिये गये। बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली में निहित प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाता है।

यह सत्य नही है कि अमानक पाये गये नमूने की कंपनियों/विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही नही की गई है। अपितु वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ सीजन में विभिन्न फसलो के 3121 बीज के नमूने विश्लेषित किये गये जिसमे से 2076 मानक एवं 1045 अमानक पाये गये तथा 157 बीज विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किये गये एवं 13 के विरूद्ध F.I.R. दर्ज की गई तथा 9 बीज विक्रेताओं के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये।

यह सही है कि कृषि उत्पादन आयुक्त ने 22 जुलाई 2014 को समस्त उप संचालकों को निर्देश जारी कर जिन प्रकरणों में अमानकता का स्तर ऐसा है कि उसमें आपराधिक स्वरूप का आभास हो होता है जैसे बहुत अधिक मिलावट, ऐसे मामलों में समुचित अभिलेखीकरण पश्चात कठोर कार्यवाही, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में कराये जाने का उल्लेख है। उपरोक्त समस्त कार्यवाहियॉ बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अमानक का स्वरूप आदि को दृष्टिगत रखते हुये ही जिला स्तर पर की गई।

इंदौर जिले में बीज के 57 नमूने अमानक पाये गये। 5 बीज विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किये गये थे।

खण्डवा जिले में 35 नमूनें अमानक पाये गये, 5 बीज विक्रेता के लाइसेंस निरस्त एवं 5 के लायसेंस निलंबित किये गये । एक बीज उत्पादक कंपनी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। इन्दौर एवं खण्डवा जिले के कृषक कार्यवाही से संतुष्ट है ।

यह सत्य नहीं है कि सतना जिले में रबी सीजन 2014 में अमानक बीज एवं उर्वरक के विक्रय पर सख्ती से कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपितु वस्तुस्थिति यह है कि सतना जिले में बीज के 53 नमूनें बीजं परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गये जो परीक्षण उपरांत मानक पाये गये। उर्वरक के 46 नमूनें परिक्षण हेतु भेजे गये। जिसमें से 38 मानक और 8 अमानक स्तर के पाये गये। जिस पर उर्वरक विकेता/निर्माता को कारण बताओं नोटिस जारी कर विक्रय प्रतिबंध किया गया। एक नमूना जो सोनी ट्रेडर्स/पी.पी.एल. कंपनी का था, उत्तर समाधान कारक न होने के कारण निलंबित किया गया। शेष 7 नमूने के रेफरी सेम्पल, पुनः परीक्षण हेतु भेजने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अमानक बीज एवं उर्वरक पर नियम एवं प्रावधान अनुरूप कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के किसानों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- आप सब लोग सीट पर जाकर बात करिए और व्यवस्थित बात करिए.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही चलने दी जाए. ध्यानाकर्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है और इस तरीके से गर्भगृह में आकर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है. यह विपक्षी सदस्यों के लिए शोभा नहीं देता है.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित.

(11.43 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

समय 11.55 बजे (अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.)

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दो साल में कितनी कंपनियों और व्यापारियों के सैम्पल लिये गये? किस-किस प्रयोगशाला में जांच कराई गई, कितने मानक व अमानक पाये गये, कितनों को आपने ब्लैक लिस्ट किया, कितने प्रकरणों में एफआईआर की गई और कितने लोगों को आपने दंडित किया है?

श्री गौरीशंकर बिसेन - अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी तो मैंने अपने वक्तव्य में दे दी है, जिसकी प्रति माननीय सदस्य के पास है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग व्यवधान कर रहे थे तो वक्तव्य माननीय सदस्य सुन नहीं पाए, अब इसमें सत्तापक्ष की गलती कम है और आप अपने सदस्यों को व्यवधान के लिए रोक नहीं पाए तो यह मेरा कहना है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, मैं सुन नहीं पाया, अब बता दें.

श्री गौरीशंकर बिसेन - अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी बीजों के सैम्पल 3121 के नमूने विश्लेषण के लिए भेजे गये, 276 मानक और 1045 अमानक पाये गये, 157 बीज विक्रेताओं के लाईसेंस निलंबित किये गये, 13 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई तथा 9 बीज विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, यह बताएं कि बीज उत्पादक समितियां मध्यप्रदेश में कितनी हैं, उनको आप सक्रिय करें ताकि जो किसानों के साथ नकली बीज का यह सब खिलवाड़ हो रहा है, यह बंद हो और किसान खुद बीज का उत्पादन करें तो इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री गौरीशंकर बिसेन - अध्यक्ष महोदय, बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं जो हमारे यहां पंजीकृत हैं, उनकी संख्या 552 हैं. बीज प्रक्रिया केन्द्रों की संख्या बताना चाहता हूं कि शासकीय कृषि परिक्षेत्र

के 44, राज्य बीज निगम के 54, राष्ट्रीय बीज निगम के 3 और कृपको का एक है, बीज उत्पादक सहकारी समिति 156 हैं, निजी संस्थाओं के 290 और अन्य 4, ऐसे कुल मिलाकर 552 हैं. इनको और सक्रिय करने के लिए हम जो कार्यवाही कर रहे हैं, उसमें कहना चाहता हूं कि हमने इस बार देश में नवाचार करने के लिए सम्मान भी प्राप्त किया है, पुरस्कार भी प्राप्त किया है. ऑन-लाईन पंजीयन की व्यवस्था कर रहे हैं. भुगतान कैश, डीडी, ऑन-लाईन से होगा. तीसरा, पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में हर संभाग में एक विकासखण्ड ले रहे हैं. जहां मौके पर जो राज्य सीड है उसकी सीलिंग की जाएगी, सीलिंग सीड को बीड ग्रेडिंग प्लांट में भेजेंगे, संभाग में इसके लिए एक विकासखण्ड ले रहे हैं. इसके बाद धीरे-धीरे हर जिले में इसको आगे बढ़ाएंगे. हमारा प्रयास है कि राज्य सीड जो होता है, उसका सीलिंग हो जाएगा तो फिर बाजार से जो लोग लाकर ग्रेडिंग करते हैं वह शिकायतें भी दूर होगी और अच्छा बीज भी मिलेगा.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा - अध्यक्ष महोदय, नकली खाद-बीज और कीटनाशक से किसानों को बचाने के लिए आपको और गंभीरता से सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है, यह मेरा सुझाव है.

श्री गौरीशंकर बिसेन - अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और वे किसानों के लिए बहुत ही शुभचिंतक हैं मैं उनकी हर सलाह को स्वीकार करूंगा. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में बीज की प्रयोगशालाएं इस समय एक ग्वालियर में है, जिससे टेस्टिंग में हमें दिक्कत जाती है. हम 9 और संभागवार प्रयोगशालाएं बनाने जा रहे हैं, जिन्हें हम इसी साल में चालू करेंगे. इसी के साथ-साथ उर्वरक के लिए रीवा, मुरैना, सागर, उज्जैन, शहडोल और नर्मदापुरम, इन 6 स्थानों पर हमने प्रस्तावित किया है. पहले जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर, इन 4 स्थानों पर थे. अब राज्य में 10 उर्वरक की टेस्टिंग लैब हो जाएगी, जिससे हम अधिक सैम्पलिंग कर सकेंगे.

समय 12.00 बजे.

इंदौर में घटिया स्तर के विद्युत मीटर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) (सदस्य)

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

इंदौर जिले में मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी द्वारा इंदौर के प्रत्येक जोन में एमको कंपनी के सिंगल व थ्री फेज के 500 से अधिक मीटर लगे हैं, इस तरह 24 जोन में करीब 12 हजार मीटर लगे हैं। इन मीटरों में से 60 फीसदी में गड़बड़ी निकलकर सामने आई है । इसमें 100 यूनिट बढ़कर हजार हो रही है और हजार की जगह लाख । इस कारण उपभोक्ता को खासा पैसा बिल पेटे जमा करना पड रहा है । खास बात यह है कि इतने बडे घपले के बावजूद बिजली कंपनी न तो एमको कंपनी पर कोई कार्यवाही कर रहीं है , और न ही उन अधिकारियों पर जिन्होंने इसकी खरीदी प्रक्रिया को अंजाम दिया हैं । विद्युत कंपनी द्वारा लगाए गए एमको के मीटरों को जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा तो खुलासा हुआ है कि, उसमें ढेरों खामिया हैं । रिपोर्ट में लिख दिया गया-मीटर रिजेक्ट, मीटर सर्किट में मिस्टेक, मीटर की आईसी फेल, मीटर की लाईट चालू-बंद होने के मीटर खराब पडे हैं । विद्युत कंपनी में घटिया मीटर खरीदने के कारण उसका खमियाजा आम उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता हैं । पहले ओमनी एगेट सिस्टम प्रा.लि. द्वारा 25 हजार मीटर पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी में लगाए गए थे, लेकिन ये मीटर चले नहीं और इसकी खामिया सामने आने लगी । उपभोक्ताओं की लागतार मिल रहीं शिकायतों के चलते कंपनी को ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की गई थी । प्रदेश शासन को इस ओर ध्यान देते हुए विद्युत कंपनी द्वारा लगाए जा रहे घटिया मीटरों को बदलने व सही व मानक स्तर पर टेस्टेड मीटर लगाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाना अति आवश्यक हैं । विद्युत कंपनी द्वारा घटिया विद्युत मीटर लगाये जाने से नागरिकों में रोष व्याप्त है।

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ला) -- माननीय अध्यक्ष महोदय

माननीय अध्यक्ष महोदय,

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर में तीन फेस के इलेक्ट्रानिक मीटर (10–40 एम्पीयर) की आवश्यकता की पूर्ति हेतु दिनांक 15.01.2011 को इलेक्ट्रानिक मीटर क्रय करने हेतु निविदा जारी की गई थी। उक्त निविदा में कुल 9 निविदाकारों ने भाग लिया। निविदा की शर्तों के अनुरूप निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये सेम्पल मीटर की तकनीकी जांच किये जाने पर कुल 4 निविदाकार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सक्षम पाये गये। तत्पश्चात् इलेक्ट्रानिक मीटर की अर्हता प्राप्त निविदाकारों द्वारा दी गई दर की तुलना पर न्यूनतम दर आधार पर मेसर्स एमको लिमिटेड, ठाणे को दिनांक 26.07.2011 को इलेक्ट्रानिक मीटर प्रदाय करने हेतु आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश तथा नियमानुसार विस्तार आदेश जारी किए जाकर कुल 31,000 इलेक्ट्रानिक मीटर क्रय किये गये।

तदुपरांत दिनांक 18.11.2011 को पुनः निविदा आमंत्रित की गई तथा उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत 5 निविदाकारों में से कुल 2 निविदा परीक्षण में सफल पाई गई। इन निविदाकारों में से न्यूनतम दर आधार पर मेसर्स एमको लिमिटेड, ठाणे को आदेश दिनांक 22.06.2012 द्वारा इलेक्ट्रानिक मीटर प्रदाय करने के आदेश जारी किये गये। इस आदेश एवं नियमानुसार विस्तार आदेश जारी कर कुल 15,000 इलेक्ट्रानिक मीटर क्रय किये गये।

प्रदाय आदेश दिनांक 22.06.2012 के तहत प्राप्त 7,500 मीटर में से 76 मीटरों का परीक्षण विभागीय परीक्षणशाला में किया गया था। उक्त परीक्षण के दौरान कुछ मीटर तकनीकी मापदण्डों पर सफल नहीं पाये गये। अतः उक्त बावत् मेसर्स एमको लिमिटेड का भुगतान रोक दिया गया था। विभागीय प्रयोगशाला द्वारा इन मीटरों में सर्किट मिस्टेक, आईसी फेल अथवा मीटर की लाईन बंद–चालू होने से रीडिंग का जम्प करना आदि त्रुटि नहीं पाई गई और न ही इस बावत् कोई उल्लेख किया गया। मेसर्स एमको लिमिटेड ठाणे द्वारा इस बाबत् किये गये तकनीकी विश्लेषण में पाया गया कि मीटर सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण उक्त खराबी आ रही है। अतः प्रदायित मीटरों एवं आगे की खेपों में प्रदाय होने वाले मीटरों में सॉफ्टवेयर प्रदायकर्ता कंपनी द्वारा सुधार किया गया था।

मेसर्स एमको लिमिटेड, ठाणे द्वारा प्रदाय किए गए मीटरो में से खराब हुए मीटरों को क्रय आदेश की शर्त के अनुसार प्रदायकर्ता कंपनी द्वारा निःशुल्क बदला जा रहा है।

क्रय प्रकियान्तर्गत गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सर्वप्रथम निविदा में चयन हेतु सहभागी फर्म से निवेदित मीटर का नमूना मांगा जाता है, जिसे स्वतंत्र प्रयोग शाला (सीपीआरआई / एनऐबीएल ऐक्रीडीऐटेड लेब) में भारतीय मानक में निर्धारित परीक्षण उपरान्त सफल पाये जाने पर ही निविदा शर्तो के अनुसार फर्म को निविदा प्रकिया में सम्मिलित रखा जाता है। तद्नुसार सफल प्रतिभागियों में से न्यूनतम दर आधार पर चयनित फर्म / फर्मों को ही क्रय आदेश जारी किया जाता है। तत्पश्चात, निविदा शर्तों के अनुसार क्रय आदेश में, प्रथम प्रदायित खेप में से 3 नग रेन्डम मीटर टाईप टेस्ट हेतु एवं प्रत्येक प्रदायित खेप में से भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित संख्या के सेम्पल मीटर स्वीकृति परीक्षण हेतु चयनित कर उनको स्वतंत्र प्रयोग शाला में भारतीय मानक अनुसार सफल परीक्षण उपरान्त ही खेप स्वीकार किये जाने बावत् शर्त सम्मिलित रहती है, जिसके अनुसार ही मीटर क्रय किए जाते हैं। अतः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मानक स्तर के मीटर ही क्रय करने की कार्यवाही की जाती है। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए न्यूनतम निविदकार मेसर्स एमको लिमिटेड, ठाणे से इलेक्ट्रानिक मीटर क्रय किये गये।

इंदौर शहर के 24 जोन में एमको कंपनी के मात्र थ्री फेस के 13,200 मीटर लगाये गये है तथा सिंगल फेस का कोई भी मीटर नहीं लगाया गया। इनमें से मात्र 720 मीटर की रीडिंग में खराबी आई। यह कहना सही नहीं है कि मीटर में 100 यूनिट बढ़कर 1000 हो रही है और 1000 की जगह लाख हो रही है। जिन मीटरों में खराबी पाई गई उन प्रकरणों में उपभोक्ताओं के बिलों में नियमानुसार संशोधन किया गया है, अतः यह कहना सही नहीं है कि उपभोक्ताओं से अधिक पैसा लिया जा रहा है।

सूचना में उल्लेखित मेसर्स ओमनी एगेट सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड, चेन्नई से पूर्व क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन पर लगने वाले मीटर क्रय नहीं किये गये। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान उक्त कंपनी को 4,500 नग तीन फेस 20-80 एम्पीयर क्षमता के मीटर प्रदाय हेतु क्रय आदेश प्रसारित किया गया था। प्रदायित मीटर उपयोग के दौरान कुछ समय पश्चात् खराब होना पाये गये थे, जिसे सुधार करने हेतु फर्म द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था तथा शर्तों के अनुरूप खराब

मीटर बदले नहीं जाने से दिनांक 22.12.2010 को फर्म को कंपनी के साथ व्यापार हेतु तत्समय वंचित (ब्लेक लिस्टेड) कर दिया गया था।

कंपनी स्तर पर मानक स्तर के मीटर लगाये जा रहे है तथा प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स एमको लिमिटेड, ठाणे द्वारा प्रदायित मीटरों में से खराब मीटरों को बदलने की कार्यवाही की जा रही है एवं उपभोक्ता के बिलों में नियमानुसार सुधार किया जा रहा है, अतः यह कहना सही नहीं है कि नागरिकों में इस बावत् असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री सुदर्शन आर्य -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया है कि कंपनी के साफ्टवेयर की खराबी के कारण मीटरों में खराबी आ रही है . कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं से लाखों रूपये कि बिल जमा कर लिये गये हैं , जिन उपभोक्ताओं से राशि जमा करा ली गई है वह राशि विद्युत मंडल उन उपभोक्ताओं को वापस करेगी ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि विद्युत मीटरों की ग़ड़बड़ी के कारण आज भी उपभोक्ताओं के पास अनाप शनाप बिल आ रहे हैं . इससे गरीब नागरिक बहुत परेशान है . क्या जोन स्तर पर बिल सुधारने हेतु शिविर लगाये जायेंगे ? तीसरा प्रश्न यह है कि भविष्य में अधिक राशि के बिल नहीं आये ऐसी कोई व्यवस्था विद्युत मंडल के द्वारा की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन मीटरों को आईडेंटीफाई कर लिया गया है जिनके साफ्टवेयर में खराबी के कारण उनको गलत पाया गया है. इंदौर शहर में लगभग 4 लाख मीटर हैं जिसमें से लगभग 7 हजार मीटरों में इस प्रकार की खराबी आने की शिकायत मिली है जिसमें से 90 प्रतिशत बदल दिये गये हैं और बाकी जो 10 प्रतिशत हैं उनको बदलने की कार्यवाही जल्दी हो रही है, पर वह सारे आईडेंटीफाई हैं उसमें किसी भी प्रकार से किसी को गलत बिल देना या उससे वसूली करना, इस मामले में विभाग पूरी तरह से सतर्क है.

श्री सुदर्शन गुप्ता -- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह भी था कि अभी भी जो बिजली के बिलों में मिस्टेक आ रही है उसके लिये क्या बिल में संशोधन करने के लिये विद्युत मंडल शिविर लगायेगा.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- अध्यक्ष महोदय, शिविर लगाकर और जब शिविर लगेगा तब माननीय विधायक जी को भी उन शिविरों में बुलाकर के इस समस्या का समाधान किया जायेगा.

श्री सुदर्शन गुप्ता -- धन्यवाद.

श्री हर्ष यादव -- अध्यक्ष महोदय, इसी तरह की समस्या पूरे प्रदेश में है तो पूरे प्रदेश में शिविर लगना चाहिये.

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो एक प्रश्न पूछना है.

अध्यक्ष महोदय-- ध्यानाकर्षण में ऐसा कोई नियम नहीं है.

समय 12.06 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय --आज की कार्यसूची में सम्मलित सभी याचिकायें प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी.

समय 12.07 बजे

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्री रामेश्वर शर्मा (हुजूर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की 14 वीं विधानसभा का दूसरा, राज्यपाल जी का अभिभाषण है वह मध्यप्रदेश के विकास का एजेंडा है. मध्यप्रदेश ने किन किन क्षेत्रों में तरक्की की, मध्यप्रदेश किन किन स्थानों पर अपना स्थाना बना पाया . मध्यप्रदेश एक जमाने में पिछड़ा बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था आज देश और दुनियां में वह मध्यप्रदेश

नंबर वन के स्थान पर जा रहा है. आज हम और आप विचार करेंगे मध्यप्रदेश की आवाज हमारे देश में भी नहीं सुनी जाती थी लेकिन वह मध्यप्रदेश अब प्रगति के पथ पर सवार होकर धीरे धीरे उस स्थान पर भी जा रहा है जो अमेरिका दुनियां की धरती पर अपने आपको बादशाह कहता था उस अमेरिका की धरती पर शून्य टेम्प्रेचर में भी हजारों नागरिक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को सुनने आये और सुनने ही नहीं आये उन्होंने यहां तक भरोसा दिलाया कि अब मध्यप्रदेश अगर प्रगति के रथ पर है , मध्यप्रदेश में अगर विकास हो रहा है, मध्यप्रदेश के नागरिक वहां पर उद्योग से जुड़ना चाहते हैं मध्यप्रदेश के नागरिक आईटी से जुड़ना चाहते हैं , तो अमेरिका के उद्योग जगत में भी हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, शिवराज सिंह जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है . इस सदन के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मध्यप्रदेश केवल हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका की धरती पर भी अपना स्थान बनाकर के आया है. इस बात के लिये हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं . हमारे विपक्ष के सदस्य अनेक बात उठाते हैं. आदरणीय मुकेश नायक जी ने विपक्ष के सदस्य अनेक बात उठाते हैं. आदरणीय मुकेश नायक जी ने भी अनेक मुद्दे उठाये, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि (XX) , तो उसकी जवाबदारी हमारी है क्या. इसलिये विपक्ष के सदस्यों को इस बारे में सोचना चाहिये कि मध्यप्रदेश अगर प्रगति पर नहीं होता..

अध्यक्ष महोदय -- इसको कार्यवाही से निकाल दें.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री रामेश्वर शर्मा -- जो सदस्य हमको **गाली** देते हैं, जो सदस्य कहते हैं कि मध्यप्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है. मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि पहले इसी विधान सभा के अंदर, 13 वीं विधान सभा में हमारे 143 सदस्य थे. आज शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे 165 सदस्य निर्वाचित होकर आये हैं. अगर हमारा विकास नहीं बढ़ता, तो हम यह जीतते कहां से. हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ती कहां से.

श्री मुकेश नायक -- हम यह कहां कह रहे हैं कि आपका विकास नहीं हुआ. आपका तो खूब विकास हुआ है, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ है.

श्री रामेश्वर शर्मा -- अध्यक्ष महोदय, मुकेश नायक जी मुझसे बहुत सीनियर हैं. शिक्षा एवं खेल मंत्री भी रह चुके हैं. मुझे बीच में रोक रहे हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मध्यप्रदेश की जनता, वोटर पर भरोसा है कि नहीं. अगर हम 13 वीं विधान सभा में 143 सदस्य थे और आज 165 सदस्य हैं, तो यह हमारे जादू के कारण नहीं, मध्यप्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के आशीर्वाद के कारण हैं. आपने तो हमको तब भी कोसा था, **गाली** दी थी. मैं तो कहता हूं कि यह शिवराज सिंह जी का धन्यवाद मानों कि अगर आखिरी का उड़न खटोला आपकी विधान सभा में पहुंच कर उस समय सभा संबोधित कर देता तो यह भी संख्या नहीं होती. आप और भी नगण्य हो जाते और भी खत्म हो जाते. इसलिये यह विचार करें. केवल हम यहीं नहीं, बल्कि नगर निगमों में भी हम जीते. आप उस पर भी विचार करिये. पिछली बार आपकी कितनी नगर निगमें थीं. इस बार आपकी कितनी नगर निगमें रह गयीं. मैं समझता हूं कि सूपड़ा साफ हो गया. एक दो के चुनाव होना हैं, उसमें भी हम देख लेंगे. वह भी नवीन गठित हैं. आप वहां भी नहीं हैं. नगर पालिकाओं की स्थिति में वहां भी नतीजा शून्य है. नगर पंचायतों में वहां भी नतीजा शून्य है. आप हैं कहां. इसलिये मेरा कहना है कि लोकतंत्र के ऐसे ऐसे बड़े ऋषि बैठे हैं, जो सदन में 3-4 बार आये हैं. हम तो पहली बार आये हैं. हम तो यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सदन में उनको सुनकर कुछ अपना ज्ञान बढ़ायें. हम इस सदन को सीखने का विद्यालय मानना चाहते हैं, पर सदस्यों का व्यवहार, जो लोकसभा के हाउस में भी व्यवहार नहीं सीख पाये. वहां भी कार्य पद्धति नहीं सीख पाये. हर बार उठकर हमारे कामों को रोकना, यह हमारे कामों को नहीं रोका जाता, यह मध्यप्रदेश के विकास को रोका जाता है. जो मध्यप्रदेश का विकास रोकेंगे, मध्यप्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता उन्हें दोबारा से इस हाउस में प्रवेश नहीं करने देगी. दोबारा से यहां पर आने नहीं देगी.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज हमारा जो मध्यप्रदेश है, किस क्षेत्र में आप बताइये, क्या बेटी बचाओ अभियान में, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही सहयोग होना चाहिये. क्या कांग्रेस के मित्रों की यह जवाबदारी नहीं बनती कि अगर सरकार बेटी बचाओ अभियान चलाती है, शिवराज सिंह जी अगर बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं. अरे बेटी तो आपकी हो या बेटी किसी और की हो. उस बेटी को मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की बेटी माना है. मध्यप्रदेश की बेटी की सुरक्षा की जवाबदारी क्या हमारी और आपकी नहीं है. इसलिये मैं चाहता हूं कि पूरा सदन शिवराज सिंह जी को इस बात का धन्यवाद देता है कि आपने बेटियों की रक्षा के लिये जो बेटी बचाओ अभियान चलाया उसकी आज केवल मध्यप्रदेश में नहीं, बल्कि देश और दुनिया में मध्यप्रदेश की सराहना की गयी. मध्यप्रदेश का क्योंकि उल्लेख किया गया है, उसका योगदान वहां पर आंका गया है. आज बेटी बचाओ अभियान है. आज लोग हमको **गाली** देते हैं. अध्यक्ष महोदय, आज हम मध्यप्रदेश की सत्ता में आये हैं. किसी के अहसान के कारण नहीं आये हैं. अगर हम पर अहसान है तो मध्यप्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता का है. उस अहसान के लिये हम सदैव मध्यप्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं. हमने पुण्य के काम किये हैं. शिवराज सिंह जी ने बेटी के विवाह में भेद नहीं किया. गरीबों के इलाज में भेद नहीं किया.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- तिवारी जी, जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं आयेगा.

श्री रामेश्वर शर्मा -- शिवराज सिंह जी ने स्कूल चलों अभियान में भेद नहीं किया. सड़क बनाओ अभियान में भेद नहीं किया. नौजवानों को रोजगार देने में भेद नहीं किया. शिवराज सिंह जी द्वारा हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाया गया है. (जारी)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रामेश्वर शर्मा--मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाया गया, लेकिन आज मध्यप्रदेश में जो लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग इस प्रदेश को बदनाम करने में लगे रहते हैं और इस प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी--(XXX)

अध्यक्ष महोदय--कृपया, आप बैठ जाइये. रिकार्ड में कुछ नहीं आ रहा है (व्यवधान) शर्मा जी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें नहीं, चर्चा जारी होने दीजिये. किसी का एलाऊ नहीं करेंगे, सिर्फ रामेश्वर शर्मा जी एलाउड हैं. बाकी जो भी बोलेगा, उसका रिकार्ड में बिल्कुल नहीं आयेगा, बिल्कुल नहीं लिखा जायेगा.

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न मैं सदन में करना चाहता हूं कि लोग लोकसभा जीतकर गये, अरे, वहां से कुछ सीखकर आते और हमें भी कुछ सिखाते, हम छोटे सदस्य हैं, उम्र में भी छोटे हैं निर्वाचन में भी पहली बार आये हैं, अगर हम भूल कर जायें तो आपको माफ करना चाहिये, लेकिन अगर आप भूल करोगे, तो यह प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा.

श्री विश्वास सारंग--(XXX)

श्री लाल सिंह आर्य--(XXX)

श्री राम निवास रावत--(XXX)

श्री सुंदरलाल तिवारी--(XXX)

अध्यक्ष महोदय--चलिये, शर्मा जी, आप अपना भाषण जारी रखें.

श्री रामेश्वर शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो उम्र में छोटे हैं पर यह उम्र में बड़े हैं, बड़े अगर खोटे निकलेंगे तो प्रदेश का सिक्का खोटा हो जायेगा. आपसे फिर उम्मीद करता हूं कि सुंदरलाल तिवारी जी, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और आप बैा बैठे रहें , मेरी

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

बात सुनें, मैं गलत बोलूंगा तो सदन में वापिस कर लूंगा, लेकिन आप गल्ती कर रहे हैं बारबार, आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं, अरे, आपके परिजन इस आसंदी को शोभित करते थे, आपको विचार करना चाहिये यह आसंदी एक गरिमा की आसंदी है और यह आसंदी मजाक कीी की आसंदी नहीं है. मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या मध्यप्रदेश बनाओ अभियान में या मध्यप्रदेश की स्थापना में हमारा योगदान है ?

श्री सुंदरलाल तिवारी--(XXX)

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के विकास में अनेक मुख्यमंत्री जो मध्यप्रदेश के अंदर राज किये, मध्यप्रदेश में उनका उल्लेख भी किया गया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को कि मध्यप्रदेश की स्थापना का जो आयोजन करके देश और दुनिया को बता दिया कि हमारा अपना मध्यप्रदेश है, इस मध्यप्रदेश के लिये शिवराज सिंह चौहान जियेंगे और इस मध्यप्रदेश को अगर जरूरत पड़ी, तो उसके लिये मरने के लिये भी तैयार हैं (मेजों की थपथपाहट) उसमें भी हमने आमंत्रित किया, लेकिन लोग नहीं आये. अरे, आपका झगड़ा शिवराज सिंह जी से है, आपका झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से है, आपका झगड़ा हमसे है, क्या आपका झगड़ा मध्यप्रदेश से है, क्या आपक झगड़ा विकास से है, क्या आपका झगड़ा सड़क से है, क्या आपका झगड़ा बिजली से है ?

श्री रामनिवास रावत--(XXX)

(व्यवधान)

श्री सुंदरलाल तिवारी--(XXX)

अध्यक्ष महोदय--कृपया बैठ जायें.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रामेश्वर शर्मा--कुछ आपके बारे में बोल दूं ?

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (XXX)

श्री रामेश्वर शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर उम्मीद करता हूं कि यह सदन, मैं जो बात कह रहा हूं, अगर कोई बात असत्य है तो उस पर बात कहे, लेकिन मैं चाहता हूं क्या मध्यप्रदेश बनाओ अभियान में हमारा योगदान नहीं होना चाहिये, क्या इस प्रदेश के महत्व को दुनिया में स्थापित करने के लिये हम कहते हैं हमको फर्जी प्रमाणपत्र मिले सीनियर सदस्य बोलते हैं अरे, मध्यप्रदेश के अगर कृषि कर्मण्य....

श्रीमती ऊषा चौधरी--(XXX)

अध्यक्ष महोदय--कृपया समाप्त करें आप, 12 मिनट हो गये हैं. (व्यवधान)

श्री रामेश्वर शर्मा--हिन्दुस्तान को आपके पूर्वजों ने स्वतंत्र कराया है, लेकिन वह पूर्वज आज भी रोते हैं कि हमने जिनके भरोसे हिन्दुस्तान छोड़ा है.....

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रामेश्वर शर्मा—(जारी) जिनके भरोसे हिन्दुस्तान छोड़ा है.

(व्यवधान)

श्री जितु पटवारी—अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से रामेश्वर शर्मा अच्छा भाषण दे रहे हैं, उनका भी धर्म बनता है कि वह अपनी बात रखें, उन्होंने कहा कि जेल जाओगे तो व्यापम में जिन्होंने गलत किया है वह जेल जाएंगे.

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर शर्मा—अध्यक्ष महोदय,मैं कुछ बिन्दुओं पर बात करना चाहता हूं मध्यप्रदेश के विकास में जिनका योगदान है उसमें मध्यप्रदेश सरकार ने जो किया है महामहिम राष्ट्रपति भवन, जो हमारा है, न आपका है वह हिन्दुस्तान के संविधान का भवन है और अगर संविधान के भवन में मध्यप्रदेश की सरकार का सम्मान होता है तो इसके लिये प्रदेश के एक-एक नागरिक को गौरवान्वित होना चाहिये. माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार हमको अवार्ड दे रही है यदि हमारी सरकार अवार्ड दे तो समझ में आता है कि बाजीगरी की होगी, अवार्ड आपकी सरकार दे तो मित्रों आपको भी दिल से मध्यप्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहिये, मध्यप्रदेश के किसानों को धन्यवाद देना चाहिये. आज हम कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं आज आप देखिये कहां राजा दिग्विजय सिंह जी थे राजा के राज में किसानों के ऊपर क्या-क्या नहीं हुआ, मुलताई में गोली चली किसान मारे गये.

(व्यवधान)

श्रीमती ऊषा चौधरी—किसान आज की स्थिति में आत्म हत्या कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप एक मिनट में समाप्त कर दें.

श्री रामेश्वर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, कितने सदस्यगण व्यवधान कर रहे हैं मैं पहला वक्ता हूं. मैं राज्यमंत्री एवं केबिनेट मंत्री नहीं बनना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहना

चाहता हूं और सदस्य के रूप में जो गौरव है वह मुझको प्राप्त है, मैं सिर्फ उसको बनाकर के रखना चाहता हूं.

श्री जितु पटवारी—आप शपथ लेकर के बोल दें मैं हमेशा कार्यकर्ता सदस्य के रूप में काम करूंगा.

श्री रामेश्वर शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने गरीबों के लिये भी काम किया है, इस सरकार ने बेटी बचाने के लिये काम किया है, बीमारी में भी इस सरकार ने किसी की भी कभी अनदेखी नहीं की अगर आपका भी आदमी बीमार है तो शिवराज सिंह जी स्वयं इलाज कराने के लिये गये हैं.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया सब लोग एक साथ न खड़े हों, व्यवधान पैदा न करें.

(व्यवधान)

श्रीमती ऊषा चौधरी—अध्यक्ष महोदय, सतना जिले में एक 14 साल की लड़की अस्पताल में मरी हुई पाई गई.

श्री रामेश्वर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, महामहिम जी ने मध्यप्रदेश का दस्तावेज प्रस्तुत किया है, वह मध्यप्रदेश के विकास, प्रगति का खाका है, वह मध्यप्रदेश के सर्वहारा वर्ग की जीत का खाका है, इसलिये आज मध्यप्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा और तो और लोगों ने प्रदेश में गरीबों के घर तबाह कर दिये हैं. अगर 5 लाख गरीबों को कोई पक्का मकान बनाकर दे रहा है तो वह भी हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं. उस गरीब को भी मकान मिलता है. मध्यप्रदेश बनाओ इसमें हम सबको साथ आना चाहिये. मध्यप्रदेश को बदनाम मत करो. अगर मध्यप्रदेश की प्रगति है...

एक माननीय सदस्य - व्यापम घोटाले में मध्यप्रदेश का नाम है.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – रामेश्वर जी आप कृपया बैठ जाएं. अब आप समाप्त कर दें. डॉ.गोविन्द सिंह जी को बोलने दें. आप एक लाईन में समाप्त कर दें और कृपया बैठ जाएं.

श्री रामेश्वर शर्मा – एक लाईन में मध्यप्रदेश का इतिहास कैसे बताएं.

अध्यक्ष महोदय – नहीं तो आप बैठ जाएं. 18 मिनट हो गये आपको.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – गोविन्द सिंह जी आप पहले शपथ लीजिये कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा. हर बार आप शपथ लेकर बोलते हैं क्योंकि इस बार चेहरे पर कुछ अलग भाव है.

डॉ.गोविन्द सिंह(लहार) – माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा जो प्रस्तुत अभिभाषण है. वह सरकार के द्वारा दिया गया असत्य वाचन कराने का प्रयास किया गया है उसको भी हम लोगों ने सुना. माननीय रामेश्वर जी ने तमाम लंबा-चौड़ा भाषण दिया और पूरे भाषण में 95 प्रतिशत भाषण वह था जैसे आम सभा का भाषण होता है. सिवाय (XX) . राज्यपाल के अभिभाषण में क्या होना चाहिये...

श्री विश्वास सारंग - गोविन्द सिंह जी (XX) यह मध्यप्रदेश का सच है. मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में जो विकास हुआ है कल्याण हुआ है. यह सच है और सच का ही परिणाम है कि लोकसभा भी हम जीते, विधान सभा भी हम जीते और पंचायत भी हम जीते.

(..व्यवधान..

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा – किसी भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उस राज्य के विकास का खाका ही मिलेगा.

डॉ.गोविन्द सिंह – चौदहवीं विधान सभा में 9 फरवरी को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया था उसमें सरकार ने कहा था कि हमने बैठक में चार बड़े निर्णय लिये थे. पहला निर्णय था खाद्य सुरक्षा गरीबों को उपलब्ध कराएंगे. गेहूं और चावल उपलब्ध कराएंगे. दूसरा था

किसानों के खेत में जाने के लिये ग्राम सड़क योजना, तीसरा था मध्यम वर्ग आयोग का गठन और चौथा था राज्य व्यापार संवर्धन मंडल का निर्णय. किन्तु एक वर्ष में अगर एक हजार वाट का बल्ब लेकर भी ढूंढों तो यह योजनाएं देखने को नहीं मिलतीं. सरकार ने इस दिशा में क्या काम किये इसके लिये न तो कोई बजट है न कोई कार्यवाही प्रचलित है. न व्यापारियों को लाभ मिल रहा है न मध्यम वर्ग को. अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए. पहली बार समूचे मध्यप्रदेश में व्यापक रूप से हिंसा हुई. भारी पैमाने पर बूथ कैपचरिंग हुई. अकेले भिण्ड जिले में 3 हत्याएं, 47 लोग गोलियों से घायल, 177 पोलिंग बूथों पर जबरन वोट डलवाने का काम हुआ और भिण्ड के अलावा, मुरैना,शिवपुरी,सागर,छतरपुर,टीकमगढ़ में ऐसी घटनाएं हुईं.(..व्यवधान..) प्रथम और द्वितीय चरण के जो चुनाव के परिणाम आये हैं उनकी अगर समीक्षा कराई जाए और 97-98 परसेंट वोट किसी भी एक उम्मीदवार को मिले. आप समीक्षा करा लें कि वे किस पार्टी से किनके संरक्षण में काम करने वाले लोग थे जिन्होंने पंचायत के चुनावों में इस प्रकार का काम किया. आपने उल्लेख किया कि वित्तीय स्थिति बहुत संतोषजनक रही. बड़ी तारीफ की. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2003-2004 में मध्यप्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद था उससे हमने चार गुना वृद्धि कर ली। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इन 11 वर्षों में प्रदेश का कितना विकास हो गया, कितनी मंहगाई बढ़ गई लेकिन आपको इस बात को कहते समय सोचना चाहिये था । वर्ष 2003-04 में मध्यप्रदेश सरकार पर साढ़े छब्बीस करोड़ का कर्ज था और जब 31 मार्च आये तब आप 88 करोड़ रूपये के कर्ज की कगार पर पहुंच जायेंगे । आपने प्रदेश को डूबाने का काम कर रहे हैं । आपने कहा है कि आपकी वित्तीय हालत सही है। आप अभी भी कर्ज ले रहे हैं । दिसम्बर में मंत्रिमंडल की बैठक हुई पूर्व मुख्यमंत्री श्री गौर साहब और तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के दो सदस्यों ने कहा कि क्या कारण है कि कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन आप इसको बता नहीं पाये । आपके मंत्रिमंडल के सदस्य आपत्ति लगाते हैं आप प्रदेश को कर्ज में डूबाते हैं तो आखिर यह पैसा कहां जा रहा है, इस पर आपने काम नहीं किया। कैग ने भी इस पर आपत्ति लगायी है कि मध्यप्रदेश की वित्तीय स्थिति

खराब है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, यह कुप्रबंधण के कारण है। आप खर्चा चलाने के लिये लगातार कर्ज लेते चले जा रहे हैं। आप पहले 6 हजार 150 करोड़ रूपये तो ले चुके थे, जनवरी में आपने फिर 1500 करोड़ रूपये कर्ज ले लिया और 31 मार्च आते -आते आप प्रदेश को 10 हजार करोड़ रूपये के कर्ज पर पहुंचा देंगे। जब आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तो आपने 5 करोड़ रूपये से अधिक के भुगतान पर रोक क्यों लगायी ? हां, एक चीज में आप इजाफा जरूर कर रहे हैं वह यह कि वर्ष 2011 में मंत्रिमंडल के जो भत्ते और दौरे हैं उसमें खर्च 23 करोड़ रूपये होता था। आज आप उस पर 80 करोड़ यानि 4 गुना बढ़ा चुके हैं। इसी प्रकार अधिकारियों के दौरे पर भी 3 से 4 गुना राशि आप खर्च पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की वित्तीय स्थिति है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक है। इस प्रकार प्रदेश के एक व्यक्ति पर 13 हजार करोड़ रूपये का कर्ज हो गया है। आप कृषि के लिये सुविधाजनक माहौल बना रहे हैं (व्यवधान)

डॉ. गौरीशंर शेजवार :- आप कृषि कर्मण्य पुरूस्कार की बात तो करो, क्या आपको पुरूस्कार बुरे लग रहे हैं ? आपके किसानों का सम्मान बढ़ रहा है आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। प्रदेश को यह कृषि कर्मण्य पुरूस्कार तीसरी बार मिला, इसमें किसानों ने मेहनत की और सरकार ने मदद की, इसकी आपको तारीफ करना चाहिये ।

श्री रामेश्वर शर्मा :- यह पुरूस्कार दो बार कांग्रेस की सरकार ने ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय:- आप लोग बैठ जायें डॉक्टर साहब को बोलने दें ।

डॉ. गोविन्द सिंह :- आज प्रदेश में नकली बीज मिल रहे हैं, नकली खाद बिकवा रहे हैं। खाद उपलब्ध नहीं है। किसान खाद लेने के लिये लाठियां खा रहे हैं, पांच- छः वर्ष की पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियां खाद के लिये लाईन लगायी बैठी रही, आजादी के करीब 60 -65 वर्ष के बाद पहली बार इस प्रकार की घटना प्रदेश के कई जिलों में हुई है।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति हैं कुछ तथ्य हमें सोच समझकर बोलना चाहिए. पांच वर्ष की बच्ची खाद की लाइन में लगी क्या यह व्यावहारिक बात कर रहे हैं. यह क्या तरीका है कुछ भी कहे जा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जायें उन्हें अपनी बात कहने दें.

डॉ. गोविन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, आगे बैठा गये ताकि और असामाजिक तत्व न आ जायें. इसी प्रकार प्रदेश में धान पर बोनस बंद, गेहूं पर बोनस बंद, मक्का पर बोनस बंद कर दिया. इस तरह से आप किसान को कहां ले जाना चाहते हैं. पिछले वर्ष भिंड, मुरैना, दतिया संभाग में बासमती चावल 3800 से लेकर 4400 रुपये तक बिका था नरोत्तम जी भी बैठे हैं डबरा में भी यही भाव बिका था. इस बार वही धान मारा-मारा फिर रहा है कोई मंडी में खरीददार नहीं है. धान 1100-1200 रुपये में बिक रहा है इतने रेट गिर गये. किसान की मेहनत, मजदूरी, खाद और बीज सब बर्बाद हो रहा है किसान कर्ज की कगार पर जा रहा है. आपकी सरकार कृषि को लाभ का धंधा बना रही है तो आपकी सरकार के दस वर्षों में 29 हजार किसानों ने आत्महत्या क्यों की ? कृषि जोत का रकबा क्यों घट रहा है ? साढ़े बारह लाख किसानों ने खेती का धंधा क्यों छोड़ा ? 50 लाख मजदूरों की संख्या क्यों बढ़ी ? आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए काम कर रहे हो और वास्तव में किसान परेशान है, भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया है. 15000 करोड़ का कर्ज, आप जीरो प्रतिशत ब्याज पर चार महीने के लिए ऋण देते हैं चार महीने के बाद आप मय दंड ब्याज के वसूल करते हैं. इस बार किसान खाद इसलिये नहीं ले पाये कि सोसायटियां ओवरड्यू रहीं उनको खाद नहीं दिया गया. नगद खाद पर आपने अनेक सहकारी सोसायटियों पर कई जिलों में प्रतिबंध लगा दिया इसलिये किसान खाद नहीं ले पाये. उत्तर प्रदेश, राजस्थान से नकली और घटिया खाद मिला जो बोरी 250 में मिलती थी वह 500-500, 600-600 रुपये में लेकर आये.

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरुर कहूंगा कि जो अच्छा काम आप कर रहे हैं उसकी तारीफ करुंगा. केवल एक काम हमें ठीक लगा है और वास्तव में इससे किसान को लाभ मिला है वह है

आपका फ्लेट रेट. विद्युत विभाग के कर्मचारी मनमाने बिल भेजकर किसानों से वसूली करते थे लेकिन अब आपने एक एच.पी. पर सौ रुपये कर दिया है जिससे किसानों को राहत मिली है. (व्यवधान) आपने जो अच्छा काम किया है वह हम कह रहे हैं लेकिन आपने अटलजी को भी बदनाम करने से नहीं छोड़ा है. "अटल ज्योति अभियान" इसमें आप आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली कहां दे रहे हैं? भोपाल में प्रतिदिन 45 बंगले में दो घंटे बिजली कट रही है, सुबह 7-8 बजे बिजली कट जाती है पढ़ना लिखना बंद हो जाता है आप भोपाल में बिजली की कटौती कर रहे हैं.

श्री के.के. श्रीवास्तव—आपके समय में तो केवल 2 घंटे बिजली आती थी.

डॉ. गोविन्द सिंह—माननीय मुख्यमंत्रीजी ने हाथ फैला-फैलाकर कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे.

श्री रामेश्वर शर्मा—गोविन्द सिंह जी लगता है 2003 के पहले की बात कर रहे हैं. अब 24 घंटे बिजली है, हर गांव में बिजली है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया व्यवधान न करें. आप कृपया समाप्त करें.

डॉ. गोविन्द सिंह—भ्रष्टाचार में जीरो टालरेंस का आपने वादा किया था. मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भ्रष्टाचार शून्य पर आ गया है तो व्यापम घोटाला क्यों हो गया, इसकी चर्चा क्यों हो रही है. क्या आपने पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भ्रष्टाचार का नाम सुना आपकी सरकार में ही भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है आपकी सरकार में ही घोटाले क्यों आ रहे हैं. डंपर घोटाला, पेंशन घोटाला, दवा खरीदी घोटाला, देवपुत्र पत्रिका में घोटाला, ब्लेक बोर्ड रंगाई-पुताई में घोटाला, बच्चों की साईकिल और ड्रेस में भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति,जनजाति के छात्रों की पेंशन आपके ग्वालियर, चंबल संभाग के अधिकारी खा गये. लघु उद्योग निगम, लूट उद्योग निगम है कोई भी किसी भी विभाग से आदेश लेकर चला जाये 25 प्रतिशत कमीशन उसे दे दिया जाता है बाकी का लेने वाला ले लेता है यह घोटाला चल रहा है. किसानों के ऊर्वरक वितरण में भ्रष्टाचार, रेत और पत्थर, माननीय मुख्यमंत्री जी आप कभी एक प्रश्नोत्तरी भी उठाकर देख लिया करें. आपकी पार्टी के सदस्य

अगर पत्थर और रेत के भ्रष्टाचार के प्रश्न लगाते हैं तो यदि खनिज विभाग के 20 प्रश्न आएँगे तो 20 में से 18 प्रश्न रेत और पत्थर के अवैध उत्खनन के आएँगे. लगातार 5 वर्ष से प्रदेश को करोड़ों का घाटा हो रहा है फिर भी आप सुनने को तैयार नहीं. मैंने भी आप से निवेदन किया. कम से कम आप सच्चाई को तो स्वीकारो. आखिर यह पैसा जा कहाँ रहा है. खदानें पूरी खोखली हो रही हैं. आदमी लुट रहा है. इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने एक और काम किया. चेक पोस्ट बी ओ टी में दे दिए. वह भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए. ऐसा काम क्यों कर रहे हों. आपने लोक निर्माण विभाग समाप्त कर दिया. लोक निर्माण का बजट पिछले साल 27 सौ करोड़ का था और एक नई एम पी आर डी सी बना दी उसमें 33 हजार करोड़ दे दिया, न अधिकारी हैं, न कर्मचारी हैं, मैं दावा करता हूँ कि जितनी भी सड़क एम पी आर डी सी ने अभी 2 साल में बनाई, यदि आप उसे उखाड़ कर देख लें तो हर सड़क निम्न गुणवत्ता की मिलेगी. करोड़ों रुपये अधिकारी खा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय, आप से एक बात कहना चाहता हूँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भाषण दे रहे थे. जब से बने हैं विभाग चौपट कर दिया है. कहीं बचा नहीं. अध्यक्ष महोदय, आपने भी भाषण सुना होगा. मंत्री जी भाषण दे रहे थे कि स्वाइन फ्लू प्राकृतिक आपदा है. अब यह स्वाइन फ्लू प्राकृतिक आपदा है तो फिर आप इलाज क्यों कर रहे हैं. क्यों वाहवाही लूट रहे हैं. इंजेक्शन लगा रहे हैं, गोली खिला रहे हैं. अगर स्वाइन फ्लू प्राकृतिक आपदा है तो फिर रेवेन्यू बुक सर्क्यूलर है, राजस्व मंत्री जी, आपने उसके तहत कितने लोगों को मुआवजे की भरपाई की है. ये प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं. आप इनकी सोच और ज्ञान देखिए. ऐसे ज्ञानी स्वास्थ्य मंत्री बना दिए. अध्यक्ष महोदय, दवाइयों की खरीद में ग्वालियर में...

वन मंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार)-- अध्यक्ष महोदय, इन दोनों के ज्ञान की परीक्षा करवा ली जाए.(व्यवधान)गोविन्द सिंह जी, आप यह बताइये स्वाइन फ्लू है क्या.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी, कृपया बैठ जाइये.

डॉ गोविन्द सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बी पी एल, विधवा पेंशनधारी, विकलांग और निराश्रितों को करीब 7-8 महीने से पेंशन नहीं मिली है. सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस कारण नहीं मिली या तो बैंको ने ई-कक्ष बनाने का काम किया था, खाते खोलने का, इसलिए नहीं पहुँच पा रही, तमाम विधवाएँ घूम रही हैं. इसके साथ ही साथ मैं यह और कहना चाहता हूँ कि कई नगरीय निकायों में चुंगी क्षतिपूर्ति के कारण बहुत कम राशि आ रही है, वेतन भी नहीं मिल पा रहा है. तमाम पद खाली पड़े हैं. हर विभाग में स्वास्थ्य में, चिकित्सा शिक्षा में, ग्वालियर में जो एक हजार बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए हर बार ऐसा आ जाता है आपके राज्यपाल के अभिभाषण में कि डी पी आर तैयार हो गया. माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 4-5 वर्ष पहले आदरणीय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा जी ने भी कहा था, डी पी आर बनाने की घोषणा की थी, 5 वर्ष से है, उसको तत्काल चालू करें. भोपाल में भी दो हजार पलंग के अस्पताल बनाने का आपने जो निर्णय लिया उस पर भी शीघ्र डी पी आर बनाकर कार्यवाही करें. अच्छे कार्यों की तारीफ और प्रदेश को कम से कम इस भ्रष्टाचार के गर्त से निकालें, मंत्रियों के जो खर्चे भत्ते बढ़े हैं, इन पर रोक लगाएँ तभी आप इस प्रदेश का विकास कर सकेंगे अन्यथा यह पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार के गर्त में चला जाएगा और आने वाले समय में जनता भी आपको जवाब देगी.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा(जावद)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय राज्यपाल का अभिभाषण जो कि मध्यप्रदेश के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियाँ और भविष्य की योजनाओं का एक खांका है, उसके पक्ष में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात किसी भी राज्य के लिए उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात होती है कि किसी भी राज्य में, चूँकि मैं उद्योग जगत से पहले से भी जुड़ा था. आज के अगर 10 साल पहले अगर मैं किसी उद्योग के बारे में मध्यप्रदेश की चर्चा करता था तो लोग सुन कर हँसते थे कि कहीं कोई जोकर तो आकर बात नहीं

कर रहा है. आज उद्योगपति लाइन लगाकर खड़े हैं उसके पीछे पिछले 10 वर्षों में सड़क की,बिजली की , पानी की व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण था . मैं यहाँ पर इस बात की चर्चा करने से नहीं चूकूंगा कि जहाँ वर्ष 2003-04 में मध्यप्रदेश का पूंजीगत व्यय 1 लाख 2 हजार करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद था वह पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 4 लाख 50 हजार 900 करोड़ का हो गया है.

श्री तरुण भनोत-- यह बताइए कि कर्जा कितना बढ़ गया.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा--- कर्जा बढ़ने में और पूंजीगत व्यय में जो मूलभूत अंतर है उसको आप समझे. खर्चे के लिए कर्जा नहीं लिया गया. कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क और बिजली कर्जा लेने से हमको मिली. अगर आपको बिजली 24 घन्टे आज मिल रही है तो हमारी अगली पीढ़ी शिक्षित और व्यवस्थित हो रही है, आज गांवों से शहर की ओर पलायन भी कम हो गया है क्योंकि गांवों में सुविधाएं बढ़ी हैं और तरक्की हुई है और उसी कारण सभी राज्यों से और पूरी दुनिया से लोग मध्यप्रदेश की तरफ देखने लगे हैं. यह सब परिवर्तन ऐसे ही एक दिन में नहीं होता है.

डॉ. गोविंद सिंह--- आप वर्ष 2011 की जनगणना देख लीजिये उसमें गांवों की जनसंख्या कम हुई है और शहरों की बढ़ी है.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा --- गांवों की जनसंख्या किस रेश्यो में कम हुई और पूरे भारत में क्या रेश्यो है,उसकी तुलना आप कर लें. आप तो डॉक्टर हैं, थोड़ा-बहुत अध्ययन भी करें. मेरा यह कहना है कि आप पूरे भारत की और मध्यप्रदेश की तुलना कर लें . यह तो नियम है कि जैसे-जैसे प्रगति होगी तो खेती में भी लोग कम लगेंगे और उपकरण ज्यादा लगेंगे . विषय यह है कि आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ने के साथ उनके कौशल को सुधारने के लिए आप कितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं. पहली बार मध्यप्रदेश की सरकार ने कौशल विकास केंद्र खोले हैं, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. पहली बार किसी ने यह सोचा कि मध्यप्रदेश के नौजवानों के लिए मध्यम और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का वेंचर कैपिटल फण्ड का प्रोविजन किया है. यह सब पहले किसी ने नहीं सोचा था.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ बहुत गंभीरता से इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि दस वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में सिंचाई की क्या स्थिति थी पहले क्यों नहीं नर्मदा का पानी प्रापर पहुंचाया गया जबकि वर्ष 1978 में नर्मदा के पानी पर फैसला हुआ था . पहली बार किसी सरकार ने नर्मदा के पानी को रोककर आज मालवा को बचाया वर्ना जो स्थिति मालवा की अगले दस वर्ष में होती तो उस पर हम क्या जवाब देते? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जवाब तो देना पड़ेगा कि आपके पूर्वजों ने क्या किया. आपको उन सबका खाता देना पड़ेगा. हमारी सरकार ने पानी की तरक्की की तो उससे सिंचाई का रकबा बढ़ा और आज 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्ष्ई क्षमता पर हम आ गए हैं . मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं-न-कहीं नर्मदा का पानी मालवा में जोड़ने के लिए आपने विशेष प्रयास किया और नर्मदा-क्षिप्रा को जोड़ा तो उससे पूरे मालवा का भविष्य सुरक्षित हुआ है. जब हम किसान की चर्चा करते हैं और बात करते हैं तो किसान के लिए 15000 करोड़ का ऋण जीरो परसेंट ब्याज पर किसानों को दिया गया और कहीं-न-कहीं आज यह जो कृषि कर्मण पुरस्कार है उसके दो मूल कारण हैं. किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर पैसा मिलना और सिंचित रकबा बढ़ना. इन दो के कारण आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा किसान मजबूत है, हमारा किसान पैदावार करके दे रहा है. पहली बार हमारे यहां पर सब्जी, फलों और खेती का रकबा बहुत बढ़ा है. मछुआरों के लिए 38 हजार मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये. कब किसने सोचा था? आज दूध में कितना उत्पादन बढ़ा. आज हम भारत में दूध के उत्पादन में छठे नम्बर पर आ गये हैं. कहीं न कहीं किसी न किसी ने तो काम किया होगा. यह आंकड़े ऐसे ही नहीं आ गये.

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाया,अधोसंरचना बढ़ाने से ट्रांसमीशन लासेस भी 2 से 3 प्रतिशत सालान में लेकर आये, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. लासेस कम करना उत्पादन बढ़ाने के बराबर ही है. जहां तक सवाल है, पहली बार आल्टरनेट एनर्जी में भी मध्यप्रदेश ने अवार्ड जीता और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट और आज तक

का भी सबसे बड़ा प्लांट मध्यप्रदेश में है, इससे भी हमें गर्व है और अभी जब री-इन्वेस्ट की बात हुई, रिन्युएबल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट की बात हुई, दिल्ली में चर्चा हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया और उसके बाद मैं उनको तो विशेष बधाई देना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश और केन्द्र सरकार की एनटीपीसी ने मिलकर 750 मेगावाट सोलर एनर्जी का पुन: नयी ज्वाइंट वेंचर कम्पनी बना कर उसका काम किया.जब तक कहीं न कहीं बिजली, सड़क ,पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन पांच चीजों पर भरपूर संतुष्टि पूरी दुनिया को नहीं होगी तब तक मध्यप्रदेश की तरफ बाहर के लोग नहीं आयेंगे और आज चाहे दुनिया का कोई देश हो, मैं उस दिन री-इन्वेस्ट की मीट में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ था. 40 देशों के अलग अलग लोग आकर माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी मौका दीजिए, हम भी आपके राज्य में आ के काम करना चाहते हैं. मैं उस बात का साक्षी हूँ. 40 देशों के लोग ऐसे ही नहीं आयेंगे, वे ऐसी राजनीति से नहीं आयेंगे, न हवाबाजी से आयेंगे. कहीं न कहीं पूरी दुनिया में यह विश्वास पैदा किया कि अब मध्यप्रदेश अग्रणी प्रदेश है. पूरी दुनिया में कहीं न कहीं यह विश्वास आया है कि अब मध्यप्रदेश में काम होना शुरु हो गया है.अब वह स्थिति नहीं है कि वह केवल आदिवासी और जंगल का प्रदेश है, जहां न सड़क है, न कोई आ जा सकता है. मैं अगर आज से पहले की चर्चा करुं तो किसने कितनी चिन्ती की थी. कितना मध्यप्रदेश को उसके हिस्से का पैसा मिला था, कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर मिला था.

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले किसने सोचा था कि गांवों में सीसी की सड़कें बनेंगी. 9 हजार किलोमीटर गांवों में सीसी की सड़कें बनी हैं.मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ आज भी कह सकता हूँ कि जहां का जनप्रतिनिधि जागरुक है वहां गलत काम नहीं हो सकता है. गलत काम होने में कहीं न कहीं वहां के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही सबसे पहले आती है और आप सबको अधिकार है कि अगर काम होता है उस समय नहीं, बस बाद में आकर बोलने से कहीं हल नहीं निकलता है और कहीं न कहीं यह जिम्मेदारी हर विधायक या हर जनप्रतिनिधि की है, चाहे वह

किसी भी क्षेत्र का हो या किसी भी स्तर का हो, उसकी भी उतनी ही क्वालिटी की जिम्मेदारी है जितनी कि सरकार की है. मैं अध्यक्ष जी की बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ. मैं स्वच्छता अभियान के बारे में भी बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार मध्यप्रदेश में 37 लाख शौचालय बनाए गए.

श्री हरदीप सिंह डंग -- सखलेचा जी, गांव में नहीं हैं.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा -- अब आपके यहां नहीं होंगे, यह आपकी व्यवस्था होगी. आपके क्षेत्र की चिंता आप करें, लेकिन यह पूरे मध्यप्रदेश का आंकड़ा है और यह केवल कोई कागज नहीं है. पहली बार मुख्यमंत्री आवास योजना में 2 लाख से अधिक आवास बनाए गए. पहले क्या हालत थी ? पहले जब केन्द्र सरकार से बात करते थे तो 2 आवास, 3 आवास एक पंचायत में और फिर सरपंच के यहां लाइन लगती थी और लाइन लगने के बाद बेईमानियों के नाटक होते थे. आज वह स्थिति बदल दी गई है, 500-500 तक आवास मिलने शुरू हो गए हैं.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा -- जी माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसा बोलें, लेकिन काफी बातें करने को हैं अगर पक्ष विपक्ष सुनना चाहे.

श्री सुखेन्द्र सिंह -- इंदिरा आवास आपकी सरकार ने चलवाया था, उसका क्या हुआ.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा -- इंदिरा आवास जो चलाया था दो-दो, तीन-तीन आवास बंटते थे एक-एक पंचायत में. आपको तो ज्ञान भी नहीं होगा.

श्री सुखेन्द्र सिंह -- 10 साल जनपद का अध्यक्ष रहा हूँ मुझे ज्ञान है.(XX)

अध्यक्ष महोदय -- इसे कार्यवाही से निकाल दें.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा -- कितने इंदिरा आवास एक-एक पंचायत में देते थे, क्यों मजबूरी में मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करनी पड़ी ? बात करने के बजाय अपने मन से पूछिए, जो काम

केन्द्र सरकार के पैसे का था उसे मध्यप्रदेश को अपने बजट से खर्च करना पड़ा, मुख्यमंत्री आवास योजना बनानी पड़ी. सड़क योजना बनानी पड़ी, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना के पैसे रोके गए, मैंने इस सदन में कहा था कि चार साल एक रुपया प्रधानमंत्री सड़क का नहीं आया और मैंने तो पूरा आंकड़ा रखा था. जिस दिन अटल जी ने यह योजना बनाई थी, उसी दिन इस व्यवस्था पर चिंता की थी कि एक रुपया प्रति लीटर डीजल से प्रधानमंत्री सड़क के लिए और दो रुपया प्रति लीटर पूरे भारत में पैसा इकट्ठा कराया जाएगा और वह पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना में खर्च होगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्रीमती शीला त्यागी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ. जैसा कि उनके अभिभाषण में है कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही संतोषजनक है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ. हमारे राज्य की स्थिति बिल्कुल ही असंतोषजनक है. जब सरकार बनी थी, आज 11 साल हो चुके हैं, सरकार ने जनता से जो लुभावने वायदे किए थे, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों और भी अन्य विभागों के क्षेत्र में हों, इन विभागों में जो योजनाएं कागजों में क्रियान्वित हैं, लेकिन धरातल में इनका सही उपयोग नहीं होता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य का विकास, विकास के कसीदे पढ़ने और आंकड़े प्रस्तुत करने से नहीं हो सकता. जैसा कि शिक्षा विभाग में हमारे नौनिहाल बच्चों के मन में यह होता था कि जब हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल में जाकर पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एस.पी. बनेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के हाथ में सरकार ने कटोरा थमा दिया है और स्कूल के बस्ते की जगह कटोरा लेकर भिखारी बना दिया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि आज भी जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पूरे प्रदेश में चल रही है, हमारे बच्चों को पोषण आहार के नाम पर कीड़े-मकोड़े, छिपकली आदि ये सब परोसे जाते हैं. मैं ऐसी व्यवस्था का विरोध करती हूँ और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि ये जो व्यवस्था है यह बहुत ही लचर है. इसमें पर्याप्त भ्रष्टाचार है, इसे

माननीय मुख्यमंत्री जी दूर करने का प्रयास करेंगे और बिजली विभाग के बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ, यह पूरे प्रदेश के माननीय सदस्यों से छिपा नहीं है कि बिजली विभाग में जो फर्जी बिल वसूली की गई है, उस फर्जी बिल वसूली में हमारी आम जनता ने खून के आंसू रोए हैं.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा. विधानसभा की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित.

(01.00 बजे से 02.30 बजे तक अंतराल)

समय 2.37 बजे (उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.)

श्रीमती शीला त्यागी-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली विभाग के संबंध में अपना भाषण दे रही थी. जैसा कि मैंने अभी बताया है कि बिजली विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में किस प्रकार से आम जनता को परेशान किया गया है. जबकि बिजली की उपलब्धता नहीं थी, फिर भी उनसे बिजली के बिल वसूले गये हैं. साथ ही साथ अभी जो त्रि-स्तरीय पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें जो नो-ड्यूज की प्रक्रिया थी, उसके तहत जिनके बिजली के बिल जमा हो गये थे, उनसे भी फर्जी बिल वसूले गये. जिन व्यक्तियों के यहां पर बिजली नहीं थी, उनको यदि पंच, सरपंच, या जिला जनपद का चुनाव लड़ना था तो ऐसे साथियों से भी नो-ड्यूज के माध्यम से फर्जी बिल वसूले गये हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यही कहना चाहती हूं, जैसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हमारा पूरा प्रदेश बिजली से जगमगा रहा है, व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं. मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं. साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा व्यापक घोटाला हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, इस प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, जिसमें हमारे बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है, साथ ही साथ संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्तियों ने जैसा यह अपराध किया है, (XX)

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में खाद बीज के मामले में जैसा कि अभी माननीय सदस्यगण ने भी अपील की थी और यह कहा था कि किस तरह से नकली खाद बीज की बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां चालू हैं. मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के साथ ही साथ उनके इशारों पर चलती है. इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करती हूं कि इस सरकार को आप आगाह करें कि जनता के साथ जो उन्होंने वायदे किये

थे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, अभी तक उन वायदों में सरकार खरी नहीं उतरी है. साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार ने जो कृषि विभाग की तरफ से मेले लगाए, बहुत सारे रथ चलाए. तीसरी बार जो कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, यह बड़े खुशी की बात है. लेकिन उपाध्यक्ष महोदय हमारे किसानों की जो गाड़ी कमाई खून पसीने की कमाई जो कि खुली मंडियों में सड़ जाती है उसकी आज तक उचित व्यवस्था नहीं हुई है.. मैं यहां पर आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करती हूं कि इन खुली मंडियों में जो अनाज सड़ जाता है अगर यह अनाज सड़ने से पहले गरीबों को दे दिया जाय तो उनकी आजीविका के साधन सहूलियत भरे हो जायेंगे और उनके लिए उचित व्यवस्था भी हो जायेगी.

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तरफ से जो योजनाएं संचालित हैं. नलजल योजना एक ऐसी योजना है जो कि शुरू होने से पहले ही बंद पड़ी हुई हैं हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो भी हैण्ड पंप के उत्खनन के काम कराये गये हैं, और भी अन्य सदस्यों के यहां काम किये हैं जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा भी अवगत कराया गया है. अगर हम राइजर पाइप की कमी के बारे में अधिकारी और कर्मचारियों को बताते हैं तो वहां से हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है जनता परेशान है और प्रदेश में आने वाले समय में बहुत बड़ा जल संकट उत्पन्न होने वाला है.

मैं यहां पर सड़क परिवहन विभाग के बारे में कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में सड़कों का जाल तो बिछा है लेकिन आज भी आजादी के 67 साल के बाद में भी हमारी जो एससीएसटी की बस्तियां हैं वहां पर अच्छी सड़कों की व्यवस्था नहीं है. हमारे केवल मनगवां में ही नहीं प्रदेश में और भी अन्य जगह पर ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं जहां पर बिजली के खंबे नहीं गड़े हैं वहां पर बिजली की व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

मैं यहां पर स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी कहना चाहती हूं कि स्वास्थ्य विभाग में इस समय पर्याप्त भ्रष्टाचार व्याप्त है. हमारे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर अमानक दवाओं का वितरण सरकारी

अस्पतालों में किया जा रहा है और उसके माध्यम से प्रदेश की जनता के साथ में बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है. इसकी रोकथाम के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है. हमारे प्रदेश में जो इस समय सरकार है. उस सरकार ने बीएसपी और कांग्रेस के विरोध में जो जनता से लुभावने वायदे किये हैं वह आज तक पूरे नहीं हुए हैं लेकिन अगली बार जनता जरूर सबक सीखाएगी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद्.

श्री के के श्रीवास्तव -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय लंच के समय के पहले मेरा माइक लंबा था. पता नहीं किस षडयंत्र के तहत इसको छोटा करवा दिया गया है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी (गुढ़) -- मैं यहां पर कुछ कहना शुरू करूं उसके पहले माननीय सदस्य ने कह दिया कि उनका माइक बदल दिया गया है. यहीं तो माननीय सदस्य मैं कहता हूं कि आपकी सरकार में क्या बदल जायेगा, क्या हो जायेगा, क्या उखड़ जायेगा, क्या गड़ जायेगा इसका कोई भरोसा नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण जो कि सदन में हुआ है सरकार का जो अभिभाषण के माध्यम से खांका खींचा गया है और जिन बिन्दुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है सरकार ने अपनी दृष्टि प्रदेश के सामने रखी है वह बड़ी भ्रामक है. यह सरकार के द्वारा झूठ का पुलिन्दा प्रस्तुत किया गया है. मैं यहां पर दो विषय पर दो दो लाइन में बात कहूंगा. शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में यहां पर आंकड़े दिये गये हैं कि हमने इतने कालेज खोल दिये हैं. आज प्रदेश में एक भी ऐसा कालेज नहीं है जहां पर की पूरी फेकल्टी हो. हमारे इंजीनियरिंग कालेज हों, मेडीकल कालेज हों, आर्ट या साइंस कालेज हों कहीं पर भी पूरी फेकल्टी नहीं है. हमारे रीवा में एक इंजीनियरिंग कालेज है दो पुराने प्रोफेसर हैं बाकी सारी फेकल्टी खाली है. केवल चुनाव में जाकर घोषणा कर देना कि मैं इस क्षेत्र में कालेज खोल रहा हूं.मैं इस कालेज का उन्नयन कर रहा हूं . यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और इन कालेजों में कोई पढ़ाने वाला नहीं है. यह तो उच्च शिक्षा की बात हुई. अब स्कूल शिक्षा के बारे में मैं बात करना चाहता हूं. मध्यप्रदेश की

विधानसभा के अंदर 230 माननीय सदस्य हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं सारे मंत्रिगण भी हैं. अगर किसी भी माननीय सदस्य का बच्चा अगर किसी शासकीय कालेज में पढ़ता हो तो वह खड़े होकर के यहां सदन के अंदर बता दे कि शासकीय स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है. यह प्रदेश का दुर्भाग्य है.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य) -- मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- कहां पढ़ रहे हैं वह भी बता दें.

श्री लाल सिंह र्य -- ग्वालियर में और दिल्ली में.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- आप असत्य मत कहें पाप पड़ेगा.

श्री लाल सिंह आर्य -- मैं सही बता रहा हूं. आप चाहें तो जांच कर लें. आपकी कसम खाकर के मैं कह रहा हूं.

श्री सुंदरलाल तिवारी--मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, और आप अपवाद स्वरूप हो सकते हैं. लेकिन 230 में से एक माननीय सदस्य खड़े हुये हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूं.

श्री के के श्रीवास्तव-- तिवारी जी हम भी शासकीय स्कूल में ही पढ़े हैं. हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- पढ़े तो हम भी शासकीय स्कूल में हैं. लेकिन हम आपके बच्चों की बात कर रहे हैं.

श्री के के श्रीवास्तव--लेकिन आपके रीवा के अंदर जो स्कूल खुले हैं उनकी आप दुर्दशा देखो. जो आपने स्कूल संचालित कर रखे हैं रीवा के अंदर ,जो आपने नकलों का ठेका ले रखा है रीवा के अंदर. रीवा में आप नकल माफिया के रूप में जाने जाते हैं..

श्री सुंदरलाल तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो हमारे शासकीय स्कूलें खुली हैं वह निर्धन, निरीह, जिनके पास में दो वक्त खाने की रोटी नही हैं वह सरकारी स्कूलों में जाते हैं.

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य(श्री शरद जैन) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूं लाल सिंह आर्य ने जो भी कहा है आपकी कसम खाकर के कहा है इसलिये आपको विश्वास करना चाहिये . आपकी कसम हर कोई नहीं खा सकता .

श्री के पी सिंह -- लाल सिंह जी ने जो आपकी कसम खाई है . सदन में खाई है तो उस स्कूल का नाम आप बता दें जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं.

श्री लाल सिंह आर्य-- विद्या भारती, ग्वालियर और रामजस कालेज दिल्ली.

श्री के पी सिंह -- सरकारी स्कूल की बात कर रहे है , यह सरकारी स्कूल हैं क्या.

श्री लाल सिंह आर्य-- एयर फोर्स का स्कूल शासकीय नहीं है क्या. विद्या भारती के नाम से बोला जाता है.

श्री के पी सिंह -- क्या इसको मध्यप्रदेश की सरकार चला रही है. बताईये.

श्री लाल सिंह आर्य -- सरकारी एयर फोर्स . क्या एयर फोर्स सरकारी नहीं है.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की हम बात कर रहे हैं.

श्री शरद जैन -- माननीय तिवारी जी, जो बात सामने आई है उसके पीछे यही तथ्य है कि आपकी कसम खाकर बोला है. तो मेरा कहना है कि आपकी कसम खाकर के कुछ भी बोला जा सकता है.

उपाध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी बैठ जायें.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- मंत्री जी आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल से मिलती जुलती स्कूल में मैं भी पढ़ा हूं. मैं भी सैनिक स्कूल में पढ़ा हूं . उन स्कूलों का स्तर क्या है इसकी मुझे अच्छे से जानकारी है. मैं यह बात कह रहा था कि मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा संचालित स्कूलों में आज 230 माननीय सदस्यों में से किसी का बच्चा न पढ़ा है न पढ़ रहा है. यह हालत हमारे शासकीय स्कूलों की है. जो बच्चे विद्यालय जाते हैं बैठने की जगह नहीं, शौचालय हैं नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षक हैं नहीं और बच्चे स्कूलों से बीमारी लेकर के अपने घर में जाते हैं. आज निजी स्कूलें पूरे

प्रदेश में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है. हर कस्बों में, हर जिलों में 10-10, 20-20 सीबीएससी की स्कूलें खुल गई हैं.

श्री बालाराम बच्चन -- (सदन में मंत्रियों की उपस्थिति कम होने पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के हाल देख लीजिये, सरकार कितनी गंभीर है , राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है . और कितने मंत्री उपस्थित हैं. इससे सरकार की गंभीरता का पता चलता है.

श्री शरद जैन -- माननीय बालाराम जी आपने ध्यान आकर्षित कराया ठीक है. लेकिन एक बार थोड़ा सा पीछे पलटकर आप भी देख लें.

श्री बालाराम बच्चन-- मैंने जो बोला है वह कोई असत्य नहीं है. यहां पर मंत्रिगणों को उपस्थित होकर के हम लोगों को सुनना चाहिये.

श्री रामनिवास रावत-- सरकार आपको चलाना है इसलिये उपस्थिति की जिम्मेदारी भी आपकी ही है.

उपाध्यक्ष महोदय--मंत्री जी आप बैठ जायें. कभी आसंदी की तरफ भी देख लिया करें, आप तो सीधे तिवारी जी की तरफ देखते हैं, यहां तो कभी देखते ही नहीं है.

श्री बालाराम बच्चन -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि कम से कम सरकार को आप सचेत करें.

उपाध्यक्ष महोदय--हां यह स्थिति परिलक्षित हो रही है अधिकांश माननीय मंत्रिगण नहीं हैं, जब कि पूर्व में भी मैं देख रहा था कि आसंदी से व्यवस्थायें दी गई हैं, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा , राज्यपाल जी के कृतज्ञता ज्ञापन पर और बजट के समय कम से कम अधिकाशं मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिये.कम से कम इसमें मंत्रिगणों को अधिकांश संख्या में उपस्थित रहना चाहिये. कोई बहुत आवश्यक कार्य हो तो अध्यक्ष जी को सूचित करना चाहिये. यह व्यवस्था पहले दी गयी है, मैं इसको पुनः दोहराता हूं. माननीय मंत्री जी, आप खबर कर दें, जो लोग आ सकें, उनको आना चाहिये.

श्री बाला बच्चन -- उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आंकड़े बड़े हो सकते हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी नई स्कूलें यहां खोली गयीं. लेकिन निवेदन यह है कि उनके स्तर का सुधार किया जाय. उनका सुधरा हुआ स्तर तब माना जायेगा, जब निजी स्कूलों को छोड़कर लोग शासकीय स्कूलों की तरफ प्रवेश के लिये दौड़ेंगे और उन स्कूलों में लाइन लगेगी. आज मध्यप्रदेश की वह स्कूलें अनाथ आश्रम की तरह हैं. निर्धन, गरीब उन स्कूलों में जाते हैं. सामान्य आदमी के परिवार के बच्चे उन स्कूलों में नहीं जाते हैं.

श्री शरद जैन -- उपाध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है. यह विद्यालयों को अनाथालय बोला जा रहा है. जबकि पिछले 10 साल में विद्यालयों के लिये कितने काम हुए हैं. वह शायद तिवारी जी की जानकारी में नहीं है. मेरा एक निवेदन है कि जहां बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे स्थानों को अनाथालय न बोला जाय.

उपाध्यक्ष महोदय -- आदरणीय जैन साहब, आज आपने लगता है कि अपना सामने वाला प्रतिद्विंद्वी चुन लिया है.

श्री शरद जैन -- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि विद्यालयों को अनाथालय न बोला जाय.

उपाध्यक्ष महोदय -- ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं आई, सदन की कार्यवाही चलने दें. आप मंत्री हैं.

श्री शरद जैन -- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो उन्होंने विद्यालय को अनाथालय बोला है. (XX)

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री सुन्दर लाल तिवारी --आप सरकार के अंग हैं, आपको शर्म आई है ना. आप उनमें सुधार करवा दें.

श्री शरद जैन -- आपको बोलने में नहीं आ रही है. आप क्यों बोल रहे हैं.

श्री लाल सिंह आर्य -- उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो गंगाजी अमरकंटक से निकल जाती थी. अब ऐसा नहीं होता.

उपाध्यक्ष महोदय -- मुझे लगता है कि उस बैंच का कमाल है. एक उठते हैं, तो दूसरे बैठ जाते हैं. तिवारी जी, चर्चा जारी रखें और समय का भी ध्यान रखें. जो व्यवधान है, मैं उसकी गणना कर रहा हूं.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूक्ष्म में स्वास्थ्य पर बोल रहा हूं. यह लोग हमको बात करने दें, मैं तो फटाफट बात समाप्त कर दूंगा.

श्री रामेश्वर शर्मा -- उपाध्यक्ष महोदय, आज तिवारी जी पहली बार महसूस कर रहे हैं कि जब दूसरा बोलता है, तो ये गड़बड़ करते हैं, तो उसको कितना कष्ट होता होगा. सदन यही व्यवहार तो आपसे चाहता है.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी की बात मैंने सुन लीं. मैं एक निवेदन करुंगा. एक मंत्री सदन के अन्दर खड़े होकर बोल दे कि जब वे बोलते हैं, तो मैं कोई उनकी रुकावट पैदा करता हूं.

श्री रामेश्वर शर्मा-- इसका मतलब है कि मंत्रिगण का ध्यान है और हमारा ध्यान नहीं है.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- आगे मुझे पूरी बात करने दीजिये.

श्री शरद जैन -- तिवारी जी, आप रुकावट के अलावा कुछ नहीं करते. आप सिर्फ रुकावट करते हैं.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- वही रोग आपको लग गया है क्या. उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में बोलना चाहता हूं. प्रदेश की स्वास्थ्य में यह हालत है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक फेकल्टी नहीं है. अगर रीवा मेडिकल कॉलेज में चलकर देख लीजिये.

श्री शरद जैन -- मेरा कहना है कि यह असत्य बयानी तो आप मत करें.

उपाध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, यह प्रश्नोंत्तर काल नहीं है. आप जब भाषण देंगे, तो सब चीजें बता दीजियेगा.

श्री शरद जैन -- उपाध्यक्ष महोदय, यह असत्य बयानी कर रहे हैं. हर मेडिकल कालेज में फेकल्टी होती है.

उपाध्यक्ष महोदय -- यह सिलसिला तो चलता रहेगा.

श्री सुन्दर लाल तिवारी --मंत्री जी, अभी हमको बोल लेने दीजिये.

उपाध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जायें. ऐसा है कि अच्छी आदतें सीखना चाहिये. उनका अनुसरण करना चाहिये.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है. यह सदन के अंदर का बयान है. मेरा यह कहना है कि जो डॉक्टरों के आंकड़े पेश किये जा रहे हैं, यह पूरी तरह से असत्य हैं. जो डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ दी है, इस्तीफा नहीं दिया है. अब वह वर्षों से आते नहीं हैं. न वे अस्पताल में आते हैं, न सरकार से उनका कोई पत्र व्यवहार है. 4-5 साल पहले चले गये, लेकिन उनके नाम आज भी शासकीय रिकार्ड में हैं और उन्हीं नामों का आंकड़ा सदन में पेश कर दिया जाता है, जब कि वह कई हजार की संख्या में है. जो नौकरी छोड़कर चले गये और उन्होंने इस्तीफा लिखकर नहीं दिया. और इसीलिये यह कमी बनी हुई है. आज दिन दूनी, रात चौगुनी गति से प्रायवेट हास्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में, कस्बों में, गांव-गांव में बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके जो शासकीय अस्पताल हैं, उनसे लोगों का विश्वास खतम होता चला जा रहा है अब मंत्री जी फिर खड़े हो रहे हैं..

श्री शरद जैन--आपकी आदत सीख रहे हैं, आप यह बता दो..

उपाध्यक्ष महोदय--अब वह रूक नहीं रहे हैं, या तो जब वह रूकें, तब बोलिये हाउस में ऐसी परंपरा डालिये.

श्री शरद जैन--माननीय तिवारी जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, असत्य आंकड़े तो पेश मत करो. यदि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि डाक्टरों की कमी है, उसके साथ यह भी कहा है कि उसकी व्यवस्था हम बहुत शीघ्र कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि जो डाक्टर चले गये आज भी उनका नाम दर्ज है, यदि आपके पास 2-4 नाम हों तो माननीय तिवारी जी दे देना.

श्री सुंदरलाल तिवारी--हम बिल्कुल बता देंगे और 4 ही नाम नहीं, हजार नाम देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय--यह डिस्कशन का अवसर नहीं है, बैठ जायें.

श्री शरद जैन--आप सूची दे दें और किसी भी प्रकार के कथन की ठीक जा जानकारी दें .

उपाध्यक्ष महोदय--मंत्री जी, कृपा करके बैठ जायें, यह प्रश्नोत्तर नहीं है और फिर आप तुलसी बाबा का अनुसरण कीजिये निंदक नियरे राखिये, अपने आंगन में एक तो कम से कम रखिये. उनको बोलने दीजिये.

श्री सुंदरलाल तिवारी--हमारा कहना यह है कि शिक्षा के साथ साथ पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था मध्यप्रदेश में चौपट है. सदन में यह जो फर्जी आंकड़े पेश किये जा रहे हैं, इससे प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है और प्रदेश की जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है. आप भोपाल का आंकड़ा उठा लीजिये 1,000 महिलाओं पर 825 पुरूष यह रेशियो है आपके डिस्ट्रिक्ट भोपाल का, यह स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है. जब 1,000 लड़कियां हैं और 825 लड़के हैं, यह रेशियो आपके ही जिले का है जो लड़की बचाओ यहां बात हो रही है, लेकिन लड़कियों का यह हाल है कि 1,000 में 825 लड़के हैं यहां. यह हो क्या रहा है ? यह कैसा आपका विभाग काम कर रहा है ? आगे मैं कहना चाहता हूं यह स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर हैं उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है और विशेष तौर से ऐसा काम किया जाये कि इनमें...

श्री मोहन यादव--आपके आंकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे इनके रीवा में जब वोटर लिस्ट की चैकिंग की, तब इनके एक घर में एक हजार लोग रहते थे, उसी प्रकार के आंकड़े भी बता रहे हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी--मित्र, यह पूरे प्रमाण के साथ आंकड़े हैं, यह कोई मेरी बनाई हुई बातें नहीं हैं.

श्री मोहन यादव--तिवारी जी, यह आपके ही आंकड़े हैं और आपके ही कागज हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी--यह हमारे आंकड़े हैं. अब मैं आगे मुख्य बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो अभिभाषण आया....

उपाध्यक्ष महोदय--तिवारी जी, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री सुंदरलाल तिवारी--मंत्री जी के कारण अभी तो बोल ही नहीं पाये.

उपाध्यक्ष महोदय--ऐसा है आप अपनी गाड़ी का गीयर भी तो नहीं बदल रहे हैं, आप स्वास्थ्य विभाग से आगे बढ़िये.

श्री सुंदरलाल तिवारी--हम तो टॉप का लगाना चाहते हैं, परंतु यह लगाने ही नहीं देते हैं, बारबार पंचर करते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय--नहीं, मैंने उसका भी समावेश कर लिया है अब आप 3 मिनट में समाप्त करें.

श्री सुंदरलाल तिवारी--मेरा यह कहना है कि आज हमारा **(XX)**, बल्कि हिन्दुस्तान में यह व्यापम की खबरें जा रही हैं भ्रष्टाचार किस तरह से मध्यप्रदेश में हुआ है, इसका एक रत्ती भर भी उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है कि हम उसको कैसे रोकेंगे कि आगे भ्रष्टाचार ना हो, नौजवानों के साथ अन्याय ना हो, परीक्षाओं में घपले ना हों.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री कैलाश जाटव-- तिवारी जी, आप लोगों के जाने के बाद भ्रष्टाचार भी खतम हो गया, इसीलिये अब उसमें कुछ नहीं रहेगा.

श्री सुंदरलाल तिवारी--मेरा कहना है कि दुर्भाग्य है. मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि **2007** में हमने व्यापम में परिवर्तन किया और कानून को और सख्त किया है. **2007** के बाद उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया. मेरा कहना यह है कि यह कैसा कानून बनाया है कि व्यापम की सारी परीक्षायें एक कंप्यूटर के अंदर आ गईं और एक कंप्यूटर से पूरे मध्यप्रदेश का सारा सलेक्शन हो गया और दुर्भाग्य है कि उस कंप्यूटर का भी आज तक पता नहीं है, जिस कंप्यूटर से सारी नियुक्तियां हुईं. जब हम लोग यह कहते हैं पूरे प्रदेश को इस बात की शंका थी कि इस प्रदेश के अंदर जांच अच्छे से होने वाली नहीं है और इस सदन ने सी.बी.आई. से जांच की मांग की, तब सरकार ने, सरकार के पक्ष ने यह कहा नहीं कि एस.टी.एफ.पूरी ईमानदारी से जांच करेगी. चलिये हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने भी सरकार की बात को मान लिया और बोला कि सरकार सही दिशा में चलेगी, लेकिन यह क्या हो रहा है इसमें हजारों गिरफ्तारियां हो गईं, अभी आगे हजारों गिरफ्तारियां होनी है, यह पता ही नहीं है कि कितने लोग बंद होंगे, कितने आगे और लोग इसमें अपराधी हैं. मेरा यह कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक हलफनामा दिया है एस.आई.टी.के सामने, उस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि हार्ड डिस्क के साथ छेड़-छाड़ की गई है, उसकी हेसवेल्यू नहीं निकाली गई.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—पूर्व मुख्यमंत्री जी हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा कि गुजरात की लेबरोट्री में जब एक बार हार्ड-डिस्क जांच के लिये जा चुकी थी, परिणाम आये थे कि उसमें क्लोनिंग हुई है तो दोबारा गुजरात में ही उसी फोरेंसिंग लेबोरेट्री में जांच के लिये क्यों भेजा गया ?

और उस फोरेंसिंग लेब गुजरात में भेजा गया जिस लेब में सी.बी.आई का छापा लगा था कि इस लेब में जांचें गलत आ रही हैं, निष्पक्ष नहीं हैं, इसमें बनावटी रिपोर्ट दी जा रही हैं. एक हल्फनामा दिया गया है उस हल्फ नामे का जवाब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं दिया है हम चाहते थे कि वह सदन में अपनी बात को रखेंगे, लेकिन यह बात सदन में कहने के लिये तैयार नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर हमारा हलफनामा असत्य है तो हमारे ऊपर मुकदमा चलाया जाये, डंके की चोट से एक बार नहीं कई बार कहा है, यह सरकार चुप क्यों बैठी है, अगर हलफनामा असत्य है तो उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए तथा उनको जेल के अंदर ठूंसा जाए.

श्री के.के.श्रीवास्तव—पूर्व मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती तो हम उनको गंभीरता से क्यों लें.

उपाध्यक्ष महोदय—आपको 20 मिनट बोलते हुए हो गये हैं अब आप समाप्त करें. अब आप विस्तार में जा रहे हैं वह बात को घंटों में पूरी होगी.

श्री सुंदरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि उस हलफनामे को रिवर्ड आज तक नहीं किया गया है, तो कैसे मान लिया जाए कि यह हलफनामा असत्य है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण का कांग्रेस ने यहां पर बहिष्कार किया है आज राज्यपाल जी की हालत क्या है ? आप इन्हीं राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पढ़वा रहे थे. (XX)

उपाध्यक्ष महोदय—इसको कार्यवाही से निकाला जाए.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री सुंदरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, एक किताब व्यापम का सच यह आपकी पार्टी के द्वारा छपी है पीछे कमल निशान भी छपा है इसमें मुख्यमंत्री जी का भाषण एवं निर्देशन छपे हैं. (कापी दिखाते हुए)

उपाध्यक्ष महोदय—आपने किताब दिखा दी है. अब आप समाप्त करिये.

श्री सुंदरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, यह किताब कहां लापता हो गई, दब गई, यह किताब कहां गोल है माननीय मंत्री जी बताएंगे ? दबा दी गई, दफना दी गई, यह असत्य का पुलंदा था सारा असत्य का असत्य न इसमें पब्लिशर का नाम है, इसमें मेरा यह कहना है कि आज पूरा प्रदेश शर्मसार है करोड़-करोड़ नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है. आज कितनी परीक्षाएं हुई हैं चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे वह मेडिकल की हो इंजीनियरिंग की हो किसी भी विभाग की हो सारी की सारी 90 प्रतिशत नियुक्तियां फर्जी हैं और पैसे के आधार पर हुई हैं. मेरा यह कहना है कि इस सदन को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिये और अगला जब अभिभाषण हो तो उसमें सही तथ्य रखे जायें और जो यह "व्यापम का सच किताब" ढूंढकर लायेगा उसको हम भी एक रूपया ईनाम देंगे. कहां दफन हो गई है. माननीय वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हैं. आप भी एसआईटी के सामने गये थे और डर के मारे आपने हलफनामा नहीं दिया. आपके साथ चौहान साहब गये थे. हम भाजपा के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हम व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे इस आरोप में जो संलग्न हैं. इनको सद्बुद्धि दे सरकार को सद्बुद्धि दे और करोड़ों नौजवानों से क्षमा मांगे और सच्चाई के साथ सदन में आयें धन्यवाद

श्री दुर्गालाल विजय(श्योपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने की दृष्टि से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं. वैसे तो राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में बहुत सारे बिन्दुओं पर बातचीत हुई हैं. मैं तो आपके समक्ष और सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार के कामकाज, सरकार पर विश्वास, सरकार की कार्यपद्धति और इन सब बिन्दुओं को लेकर राज्यपाल जी का अभिभाषण

प्रस्तुत होता है. अभिभाषण में जिन-जिन बिन्दुओं का जिक्र किया गया है. समय की कमी के कारण से संपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करना तो कठिन होगा. लेकिन कुछ बिन्दुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. सरकार ने पिछले दस वर्षों के दरम्यान जो कार्य किये उन कार्यों की हम किसी पार्टी के विधायक होने के नाते प्रशंसा नहीं कर रहे. माननीय मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा जो कार्य किये गये उन कार्यों के बारे में जनता के बीच में सर्वत्र प्रशंसा की स्थिति बनी है और इसी कारण से जब जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा किये गये कार्यों से प्रसन्न थी इसी बात के कारण विधान सभा, लोकसभा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में भरपूर समर्थन जनता ने प्रदान किया. सरकार ने दो प्रकार से काम करना प्रारंभ किये थे और उसमें समाज के सभी वर्गों के लिये, सभी क्षेत्रों में कार्य करने की दृष्टि से, विभिन्न अधोसंरचना के कार्य तो विभिन्न विभागों के अंतर्गत किये ही गये लेकिन बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाकर जिनके बारे में बहुत वर्षों से वह गरीब लोग जो सरकार की तरफ बहुत आशान्वित होकर देखते थे और सरकार को निहारते थे कि कोई न कोई बात हमारे लिये की जायेगी लेकिन पिछली सरकारों में वह संभव नहीं हो पाया. पिछले दस वर्षों में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो कार्य प्रारंभ हुए. उन कार्यों को यदि एक-एक करके देखा जाये तो यह बात सबकी समझ में आती है कि मध्यप्रदेश विकास और तरक्की की ओर बढ़ रहा है. मध्यप्रदेश में विकास की गति जिस तेजी के साथ में बढ़ी उससे पूरे भारतवर्ष में मध्यप्रदेश की सरकार के प्रति विश्वास और आशा का संचार जागृत हुआ. मैं जिस ईलाके से आता हूं उस ईलाके में ज्यादातर किसान निवास करते हैं खेती किसानी का व्यवसाय होता है. किसानों की दृष्टि से सरकार ने जो योजनाएं प्रारंभ की और जिस प्रकार से सरकार ने कार्य प्रारंभ किये जिसके कारण से सिंचाई के क्षेत्र में विद्युत के क्षेत्र में और सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य सम्पन्न हुए हैं । उन कार्यों के प्रभाव के कारण ही हमारी मध्यप्रदेश की सरकार को तीसरी बार कृषि कर्मण्य पुरूस्कार प्राप्त हुआ है। किसान तो पहले भी थे, यह प्रदेश की जो सोना उपजाने वाली भूमि थी यह पहले से भी विद्यमान थी लेकिन उस समय की

सरकारों द्वारा किसानों को प्रोत्साहन न देने के कारण सिंचाई और विद्युत की कमी के कारण किसान बहुत ऊंचाई और उत्कृष्टता पर नहीं जा सका, लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सरकार किसानों के हित में जिन योजनाओं का संचालन किया उसके कारण से चाहे वह जीरो प्रतिशत पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, 1500 करोड़ रूपये के ऋण किसानों को देने की व्यवस्था की गयी। हमारी जो को-आपरेटिव बैंक होती थी उन बैंकों को ई- बैंकों के रूप में जोड़ने का प्रयत्न हुआ । सहकारी संस्थाओं को भी पूरी तरह से कम्प्यूटराईज करने की कोशिश की गयी और किसानों के हक में जो सरकार कर सकती थी उसको करने की दृष्टि से बहुत सारे कार्य सम्पन्न हुए हैं।

आज हमारा मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में छटवें नंबर पर है, चालीस प्रतिशत दुग्ध उत्पादन मध्यप्रदेश में हमारे पशुपालक और किसान कर रहे हैं। यह वास्तव में हमारे लिये बहुत बड़ी बात है। कृषि की दर पहले जो हुआ करती थी उसका उल्लेख न करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज 24.99 प्रतिशत कृषि की प्राथमिक विकास दर बढ़ी है, उसके कारण से मध्यप्रदेश का सिर ऊंचा उठा है। मैं मध्यप्रदेश के किसानों को धन्यवाद् देना चाहता हूं और माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को भी कि उन्होंने किसानों के हित के बारे में चाहे बोनस देने का मामला हो, अथवा किसानों को ऋण देने की बात हो , किसानों को तीर्थ दर्शन कराने की दृष्टि से विदेशों में भी भेजा और देश में भी जहां पर उन्नत कृषि होती थी उन स्थानों पर भी भेजने का प्रयत्न किया । इसके कारण से भी किसानों की भी स्थिति सुधरी है। सिंचाई के अन्दर मध्यप्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई प्रबंध हमारी सरकार ने किया उसके लिये बहुत सारी सुविधाएं जुटाईं और जहां पर सिंचाई की आवश्यकता थी वहां पर नहरों का निर्माण किया । जहां तालाबों की आवश्यकता थी वहां पर तालाबों का निर्माण किया है। मालवा में विभिन्न काम किए। नदियों को जोड़ने का कार्य हुआ , चम्बल क्षेत्र में जबसे नहर बनी है तब से निरंतर उसका टूटना और किसानों को पानी की आवश्यकता होती थी, तो उस समय किसान परेशान होता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने

लाईनिंग के माध्यम से उस कठिनाई को भी दूर किया, नहर को पक्की कर देने के कारण से श्योपुर से लेकर भिण्ड तक पानी जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है और लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2018 में यह रकबा बढ़ाने का संकल्प हमारी सरकार ने किया है। अगले वर्ष 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई का प्रबंध करने का जो संकल्प है उसके कारण से एक वर्ष में और उन्नति की स्थिति उत्पन्न होगी।

बिजली के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत सारे काम किये हैं। अभी डॉ गोविन्द सिंह जी ने भी स्वीकार किया कि सरकार ने एक अच्छा काम किया की फ्लेट रेट पर किसानों को बिजली देने का निर्णय किया। 1200 रूपये प्रति अश्व शक्ति के आधार पर एक वर्ष पर फ्लेट रेट निर्धारित कर दिया है। इसके कारण किसानों को बहुत सुविधा हुई है। अब अनाप शनाप बिजली के बिल से किसानों को झूझना नहीं पड़ता। एक निश्चित राशि एक वर्ष में और भी वह दो बार में देने का फैसला सरकार ने किया है। पिछले एक वर्ष में लगातार उनको जो पैसा देना पड़ता था उसमें काफी दिक्कतें आती थीं, जिससे किसानों को भी राहत मिली है इसके साथ-साथ किसानों को बिजली के मामले में सरकार ने सबसीडी भी प्रदान की है इससे किसानों को बड़ी राहत प्राप्त हुई है. अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों को पांच हार्स पॉवर तक नि:शुल्क बिजली देने का जो फैसला किया है उसके कारण ऐसे कमजोर वर्ग के लोग जो वर्षों से सिंचाई का ठीक तरह से प्रबंध नहीं कर पाते थे उनको भी बिजली की सुविधा मिलने के कारण सिंचाई का अच्छा प्रबंध करने का अवसर प्राप्त हुआ है. मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली के बहुत सारे सब-स्टेशन लगाने का काम किया है. विद्युत के क्षेत्र में अधोसंरचना के कार्य तो किये ही गये हैं लेकिन लोगों को बिजली की कमी के कारण जो असुविधा होती थी उसे दूर करने के लिए 1600 मेगावॉट बिजली का उत्पादन बढ़ाया है इसे 1800 मेगावॉट करने का प्रयत्न किया जा रहा है. बिजली की जो हानि होती थी उस हानि को कम करने के लिए अधोसंरचना के कार्यों से बहुत अधिक सुविधा मिली है.

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उनका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा. मध्यप्रदेश में जब रोगी जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाता है तो वहां उसे नि:शुल्क औषधि वितरण होता है. वह वहां से आने के बाद प्रशंसा करता है और कहता है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने कितना अच्छा काम कर दिया है, दवा के लिए पैसे लाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरुरत नहीं है लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवा चिकित्सालय में प्राप्त हो रही है. जननी सुरक्षा योजना ने तो मध्यप्रदेश में एक इतिहास रच दिया है. जननी एक्सप्रेस के द्वारा हमारे प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाया जाता है और प्रसव होने के पश्चात् वापिस घर पहुंचाते हैं. पूरा परिवार और पूरा मौहल्ला इस बात की प्रशंसा करता है.

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसने पूरे प्रदेश की गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराने का काम ठीक तरह से किया है. इसी वर्ष लगभग 17000 कन्याओं का विवाह मध्यप्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रयासों से हुआ है. केवल विवाह ही संपन्न नहीं हुए हैं निकाह करने का भी काम इस सरकार द्वारा किया गया है इस वर्ष 251 से अधिक निकाह संपन्न हुए हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, अन्य कमजोर वर्ग के लिए जो योजनाएं बनाई गईं हैं उनका एक-एक करके उल्लेख करेंगे तो यह बात सभी को समझ में आयेगी कि वास्तव में यह सरकार कल्याणकारी सरकार है. यह सरकार गरीबों की और सभी वर्गों की सरकार है. कृषि क्षेत्र में जो मजदूरी करने वाले लोग थे उनको राहत प्रदान करने के लिए बहुत सारे कार्य मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं. 400 करोड़ रुपये की राशि निर्माण मजदूरों को राहत राशि के रुप में प्रदान की गई है. उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिहावल)—उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी द्वारा सदन के अन्दर जो अभिभाषण लाया गया, सरकार का गुणगान वाचन किया गया यह वर्तमान हालत से एकदम विपरीत है. अभिभाषण पर विश्वास करें तो ऐसा लगता है कि कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ मध्यप्रदेश में है. सच्चाई यह है कि सच्चाई का गला घोंट दिया गया है. अभिभाषण के हर बिंदु में असत्य है, भ्रम पैदा करने की पूरी कोशिश की गई है. अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 3 और 4 में संतोषजनक वित्तीय स्थिति की चर्चा है यह असत्य है राज्य सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है इसके आगे और भी कर्ज लेने की तैयारी है यदि यह बात असत्य है तो सरकार इसका खंडन करे. लोगों को भ्रम में न रखें. अब तक तो वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र सरकार को लाना चाहिए था. यदि कुशल वित्तीय प्रबंधन है तो सरकार लोगों को कर्ज में क्यों डाल रही है. आखिर सरकार की अक्षमता का बोझ जनता क्यों उठाए. क्या भाजपा के विधायकों पर कर्ज का बोझ नहीं आएगा. सरकार को जनता की चिन्ता नहीं है. लेकिन सरकार कम से कम अपने विधायकों की चिन्ता तो करे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्रमांक 6 और 7 पर वित्तीय समावेश का गुणगान है. भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समायोजन अभियान तो श्री मनमोहन सिंह सरकार के समय से चल रहा था. इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन धन योजना कर दिया गया. जिन बैंकों ने अपनी मेहनत से भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समायोजन कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा किया. उनका श्रेय भी भाजपा सरकार ने ले लिया. उपाध्यक्ष महोदय, क्रमांक 8 में सहकारी बैंकों की चर्चा है. मुख्यमंत्री ने स्वयं माना है कि सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार हुआ है. इससे किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज देने में भी परेशानी हुई है. मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि सहकारी बैंकों में भ्रष्ट अधिकारियों, पदाधिकारियों को जेल भेजेंगे लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई. मुख्यमंत्री जी के कहने से भी कुछ नहीं हुआ. कुछ सहकारी बैंक तो डिफाल्टर घोषित हो गए. हमारे सीधी जिले में भूमि विकास बैंक बंद हो गया. हमारे सीधी जिले में जिला सहकारी बैंक से ऐसे (XX) के नाम ट्रैक्टर फायनेंस हो गए...

श्रीमती शीला त्यागी-- माननीय सदस्य महोदय, आप सीनियर सदस्य हैं कम से कम असंवैधानिक शब्दों का उपयोग प्लीज न करें.

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहता हूँ. गलती से बोल दिया.

उपाध्यक्ष महोदय-- इसे अनुसूचित जाति, जनजाति कर दें.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के कई ऐसे उदाहरण हैं. कई गाँवों के नाम हम बता सकते हैं जहाँ पर, और जाँच भी चल रही है तथा माननीय बाला बच्चन जी ने प्रश्न भी लगाया था पर चर्चा में नहीं आ पाया. इस तरह का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में सहकारी बैंकों में है.

श्री बाला बच्चन-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा जो उल्लेख किया. मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, 11 सौ ट्रेक्टर का फर्जी ऋण वितरण का काम सीधी बैंक ने जो किया है, उसमें मेरे 2 उस दिन प्रश्न लगे हुए थे, किसी कारणवश से नहीं आए. मैं उसमें आधे घंटे की चर्चा भी चाह रहा हूँ. जिसमें सारी चीजों का स्पष्ट खुलासा भी हो जाएगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- उसमें माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था देंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु क्रमांक 9 में कृषि कर्मण पुरस्कार की चर्चा कर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है. यह असत्य आश्चर्यजनक है कि सरकार को यह भी नहीं मालूम कि खेती का कितना रकबा बढ़ा है पिछले 10 सालों में और किसानों की कितनी संख्या बढ़ी है. यह जानकारी छिपाने का कोई अर्थ नहीं है. यदि यह भी जानकारी अभिभाषण में होती तो कम से कम एक तथ्य तो जुड़ जाता.

एक माननीय सदस्य-- पढ़ रहे हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल-- बिल्कुल. उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारी बहन आदरणीया जो दीदी चिटनिस जी हैं. जब उन्होंने अभिभाषण का गुणगान किया था तो बिन्दुवार पढ़ कर किया था तो हम तो पहली बार के सदस्य हैं. हम लिख कर ले आए हैं, पूरा अध्ययन करके आए हैं, तो इसमें हम समझते हैं कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा. उपाध्यक्ष महोदय,अभिभाषण के बिन्दु क्रमांक 12 में जैविक खेती में प्रदेश को आगे बताया है. लेकिन प्रदेश से जैविक उत्पादों का कितना निर्यात हुआ है किसी को पता नहीं है. बिन्दु क्रमांक 15 में दुग्ध उत्पादन बढ़ने की बात की गई है. यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि दुधारू पशुओं की संख्या बढ़े बिना दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ गया, यह चिन्ता का विषय है. ताजी पशु गणना में गौ वंशीय पशुधन पूरे देश में 3 प्रतिशत कम रहा है. फिर मध्यप्रदेश में कैसे बढ़ गया, यह आँकड़ों का खेल है. यदि दूध का उत्पादन बढ़ा है तो कुपोषित बच्चों को सरकार फ्री में दूध क्यों नहीं देती. कुछ तो भला करो. सिर्फ बिजनेस करना तो सरकार का काम नहीं है. उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के बिन्दु क्रमांक 17 में सिंचाई बढ़ाने की बात की गई है. सिंचाई के आँकड़े पर सरकार कभी भी स्थिर नहीं रही है. हर दो महीने में आँकड़ा बदल जाता है. कभी कहते हैं 25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो गई, मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर जो वाचन किया किया उसमें बताया कि 30 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो गई और अभिभाषण में लिखा है कि 27 लाख 40 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया. कभी कहते हैं कि रबी में बढ़ा कभी कहते हैं कि खरीफ में बढ़ा. कम से कम हमारे मंत्रियों को तो इस विषय में सही जानकारी होना चाहिए.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार को चिंता करनी चाहिए कि जो हम सरकारी डाटा या परिपत्र जारी करते हैं, बयान जारी करते हैं उसमें और अभिभाषण में अंतर न रखे. क्योंकि उसी विभाग के उन्हीं आंकड़ों में एक महीने में कैसे अंतर आ गया ? यह सरकार के लिए चिंता का विषय है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं फर्जी आंकड़ों का जो खेल चल रहा है यह बिल्कुल सामने है, इसको सरकार देख सकती है. हम आपके समक्ष भी इस बात को रखेंगे.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के क्रमांक- 20 में नर्मदा-मालवा-गम्भीर लिंक परियोजना की चर्चा है. ऐसा लगता है कि सरकार ने नर्मदा जी का पानी खत्म करने की जिद पकड़ ली है . जब नर्मदा जी का बहाव कम होगा तो उसका असर सब पर पड़ेगा, बिजली बनना बंद हो जाएगा और नर्मदा जी के स्त्रोत पर जबर्दस्त दबाव पड़ेगा, पर्यावरण पर भी दबाव पड़ेगा, नुकसान होगा लेकिन सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है. आगे बिंदु क्रमांक-22 में फिर असत्य बात है. रोज अखबारों मे छप रहा है कि आज इस इलाके की बिजली गुल रहेगी और सरकार कह रही है कि 24 घन्टे बिजली दे रहे हैं. बिजली उत्पादन, वितरण और किन स्त्रोतों से बिजली खरीदी हुई इस पर भी श्वेतपत्र लाना चाहिए . हम लोग रोज ही अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या से जूझते रहते हैं. ट्रासंफार्मर अगर जल गये हैं तो छह-छह महीनों तक नहीं बदले जाते हैं .बिजली के बिल जमा रहते हैं उसके बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं. गांव-के-गांव लाइट काट दी जाती है . लोगों के यहाँ बिजली के तीन-तीन बिल आ रहे हैं. इस तरह के गरीबों को, किसानों को परेशान किया जा रहा है . सिर्फ अभिभाषण में ही प्रशंसा की गई है,जमीनी स्तर पर कुछ भी सच्चाई नहीं है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु क्रमांक-32 में ग्रामीणों क्षेत्रों में 37 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में शौचालय बनाने का उल्लेख है . जैसा कि कई सदस्यों ने यहाँ पर सरकार का गुणगान किया,सरकार को यह भी बताना चाहिए कि श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा चलाए गए संपूर्ण स्वच्छता अभियान से कितने शौचालय बने ,इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग कहाँ और कैसे हुआ? सच बात तो यह है कि ज्यादातर राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और मौके पर शौचालय मौजूद भी नहीं हैं. बिंदु क्रमांक 37, 38, 39, 40, 41 में शिक्षा की चर्चा है . एक बात साफ है कि शिक्षकों की कमी के चलते सरकार की गिनाई गई उपलब्धियाँ मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं.कई जगह शिक्षक नहीं हैं और आओ बनाए मध्यप्रदेश की बात की जाती है, जब शिक्षक ही नहीं हैं तो इन उपलब्धियों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है. व्यापम की परीक्षाएं बंद हैं, नौजवान भटक रहे हैं. जिन बच्चों ने अभी 12 वीं पास की है या 12 वीं में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकारमय है ,

उनको राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बैठने के लिए कह दिया गया और वस्तुस्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों में प्रॉपर पढ़ाई होती नहीं है.जब उनको शिक्षा नहीं मिल रही है तो वे राष्ट्रीय स्तर का एन्ट्रेंस एग्जाम कैसे देंगे, किस तरह से उनका सिलेक्शन होगा. उच्च शिक्षा की बात कर हैं इतना बड़ा असत्य बोलने में सरकार को (XX). बिन्दु क्रमांक-50 पर एक और असत्य कि क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना है. प्रवाहमान बनाने के लिए नर्मदा से लगातार पानी बहाने की जरुरत होगी या क्षिप्रा को एक जलाशय के रुप में उपयोग करना पड़ेगा, यह मालूम रहते कि क्षिप्रा सिर्फ नर्मदा के जल प्रवाहमान नहीं रह सकती. सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया. आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है. बिन्दु क्रमांक 57,58,59, 60 में गिनाई गई उपलब्धियों की पोल खुल गयी है जब सरकार स्वाइन फ्लू को रोकने में नाकाम रही है. सब कुछ जानते समझते विशेषज्ञों की सलाह मिलने के बावजूद रोकथाम के उपाय नहीं करना सरकार का एक आपराधिक काम है. मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है. सरकार को इस पर चिन्ता करनी चाहिए. बिन्दु क्रमांक-65 पर एक और बड़ा असत्य, इसमें कहा गया कि इन्दौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल 5.89 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जब कि उस समय प्रचारित किया गया था कि 6.89 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं. आंकड़ों का असत्य बहुत आम बात हो गयी है. सरकार के अब तो आंकड़ों पर विश्वास हट गया है केवल 4 महीने में 1 लाख करोड़ निवेश कम कैसे हो गए, यह बड़ी चिन्ता का विषय है. जो उस समय सरकार ने प्रेस रिलीज जारी की थी वह भी हमारे पास है. आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, आये दिन चैन स्नैचिंग, लूटपाट हो रही है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप समाप्त कीजिए. जब बजट पर चर्चा होगी तो शेष बातें उसमें कर लीजिएगा.

श्री कमलेश्वर पटेल-- कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में बहुत खराब है, एटीएम भी लूट रहे हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी मारे जा रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे

अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यह अभिभाषण सरकार के असत्य का पुलिन्दा है उसका हम विरोध करते हैं. धन्यवाद.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी(मेहगांव)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्तापक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ. मध्यप्रदेश कभी संभावनाओं का प्रदेश कहा जाता था. संसाधनों के आधार पर लगाये जाने वाला अनुमान ही संभावना कहा जाता है किन्तु अब मध्यप्रदेश संभावनाओं से सच बना सकने के सामर्थ्य रखने वाला प्रदेश बन गया है. अपने निर्माण के 58 वर्ष पूर्ण कर चुके इस प्रदेश का हर नागरिक इस तथ्य को गहराई से अनुभव और अभिव्यक्त कर सकता है और कर रहा है. जिस प्रकार नारायण ने पृथ्वी को रसातल की गहराइयों से, समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाला था उसी प्रकार इस प्रदेश की जनता ने महावरा का रुप धारण कर, महावरा का भाव प्रकट कर इस प्रदेश को पिछड़ेपन के कलंक से मुक्त करते हुए शुक्र की तरह दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह देश के आकाश पर विरुपित किया है. लोकतंत्र में नर ही नारायण होता है किन्तु यह नारायण अवचेतन अवस्था में था और इस अवचेतन अवस्था से उस नारायण को स्वाभाविक रुप से जन दैव को जागृत करने के लिए जिस पवित्र प्रार्थना, अथक अनुष्ठान और प्रेरणा के पुरुषार्थी यज्ञ की आवश्यकता होती है, वह यज्ञ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूर्ण किया है. श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने 9 वर्षीय मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में इस प्रदेश को उसी प्रकार संपन्न किया जिस प्रकार नवदुर्गाकाल में कोई साधक विकार रहित होकर संकल्प और समर्पण भाव से यज्ञ संपन्न करता है. यह भाव रखना, यह संकल्प रखना सहज नहीं होता है. हर व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता है, जो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में करके दिखाया है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मध्यप्रदेश बना निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाकर इस प्रदेश का गठन हुआ था, क्षेत्रीयता का भाव हर व्यक्ति के अपने मन में था, कुछ लोग अपने आपको मालवीय मानते थे, कुछ अपने आपको विंध्य प्रदेश के मानते थे, कुछ बुंदेली तो कुछ बघेली मानते थे और कुछ

अपने आपको भोपाली कहने में गर्व महसूस करते थे और छत्तीसगढ़िया तो अपने आपको सबसे बढ़िया कहता ही था. कालांतर में वह एक अलग प्रदेश के रूप में बन गया, मध्यप्रदेश के शेष जो बचे, मध्यप्रदेश को अपना प्रदेश मानकर उसके उत्थान में भावनात्मक सक्रियता उत्पन्न करना एक बड़ी चुनौती थी. बिना भावनात्मक लगाव के विकास पथ पर अपनेपन के समर्पित भाव के नहीं बढ़ा जा सकता था. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मानसिक अवरोध को समझा और उसे दूर करने का प्रयत्न किया. प्रदेश के नागरिकों में एकात्मक भाव जाग्रत कर प्रगति के विजय माल में पुष की तरह गुंज दिया. ये भाव पिछली सरकारें नहीं ला पाई थीं, आज स्थिति यह है कि प्रदेश का हर नागरिक अपने प्रदेश के विषय में व्यक्तिगत रूप से मेरा मध्यप्रदेश और सामूहिक रूप से अपना मध्यप्रदेश कहकर गौरवान्वित अनुभव करता है. मध्यप्रदेश गान के माध्यम से वह अपने प्रदेश को मां की गोद और पिता का आश्रय बताता है. माता-पिता रूपी प्रदेश के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा भाव ने ही हर नागरिक को संघर्ष और श्रम के माध्यम से प्रदेश को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न किया है, जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं. प्रदेश के प्रति नागरिकों के अपनत्व भाव एवं सरकार के अथक एवं समर्पित प्रयत्नों का ही परिणाम है कि कृषि हो अथवा उद्योग का क्षेत्र, एक निर्बल असहाय-सा लगने वाला प्रदेश पूरे देश को अपनी प्रगति की सबल मांसपेशियां आज दिखा पा रहा है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोयाबीन राज्य का दर्जा हो, कृषि उत्पादन में कीर्तिमान हो, विकास दर का शिखर हो अथवा प्रतिव्यक्ति आय का आयाम, हमने चहुँमुखी सफलता प्राप्त की है. लगभग 25 प्रतिशत कृषि विकास दर 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संसाधन देश का 40 फीसदी जैविक उत्पादन, सोयाबीन, चना उत्पादन में नंबर वन, गेहूँ एवं सरसों उत्पादन में नंबर टू. खेती को लाभ का धंधा बनाने का माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का साकार होता हुआ स्वप्न, किंतु कोई भी स्वप्न बिना परिश्रम एवं पुरुषार्थ के साकार नहीं होता. सरकार ने इसके लिए अथक परिश्रम किया, किसानों को शून्य प्रतिशत ऋण, सिंचाई की सुविधा, खाद की उपलब्धता

तथा निरंतर विद्युत प्रवाह, कभी घंटों तक अंधकार में डूबे रहने वाले प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्धता तमसो मा ज्योतिर्गमय के मंत्र को सिद्ध करती है. यह ठीक है कि मध्यप्रदेश देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन गया है, सकल घरेलू उत्पादन लगभग 11.8 प्रतिशत है, कृषि विकास की उत्पादन दर 25 प्रतिशत है. पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की कुल राजस्व आय 5 गुना बढ़कर 33382 करोड़ रुपये हो गई है और औद्योगिक विकास दर 15 प्रतिशत है, किंतु औद्योगिक विकास दर में वृद्धि की विपुल संभावनाएं आज भी शेष हैं. मध्यप्रदेश भारत में हीरों के उत्पादन का एकमात्र राज्य है और देश की सबसे बड़ी हीरा खदान ओपन कास्ट कॉपर माइन खदान यहीं पर है. प्राकृतिक संसाधनों में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, सिलिकॉन, सीमेंट भरपूर मात्रा में उपलब्ध है. वस्त्र, सोया ऑप्टिकल फाइबर का पर्याप्त उत्पादन होता है, संसाधनों के दोहन और निर्माण की प्रक्रिया में निवेशकों को शामिल करने के सघन उपाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से हुए. समिट में 689 लाख करोड़ के निवेश करार हुए हैं. उद्योगों की स्थापना, उनके संचालन के लिए अधोसंरचना विकसित करने के लिए सरकार 745.21 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और 5 वर्ष में 3000 करोड़ रुपए से 27 नये औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है, जो कपड़ा इनफोटेक एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देंगे. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. निश्चित रूप से जब यह शहर स्मार्ट सिटी बन जाएंगे तो यह शासन जो कि और 20 वर्ष तक चलने वाला है, जिस प्रकार से यह कार्य कर रहा है, उससे यह परिलक्षित हो रहा है. निश्चित रूप से यह मानिएगा कि अन्य शहर भी प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किये जाएंगे. वर्ष 2018 तक भोपाल, इंदौर के मध्य लाईट मेट्रो ट्रेन भी दौड़ सकती है. इन्हीं शहरों के बीच औऔद्योगिक नगर भी बसाए जाना हैं . इन्वेस्टर्स समिट में जो निवेश करार हुए हैं, उनसे 5 साल में 2 लाख नये रोजगार सृजित होने की संभावना है. बड़े उद्योगों के साथ प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने की योजना भी सरकार ने बनाई है. ताकि स्थानीय क्षमता एवं मेधा का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोग हो तथा युवा स्वावलंबी भी बने और उन्हें रोजगार

के अवसर भी प्राप्त हों. विकास के लिए विद्युत, जल, परिवहन जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं को मध्यप्रदेश भलीभांति पूरी कर रहा है. भविष्य में भी इनकी कोई कमी नहीं होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, अटल ज्योति योजना ने देश में प्रदेश का मान बढ़ाया है. अगले 5 वर्षों में प्रदेश का विद्युत उत्पादन 20000 मेगावाट हो जाएगा. एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयत्र गुढ़ (रीवा) में स्थापित हो रहा है. मंडला जिले में चुटका परमाणु संयत्र भी स्थापित होने जा रहा है. इन दोनों संयत्रों के स्थापित होने से निश्चित रूप से प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, वर्तमान में भी आत्मनिर्भर है. बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है. यह सदन जनता के निर्णय का आयना होता है. इस सदन की तस्वीर आपके सामने बड़ी स्पष्ट है कि जनता ने क्या निर्णय दिया और क्या आयना सृजित किया. प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा एवं अन्य नदियों पर बने बांधों से जल एवं विद्युत की अबाध आपूर्ति हो रही है. देश के मध्य में स्थापित होने के कारण रेल एवं विमान सेवाओं से चहुमुखी संपर्क होता है. जहां तक सड़कों का सवाल है आगामी कुछ वर्षों में 10000 कि.मी. की नयी सड़कें बिछेंगी. जबकि जिला मुख्यालयों की 11000 कि.मी. की सड़कें सुधरेंगी. 7161 नये गांव मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़े जाएंगे. सभी संभागीय मार्ग फोर लेन होंगे और सभी जिला स्तरीय मार्ग टू लेन के होंगे. ऐसी सरकार की इच्छा है और सरकार ऐसा प्रयत्न कर रही है. परम्परागत औद्योगिक विकास के साथ आधुनिक आईटी क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगले 5 वर्ष में इंदौर आईटी हब के रूप में अपने आपको विकसित कर लेगा. क्योंकि वहां साफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीसीएस, इनफोसिस भिन्न-भिन्न प्रकार की क्षेत्र की नामी बड़ी कंपनियां काम शुरू करने जा रही हैं. इसके अलावा 4 आईटी विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र एसईजेड भी आकार ले रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - श्री मुकेश जी दो मिनट में समाप्त करें.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - मैं दो या तीन मिनट और लूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय - यह अर्चना जी ने पढ़ने वाला रोग लगा दिया है कि बड़े अच्छे-अच्छे वक्ता, आप भी बहुत अच्छे वक्ता हैं. दो मिनट में आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - उपाध्यक्ष महोदय, We have to prepare it by ourselves. खुद तैयार करते हैं. उसका इतने कम समय में रट्टा लगाना बहुत मुश्किल होता है. उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की विकास कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल भौतिक प्रगति की है, भौतिक प्रगति का ही अथक प्रयत्न नहीं किया बल्कि मानवीय संवेदनाओं से युक्त होकर गरीब महिलाओं एवं वरिष्ठजनों के लिए भी ऐसी सहृदय योजनाएं बनाई और उन्हें क्रियान्वित किया. देश के अनेक राज्यों ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की तथा उनका अनुसरण किया. चाहे लाड़ली लक्ष्मी योजना हो, अथवा प्रसव कालीन सहायता योजना या वृद्ध जनों की तीर्थ योजना हो. ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दलितों के दुख हरने, बालिकाओं को शिक्षित तथा सबल बनाने तथा वृद्धों की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने या युवाओं को स्वावलंबी बनाने के अथक मानवीय प्रयास किये गये. कहा जाता है कि मध्यप्रदेश के विकास के शरीर में भौतिक सबलता हेतु मानवीय संवेदना की आत्मा का निवास भी है. आज प्रदेश आंतरिक और बाह्य विकास की अद्भुत एवं आनन्दमयी आभा से आलोकित है.

उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने क्षेत्र कीबात करूंगा, आज के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात कहूंगा. हमारे क्षेत्र में नहरों का एक बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ था लेकिन पिछले 10 वर्षों में मैं 2003 से पहले की बात कर रहा हूं सिंचाई का संपूर्ण जाल समाप्त कर दिया गया था. यह पिछले 10 वर्षों में पुन: सिंचाई का क्षेत्र विकसित हुआ है. आज स्थिति यह है कि टेल एण्ड तक सरकार के प्रयोजन से, सरकार के सहयोग से और सरकार के अथक प्रयासों से पानी पहुंच रहा है किसान तरक्की कर रहेहैं किसान ज्यादा उपार्जित कर रहे हैं. अभी मेरे कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उत्पादन कैसे बढ़ा है तो उसका यह कारण है कि सिंचाई बढ़ी , बिजली बढ़ी और उससे उत्पादन बढ़ा है निश्चित रूप से आपने मुझे समय दिया आपने मुझे सहज भाव से सुना उसके लिए धन्यवाद. जय हिन्द जय मध्यप्रदेश.

श्री दिनेश राय (सीवनी) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय राज्यपाल जी के अभिभाषण के संबंध में मैं अपनी बात रख रहा हूं. वास्तव में मध्यप्रदेश की सरकार के मुखिया की जो कार्य प्रणाली है वह वास्तव में मध्यप्रदेश को आगे ले जाने वाली है. जैसे वे दिल हृदय से सबसे चर्चा करते हैं वैसे ही मैं सदन से कामना करता हूं ईश्वर से तो नहीं करता वैसे ही दिल उनके सभी मंत्रियों में भी आ जाय . वैसा व्यवहार आ जाय कि वैसे ही वे सभी भी सब से उसी तरह से मिलें जुलें, जिससे मध्यप्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़े. अभी बात आयी कथा की, कहीं पर राग दरबारी कहीं पर चालीसा अभी शर्मा जी ने भी कहा कि हमारे पूर्व बुजूर्ग या हमारे सीनियर वक्ता जो आचरण करते हैं वह हमारे ऊपर भीआता है. कई फिल्मों देखते हैं कि विलेन का रोल करने वाला लगातार फिल्मों में लगातार विलेन का रोल करता है तो उसे देखते ही लोग विलेन कहने लगते हैं ऐसे ही हमारे आदरणीय जब भी खड़े होते हैं सब उनको बोलते हैं कि आप बैठ जायें उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है सभी बोलने लगते हैं कि बैठ जायें तो वह बात आचरण में आ जाती है. हम भी चाहते हैं कि हम वह आचरण न करें अच्छा आचरण आये सदन के सीनियर लोग तो हम लोग भी वैसा आचरण कर सकेंगे.

वास्तव में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो या विद्युत का क्षेत्र हो सभी में तरक्की हुई है. किंतु कहीं न कहीं मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेरा सिवनी जिला बहुत पिछड़ा हुआ है. वहां पर काफी कमियां हैं हम चाहते हैं किउस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाय. अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण में मेडीकल कालेज की चर्चा की गई. हमारे यहां पर भी स्वीकृत हुआ है लेकिन अभिभाषण में क्यों नहीं आया है. इस बात से हम दुखी हैं हम चाहते हैं कि उसको पुन: उस अभिभाषण के माध्यम से उसको सम्मिलित करें. आज यहां पर कुटीर उद्योगों की कमी है.

सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में स्कूल से शिक्षकों को लगा दिया जाता है, सरकार की योजनाओं में लगा दिया जाता है तो बच्चों कि शिक्षा का स्तर कैसे उठेगा. कहीं न कहीं शासन को

इसके लिए अलग से व्यवस्था करें जिससे हमारे शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी न लगे, सरकारी योजनाओं में ड्यूटी न लगे जिससे बच्चों का शिक्षा का स्तर उठ सके.

मेरा यह भी कहना है कि आप कर्मचारियों की भर्ती जरूर करें. हर विभाग में कमी है आप मेडीकल कालेज में देख लें, आप अस्पताल में देख लें, शिक्षा विभाग में, वन विभाग में, पुलिस विभाग में नहीं हैं. सभी जगह पर हमारे यहां कर्मचारियों की कमी है. आप बिजली विभाग का सबसे बड़ा नमूना देखें आप जो ईमानदार है बिजली का बिल पटाता है वह ही सबसे ज्यादा दुखी है अब तो 25 से 50 प्रतिशत कर दिया है गांव की बिजली काटने का जिस गांव का बिजली का बिल 50 प्रतिशत लोगों ने नहीं भरा है उसकी लाइट काट दी जायेगी. जब वह ईमानदार आदमी उस 50 प्रतिशत राशि को पटायेगा तोफिर वह चोर व्यक्ति अपना अपना कड़ा लगाकर बिजली जलायेगा. कहीं न कहीं आपके कर्मचारी दोषी हैं आप उनको दण्डित करिये वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से वहां पर जाकर करें.

आप खनिज के अवैध माफिया को देख लें हमारे यहां पर टोल की अवैध वसूली चालू है. ख्वासा एक बेरियर हैं जहां परकरोड़ो की वसूली होती है. कहीं न कहीं सरकार से अंकुश लगाने की बात कहना चाहूंगा . सरकार अच्छा काम करना चाहती है कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं में चूना लगा रहे हैं. इस पर अंकुश लगाने का मैं अनुरोध करता हूं. मैं चाहूंगा कि बच्चों की परीक्षा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पर अंकुश लगाने का मैं अनुरोध करता हूं. मैं चाहूंगा कि बच्चों की परीक्षा जिसमें सरकार ने 8 वीं और 10 वीं तक छूट दे दी है यह निर्णय सर्वथा गलत है. हर साल बच्चों की परीक्षा हो, उनके रिजल्ट हमारे सामने आये उनके पालकों के सामने आये, परिवार के सामने आये, क्योंकि अभी हमें 8 वीं तक तो पता नहीं रहता है कि हमारा बच्चा कितना होश्यार है. जब वह बड़े स्कूलों में जाता है तब पता चलता है कि तीसरे और चौथे नंबर पर आता है . मध्यप्रदेश में इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांश बच्चे 8 वीं और 10 वीं के बाद में सिर्फ इन्हीं योजनाओं की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि जब वह पढ़ाई में

कमजोर होते हैं जब बड़ी क्लास में गांव से निकलकर के शहरों में जाते हैं वहां पर जाकर के बच्चे पीछे हो जाते हैं उसका सिर्फ यह कारण है कि आपने प्रतिवर्ष उनकी परीक्षा नहीं ली है .

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां मेडिकल कॉलेज अतिशीघ्र खोला जाये. चाहे हमारे यहां इंजीनियरिंग कालेज का मामला हो,महिला कालेज का भवन बना हुआ है लेकिन वह आज तक हस्तांतरित नहीं हुआ है. प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि अभी तक एक भी सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है न ही कोई नया कार्य प्रस्तावित किया गया है . हम कैसे मान लें कि आप चारों तरफ चहुंमुंखी विकास करेंगे . मजरे टोलों में बोलते हैं कि हम रोड बनाने का प्रावधान रखे हुये हैं लेकिन आप बड़े ग्रामों को तो सड़क से पहले जोड़ लें . जब तक यह रोड नहीं बनेगा तब तक मजरे टोले की रोड की बात तो मजाक समान लगता है, ऐसा लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं और सिवनी की जनता के साथ में अत्याचार कर रहे हैं. किसानों को डेढ़ साल के बाद में अभी मुआवजा मिला है . हमारे यहां पाली हाउस बने हुये हैं, 10 बार मैं विधानसभा में इस बात को बोल चुका हूं. आज तक जांच नहीं हुई है क्योंकि उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लड़के वहां पर सप्लाई कर रहे हैं. एक ही बात आती है एलयूएन के रेट, भाई वहां का भी तो रेट आप पता करिये कि वह मार्केट दर से कितने ऊपर है. उसकी गुणवत्ता देखना चाहिये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कन्यादान योजना की बात कहना चाहता हूं. कन्यादान योजना में सरकार की तरफ से जो कन्याओं को सामान दिया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता देख लीजिये, एक दान का सामान है तो वह दान के सामान के रूप में ही लेते हैं घर में रख देते हैं, कम से कम उनका उपयोग तो हो उसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का वितरण किया जा रहा है . कहते हैं कि नहरों और लाईनरों के कार्य के लिये राशि प्रदान की गई है. मेरे जिले सिवनी में तो किसी भी लाईन के लिये कोई राशि नहीं दी गई है जो दी जाती है उससे सिर्फ नहर में झाड़ू लगाने लगाई जा सकती है, नहर खोदी या साफ नहीं की जा सकती है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के पक्ष में हूं लेकिन कहीं न कहीं मेरे जिले के साथ में गलत हो रहा है और मैं इसके लिये पूरे दावे और ईमानदारी से अपनी बात कह रहा हूं..

श्री बाला बच्चन- उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आया आपने प्रारंभ किया तब से हम सुन रहे हैं कि आपके जिले में कुछ नहीं किया तो सरकार के पक्ष में आप किस पाईंट आफ व्यूह से हैं क्योंकि पूरी बात तो आप सरकार के खिलाफ में कह रहे है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- बालाभाई न पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष.

श्री दिनश राय --देखिये सरकार की जो अच्छाई है, जो सत्यता है वह हम सरकार के सामने ला रहे हैं.

श्री बाला बच्चन-- आपके जिले में कुछ भी नहीं हुआ फिर भी सरकार के पक्ष में यह बात समझ से परे है.

उपाध्यक्ष महोदय-- दिनेश जी जी आप समाप्त करें. आपकी बात आ गई. आपकी बात का निचोड़ आ गया है.

श्री दिनेश राय--उपाध्यक्ष जी सरकार ने जो फ्लेट रेट बिजली का दिया है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं. लेकिन कटौती और अवैध वसूली को रोका जाये. उपाध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया उसके लिये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद.

श्रीमती उषा चौधरी(रैगांव) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का काम है उपलब्धियों को गिनाना और विपक्ष का काम है सरकार की गलतियों को उजागर करना. सरकार की कमियों को सदन के अंदर उजागर करना. सरकार का कर्तव्य है कि उन गलतियों और उन कमियों को देखते हुये उसमें निष्पक्ष तरीके से सुधार करना. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं. मैं दो तीन मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं. इस मध्यप्रदेश के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बजट आया है, उसके बारे में बताया गया है कि नगर नगर और गांव

गांव में सड़कें हैं. मैं कहीं और की नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं. मेरे विधानसभा क्षेत्र में हाईवे बनी होंगी जिसमें बड़े बड़े उद्योग पतियों के ट्रक और बसें चलती हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिये पैदल तक चलने के लिये सड़कें नहीं हैं. घुटनों घुटनों तक पानी गांव में भरा हुआ है. सड़ रहे हैं. सड़कें पर गंदगी का अम्बार है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बीमार, मरीज हो रहे हैं और सतना जिले की हास्पीटल तो ऐसी है कि मरीजों को बेड तो दूर, बिस्तर, जमीन नहीं मिल रही है. वहां पर इतनी तेजी से मरीज आ रहे हैं, उनको जमीन भी ठीक से नहीं मिल रही है. जानवरों की तरह पड़े रहते हैं. यह स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है. पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. मैंने अभिभाषण में देखा कि 700 करोड़ रुपया उज्जैन एवं इन्दौर जिले के मन्दिरों के लिये प्रावधान रखा गया है. इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग भी रहते हैं. उनकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं. हमारे सतना जिले में रामबन स्थित में एक रविदास जी का मन्दिर जो जीर्णोद्धार हो रहा है. वहां पर 2012 में 17 करोड़ रुपया लगाया गया. लेकिन 17 रुपये तक रविदास मन्दिर में आज तक नहीं लगाये गये. इस देश में सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता बौद्ध सद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनकी प्रतिमा संसद के बाहर लगी हुई है. 1952 में इस देश के कानून मंत्री, जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान के अन्दर प्रावधान है कि 47 अनुसूचित जनजाति के और 35 अनुसूचित जाति के विधायक चुनाव जीतकर सदन के अन्दर बैठते हैं. लेकिन आज तक सदन के अन्दर इस देश के सर्वोपरि, 2012 में इस देश में मोबाइल के माध्यम से वोट किया गया कि इस देश के सबसे बड़े महापुरुष कौन हैं. उसमें 1 करोड़ से ज्यादा 2012 में वोट पड़े और इस देश में चुना गया, 11.12.2012 को सर्वश्रेष्ठ महापुरुष माने गये और भारत रत्न भी मिला. लेकिन आज की तारीख में मध्यप्रदेश के अन्दर उनकी प्रतिमा सदन के अन्दर नहीं है. मेरा सरकार से अनुरोध है कि सदन के अन्दर 14 अप्रैल,2015 को उनकी प्रतिमा को सदन के बाहर ससम्मान से लगाई जाय और 14 अप्रैल को उसका अनावरण किया जाय, यह मेरा सरकार से अनुरोध है. ऐसे अनुसूचित जाति,

जनजाति के क्षेत्र में एक रुपया नहीं दिया गया. मैंने पिछले सत्र में भी बोला था कि सतना जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति के सबसे महान गुरु संत शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब होता है गुरुओं के गुरु. संत शिरोमणि रविदास जी का आश्रम बनाने के लिये, जिसको सतना जिले से नहीं पूरे प्रदेश से लोग काशी में रविदास जयंती मनाने के लिये जाते हैं. लेकिन जो गरीब लोग, जो निचले तबके के लोग वहां नहीं जा पाते हैं, कम से कम सतना जिले में मैंने कहा था कि बरहातला गांव में जो सरकारी जमीन पड़ी है, जो लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, वहां पर रविदास आश्रम बनवाया जाय. ताकि दलित, शोषित समाज के लोगों को पूजा अर्चना के लिये स्थान मिल सके. सड़कों के मामले में मैंने बताया है कि आज सतना जिले में खासकर मेरे रैगांव विधान सभा में नहीं पूरे जिले में अनुसूचित जाति के दलित वर्ग के लोगों के राशन कार्ड समाप्त कर दिये गये हैं. उनको ठीक से राशन नहीं मिल पाता है. गरीब तबके के लोग जो एक बत्ती कनेक्शनधारी लोग हैं, उनको चार-चार हजार रुपये बिजली का बिल आता है. जिनको डेढ़ सौ रुपया वृद्धा पेंशन मिलती है, वह भी 8-8,9-9 महीने नहीं मिलती. लेकिन उनको 4-4 हजार रुपये बिजली का बिल आता है. ऐसे में वे आत्महत्या करने की कगार में हैं. सतना जिले की बिजली व्यवस्था तो चरमराई हुई है. 4 हजार रुपये बिल तो आता ही है. सोहावल ब्लॉक में बिलहटा गांव में जैसे अभी हमारे भाई दुर्गालाल जी कह रहे थे कि आज पूरे प्रदेश में नहरें पक्की कराई गई हैं. अभी सतना जिले के बिलहटा गांव में नहर बह गयी. किसानों की खेती डूब गई. कम से कम पचासों एकड़ किसान उसमें तबाह हो गये. पूरे पानी से लबालब खेत भर गये, जहां अनाज नष्ट होने की कगार में है. यह है नहरों के पक्की होने की उपलब्धि. जिस तरह पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या बचाओ अभियान और महिलाओं की सुरक्षा की बात कही है. लेकिन अभी बकिया बांध में 3 दिन पहले 18 साल की बच्ची मरी पाई गई, जिसके हत्यारे का पता नहीं चल रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय--ऊषा जी, एक मिनट में समाप्त करें.

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग भी विपक्ष के हैं, भले ही 4 हैं, पर किसी को कांधा देने के लिये 4 की ही जरूरत पड़ती है और हमें भी समय दिया जाये, तमाम कहानियां और भूमिकायें सुनी जाती हैं पर हम जमीनी स्तर पर बात करते हैं, इसमें समय में बांध दिया जाता है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--4 में महिलाओं का प्रतिशत भी तो है.

उपाध्यक्ष महोदय--कंधा किसे देंगी ?

श्रीमती ऊषा चौधरी--महिलाओं को भी कांधा देने का कानून में 50 परसेंट अधिकार है, महिला पुरूष में अंतर नहीं है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--हां, तो 2 वह भी तो हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी--तो 2 और 2 चार हैं, जब 4 की जरूरत पड़े, तो बताइये. अभी सतना जिले में कानून व्यवस्था में 12 साल का बेटा 1 महीने से लापता है, जिसका पता आज तक नहीं हुआ. कैंसर पीड़ितों की जो लिस्टें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, उसमें जो अनुदान राशि दी जाती है, 3-3 महीने, 4-4 महीने आपके मंत्रालय सचिवालय से यहां से पास होकर कंप्यूटर में चला जाता है, लेकिन मरीज तक आज तक नहीं पहुंच पाता, उनकी कीमोथेरेपी के इंजेक्शन और जो दवाइयां हैं, मरीज कर्ज लेकर या जो भी अपने गहने, जमीन बेचकर स्व वह अपना इलाज कराता है, पर उनकी सहायता नहीं हो पाती है. कंप्यूटर में तो फीड है, लेकिन वास्तव में क्षेत्र में और हास्पिटल में आज तक पैसा नहीं पहुंच पाया है. दलित बस्तियों में इतनी तेजी से शराब बिक रही है, जिसका उदाहरण यह है कि अभी रैगांव विधान सभा के खामा ग्राम पंचायत में शराबखोरी पर एक दलित की की हत्या कर दी गई और पुलिस ने अभी तक उसका कोई पता नहीं लगाया है और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, नशे की हालत में उनकी लाश बरबाद हो रही है और एजूकेशन तो दूर की बात है, उनका पढ़ाई से सारा दिमाग हटता जा रहा है और नशे की लाइन में जा रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाये और शराब ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाये कि अनुसूचित जाति, जनजाति की

बस्तियों में यहां तक जहां स्कूल हैं, वहां भी शराब बिक रही है और सरकार इस पर आज तक रोक नहीं लगा पाई है. अन्त में मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब कार्यक्रमों में सतना जाते हैं, उनके भाषण बहुत अच्छे रहते हैं और हम लोगों को और जनता को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उसमें अगर जमीनी स्तर पर थोड़ा-बहुत भी काम हो, तो क्षेत्र की जनता खुशहाल होगी, किसानों को आज तक उनका ओला पीड़ित, अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिला है, इसी का निवेदन करते हुए आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय--आपका भाषण बड़ा प्रभावी रहा, धन्यवाद.

श्री मानवेन्द्र सिंह (महाराजपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं. मैं कुछ बिंदुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. प्रथम जो प्रदेश में ऊर्जा की आवश्यकताओं की जो पूर्ति हुई है, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि प्रदेश में जो बिजली की समस्या थी, वह काफी हद तक दूर की गई है और अभी जो रीवा जिले में गुढ़ में विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लान्ट की स्थापना के लिये जो तैयारी की गई है, उसके लिये मैं अपने मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और उससे हम सभी को प्रेरणा मिलेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की कमी है, सोलर ऊर्जा से उसकी पूर्ति की जायेगी. मैं विद्युत विभाग के संबंध में एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो बिजली के बिलों में थोड़ी समस्या आती है कि जो मीटर रीडिंग आती थी, पहले कार्ड लगाये जाते थे वह लिखी रहती थी कि इस महीने की इतनी रीडिंग आई, इसकी इतनी आई, तो उससे विभाग को और उपभोक्ता को भी यह मालूम रहता था कि कितना बिल है, उसमें दिक्कत नहीं आती थी और बिल सही आते थे.बिजली के बिलों में जो समस्या आती है पहले कार्ड लगाये जाते थे बिजली के बिलों पर मीटर रीडिंग लिखकर आती थी इस महीने की इतनी रीडिंग आई तथा दूसरी महीने की इतनी रीडिंग आई तो उससे उपभोक्ता को यह मालूम रहता था तथा विभाग को भी कि कितना बिल है

उसमें दिक्कत नहीं आती थी, बिल सही आते थे. कई जगहों पर यह समस्या हो गई है कि बिजली के जो कार्ड लगे रहते हैं, वह नहीं हैं इस वजह से जो लंबे चौड़े बिल आते हैं तो उनको सही करवाना उसमें वापसी पैसा करवाने में समस्या बनी रहती है. मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सभी जगह घरों में मीटर रीडिंग पर कार्डस लगवा दिये जाएं.

श्री.के.पी.सिंह— आप इसको कह नहीं पा रहे हैं कि यह अव्यवस्था है.

श्री मानवेन्द्र सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अव्यवस्था नहीं है, सुविधा उपलब्ध करवाने में कोई दिक्कत नहीं है. मैं सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कर रहा हूं.

श्री.के.पी.सिंह—मंत्री जी को अता-पता नहीं है कि क्या हो रहा है ?

श्री बच्चन नायक—यह सरकार को सुनाने का तरीका है.

उपाध्यक्ष महोदय—जहां पर सुधार की जरूरत है वहां का तो जिक्र करेंगे.

श्री मानवेन्द्र सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार की नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य शामिल है मैं मंत्री जी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज अपने प्रदेश में खोलने की घोषणा की है. जब 7 कॉलेज खुलेंगे तो उसमें आस-पास के जिलों से जिनको दिल्ली, भोपाल आना पड़ता है उसमें आसपास के जिलों के जो भी मरीज़ हैं उनको सुविधा उपलब्ध होगी. इसी तारतम्य में मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि छतरपुर जिले में जो कि उत्तरप्रदेश से लगा हुआ है, टीकमगढ़, पन्ना, काफी जिलों के मरीजों को झांसी एवं ग्वालियर जाना पड़ता है उनको काफी दूर भी पड़ता है. झांसी में तो दिक्कत यह आती है कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है और उनसे अनाप-शनाप पैसे भी चार्ज करते हैं. छतरपुर एक ऐसी जगह एवं जिला है जहां पर कई जिले और उत्तरप्रदेश के भी जो मरीज हैं उनके लिये भी पूरी सुविधा होगी. मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि छतरपुर का ध्यान रखते हुए उनकी घोषणा कराने का कार्य करेंगे.

श्री के.पी.सिंह—यह मेडिकल कॉलेज दतिया ले गये हैं.

श्री मानवेन्द्र सिंह—वह मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज कई हो सकते हैं उसमें दतिया का अलग, छतरपुर का अलग.

श्री के.पी.सिंह—बुंदेलखंड का एक हिस्सा मंत्री जी एक कोने में ले गये हैं.

श्री मानवेन्द्र सिंह—मैं मेडिकल कॉलेज दतिया का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं तो अपनी मांग कर रहा हूं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—यह जिन्दगी में पिछोर में कुछ करा नहीं पाये हैं. यह तो तीतर लड़ाने में लगे रहते हैं. (हंसी)

श्री.के.पी.सिंह—पिछोर में लोग आपकी दुआ से बीमार ही नहीं होते हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज सागर में है दतिया वाले किसी का मेडिकल कॉलेज नहीं ले गये हैं. गुलाब नबी आजाद आपकी पार्टी के थे उन्होंने ही दिया था.

श्री मानवेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2014 में लगभग 248 हज यात्रियों को यहां से भेजा गया था उसके लिये मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं. जो बी क्लास के लोग हैं जो लगभग 70 वर्ष हैं उनके लगभग चार साल से आवेदन आ रहे हैं मेरा अनुरोध है कि इसमें भी कोटा बढ़ाने की शासन द्वारा स्वीकृति दी जाए जिससे कि चार साल से हज पर नहीं जा पा रहे हैं उनको यह सुविधा प्राप्त हो.

उपाध्यक्ष महोदय, खेलकूद के विषय में मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर हायर सेकेन्डरी,इंटर-मीडिएट स्कूल है, वहां पर खेल के मैदान की सुविधाओं की कमी है जहां पर शासकीय जमीन पड़ी है, उनको आवंटित कराने का आदेश शासन की तरफ से रहें. तो उन्हें आवंटित कराने का एक आदेश शासन की तरफ से रहे कि हर जगह इन बड़े-बड़े गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों की व्यवस्था हो जिससे बच्चों में खेल की रुचि बनी रहे और स्वास्थ्य के लिये भी यह आवश्यक है. मेरा अंतिम अनुरोध है ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से कि लावारिस पशुओं की बड़ी दिक्कत हो रही है तो उसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी रोड आदि काफी विकास के

काम किये गये हैं उन पशुओं के लिये कांजी हाऊस की व्यवस्था भी कर दी जाये जिससे किसानों को जो लावारिस पशुओं से ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है जिससे कृषि को बहुत नुकसान हो रहा है. आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन – माननीय सिंह साहब आपने जितने विभागों के मंत्रीगणों का नाम लिया है और संबंधित जो बात और मांग रखी है उससे संबंधित एक भी मंत्री यहां नहीं है.

श्री मानवेन्द्र सिंह - माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमारे प्रभारी भी हैं और जिले की सारी समस्याओं को जानते हैं.

श्री अंतर सिंह आर्य - माननीय बाला भाई, यह जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मेरे पास है.

उपाध्यक्ष महोदय – हर टीम में कुछ आलराउंडर होते हैं तो यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री आलराउंडर हैं. विभाग भी उनका महत्वपूर्ण है.

श्री बाला बच्चन – माननीय उपाध्यक्ष जी, जब से ढाई बजे से सत्र शुरू हुआ है मंत्रीगणों की संख्या बढ़ी नहीं है.

डॉ.नरोत्तम मिश्र - जितनी आपकी कुल संख्या है उतने मंत्री हैं.

श्री बाला बच्चन – संसदीय कार्य मंत्री असत्य बयां कर रहे हैं यहां पर. आप देखिये मंत्रियों की संख्या हमारे तो कितने विधायक बैठे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय – माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप जरा दृष्टि पीछे तक दौड़ायें.

<u>श्री हरदीपसिंह डंग(सुवासरा)</u> – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण के विरोध में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि एक वर्ष हुआ है हमें विधायक बने और सरकार से या मंत्रीगणों से जब भी कुछ विकास के बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि बजट नहीं है. एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास बजट है या

नहीं ? पीडब्लूडी मंत्री जी के पास जाओ तो कहा जाता है बजट नहीं है. उनसे कहो कि हमारे यहां सड़कें खराब हैं उनका नवीनीकरण करना है तो कहते हैं कि पुराने काम पूरे हो जायें तब नये काम चालू किये जायेंगे. अभिभाषण में बताया गया कि 2800 किमी नयी सड़कें बनाई जा रही हैं और 4248 किमी सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है. तो यह बजट पहले का है या वर्तमान का है या आगे आने वाले 5-6 सालों में इसके चांस हैं कि नहीं ? इसमें जो बिन्दु दिये हैं वास्तव में दुख होता है कि बिन्दु इसमें लिख तो दिये जाते हैं लेकिन पिछले 5 सालों में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये एक भी सड़क का प्रावधान बजट में नहीं किया गया है और पंचायत स्तर की जो बात की जाती है. पंचायतों में इन्होंने बताया है कि 37 लाख शौचालय निर्माण कराये जायेंगे. मेरा विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है वहां 320 गांव हैं और 130 पंचायतें हैं. आप टीम बनाकर भेजें अगर वहां शौचालय बने हुए देखें तो आपको इसकी सच्चाई पता लगेगी कि जो शौचालय इस पुस्तक में बताये गये हैं. फील्ड में गरीबों के यहां वह शौचालय नहीं मिलेंगे. सिर्फ आंकड़ों में इसमें दर्शाये गये हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना से बच्चियों को लाभ हो रहा है. मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में 3 शर्तें हैं. 3 शर्तें जब पूरी होंगी तब लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा और मेरा तो मानना है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना सिर्फ शहर के जो लोग हैं उनके लिये उपयुक्त है. ग्रामीण क्षेत्र के लिये इस योजना का कोई उपयोग नहीं है. उसमें 3 जो शर्तें दी गई हैं उसमें पहली शर्त है दो बच्चे होना चाहिये तीन बच्चें नहीं होना चाहिये यह सही है, दूसरा है कि वह 12 वीं पास होना चाहिये और तीसरी है कि उसकी शादी 18 साल बाद होना चाहिये। यह शर्तें उसमें लागू हैं।

श्रीमती माया सिंह :- मेरा कहना यह है कि बच्ची पैसा होते ही 12 वीं पास थोड़े ही होगी। बच्चियों का स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई और उनके विवाह। उन सबकी चिन्ता इस एक योजना ने की है। परन्तु जिस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का तब मिलेगा जब

वह 12 वीं पढ़ी हो । मेरा कहना है कि लड़की जब मेच्योर होगी तभी उसको योजना का लाभ मिलेगा।

श्री हरदीप सिंह डंग :- आप मेरी आगे की लाईन सुन लें, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 12 वीं क्लास खोलने की व्यवस्था करें, अगर किसी ग्राम में 8 वीं का स्कूल है तो वह आगे पढ़ने के लिये 10-15 किलोमीटर नहीं जा सकती है तो इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में जहां पर 12 वीं क्लास का स्कूल है उन्हीं को ही मिल सकता है। यदि 8 से10 किलोमीटर दूर में स्कूल है तो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां वहां पर पढ़ने नहीं जा सकती । इसलिये ग्रामीण क्षेत्र में उस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिये पहले आप 12 वीं का स्कूल खोलें, तभी उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अभी आपने पेंशन की बात कही,यह सभी जानते हैं कि पूरे क्षेत्रों में पेंशन का जो लाभ लेते हैं उनको 6-7 महीने में भी पेंशन नहीं मिल पाती है। वे लोग पोस्ट आफिस और बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। एक और नया नियम बना दिया गया है कि पहले गरीबी रेखा के कूपन नहीं थे जो वृद्धा थी और

विधवा थी उनको पेंशन दी जाती थी । परन्तु अब गरीबी रेखा के कूपन होगें तभी उनको उसका लाभ दिया जायेगा। गरीबी रेखा के कूपन अब जरूरी कर दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि विधवा, विधवा होती है, वैसे तो गरीबी रेखा के कूपन तो लखपति के पास भी हैं, लेकिन गरीबों के पास नहीं है और उस कूपन के कारण उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना की यहां पर बात की गयी है। यहां पर इस योजना में लाखों रूपये खर्च किये गये , हमारे यहां पर एक कोलूखेड़ा गांव है वहां पर उस योजना को दो वर्ष हो गये हैं और पूरा पैसा उस पर खर्च हो गया है आज तक उससे एक बूंद पानी या पानी का टपका, एक तो उसके कारण पूरी पाईप लाईन उखाड़ दी । इस प्रकार की जितनी भी गांवों में योजनाएं चालू की गयी है वह सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। इसमें कोई भी उपलब्धि अभी तक नहीं मिली है।

अगर इसकी जांच की जाए तो इसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आ सकता है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है।

यहां पर सिंचाई की बात की जा रही है। जैसे हम पीडब्ल्यू मंत्री माननीय सरताज सिंह जी के पास गये तो उन्होंने कहा कि बजट नहीं है, अभी पुराने काम पूरे हो जाए वही बहुत है जबकि यहां पर बहुत सारे आंकड़े दिये गये हैं। ऐसे ही सिंचाई के लिये बड़े बड़े आंकड़े दिये गये हैं, हो सकता है कि पूर्व में काम हुए हों परन्तु विगत एक वर्ष में तालाब नवीनीकरण और नवीन तालाब जितनी भी मांग की गयी है, हमारे क्षेत्र में एक भी काम न तो स्वीकृत किया गया है और न ही एक भी स्टाप डेम बनाए गए हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं बजट में चार साल और न निकल जाएं कि बजट नहीं है बजट नहीं है।

कृषि के बारे में कहा गया कि किसानों के लिये हमने बहुत काम किया, अभी जो खाद की मारामारी हुई है, खाद व्यापारियों के यहां मिला है, जो खाद सोसायटी में मिलना था वह खाद जो बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में व्यापारी थे उनके यहां पर खाद उतरा है। वहां पर 400 -450 रूपये बोरी जब वहां पर मिली और कई छापे भी डले, परन्तु उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । यह बहुत गंभीर बात है और अभी 15 दिन पहले मेरी विधान सभा में ओलावृष्टि हुई उसमें नकेड़िया, नसूडिया, खजूरीनाथ,भरतपुरा और जांगड़िया गरीब गरीब 10 -12 गांव हैं ओलावृष्टि हुई, उसमें पिछली बार भी उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया था और यह दूसरी बार मैं देख रहा हूं, मेरा कहना है कि कहीं उनके साथ कोई अन्याय न हो जाए। अपनी बात रख रहा हूं कि उसको सीरियस तरीके से लिया जाये और जो ओलावृष्टि हुई है उनको उसका मुआवजा दिया जाये. ऊर्जा में यह बात कही गई कि जिस डीपी पर बिल जमा हो जाते हैं, इन्होंने कहा है कि पहले 50 प्रतिशत होंगे तब हम डीपी लगायेंगे आज जिन व्यक्तियों के बिल जमा हो जाते हैं बेचारे वे दुखी होते हैं न तो उनकी मोटरें चलती हैं न लाइट की सुविधा मिलती है फिर दूसरा पाइंट इन्होंने रखा कि 25 हजार तक का बिल बाकी है तो 100 प्रतिशत तक का बिल जमा होना चाहिए जब 25 हजार

रुपये बिल बाकी है मतलब अगर 14 हजार रुपये भी बाकी रहेंगे 13 हजार भी बाकी रहेंगे तो उनको डीपी नहीं मिलेगी ऊर्जा विभाग ने यह जो नियम निकाला है यह भी किसान विरोधी है. अनुसूचित जाति वर्गों के लिए इन्होंने कहा था कि बीपीएल के जिनके कूपन हैं उनके बिल माफ कर दिए जायेंगे जब बिल जमा कर दिए तो इनके पुराने बिल 3 से 4 हजार रुपये के निकालकर फिर से थमा दिए हैं और अनुसूचित जाति बस्तियों की पूरी लाइट काट दी गई है यह जो लाइटें कट गई हैं उन्हें फिर से जोड़ा जाये उनकी लाइटें चालू कराई जायें.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत क्यामपुर में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्रीजी आये और उनके गुरुजी भी वहां थे वे गुरुजी के दर्शन करने ही आये थे हमें बहुत अच्छा लगा हमने उनका स्वागत भी किया उन्होंने हमें वहां सौगात देने की जो घोषणा की. मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वह सौगात उस सुवासरा विधान सभा क्षेत्र को मिलेगी. स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों का अभाव है, लेडी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हैं उसके लिए भी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है. रात्रिकालीन ड्यूटी में एक भी डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध नहीं होता है इसके कारण आज मृत्युदर बढ़ रही है. हमारे यहां दो मौतें स्वाइन फ्लू से हो गई हैं एक गुराटक में और एक अजयपुर में सिर्फ इस कारण की रात को डॉक्टर वहां पर नहीं मिले. सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के माध्यम से जो नि:शुल्क दवाइयां वितरित की जा रही हैं उसमें मंदसौर जिले में जो दवाइयां खरीदी गईं हैं उसमें एक्सपायरी डेट के तीन महीने पहले की दवाई हास्पिटल में खरीद ली जाती है. आपने बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (बिजावर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हूँ. सरकार की उपलब्धियों के विशद् वर्णन और आगामी योजनाओं में प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की झांकी देखकर सरकार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को सरकार ने प्राथमिकता पर रखा है यह निश्चित रुप से प्रशंसा का विषय है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा गारंटी के दृष्टिकोण से 18 स्वास्थ्य

सेवाओं को सम्मिलित किया गया है यह सराहनीय प्रयास है. इस वर्ष से लागू होने वाली स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना से प्रदेश के आम जनमानस को निश्चित रुप से लाभ होगा इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ. प्रदेश ही नहीं अपना देश भी चिकित्सकों की कमी का सामना कर रहा है हम सब यह बार-बार देखते हैं कि तमाम तरह की सुविधाएं हैं, दवाएं हैं, अस्पताल हैं लेकिन यदि डाक्टर कम हैं तो यह सारी सुविधाएं निरर्थक हो जाती हैं. इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो डॉक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाकर तैयार करने की दिशा में मध्यप्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे प्रशंसनीय हैं. सरकार का यह फैसला कि शहडोल, रतलाम और विदिशा में मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे, इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ. भारत सरकार के सहयोग से 7 नये मेडिकल कॉलेजेस खोलने का जो तय किया गया है इसके लिए भी सरकार की जन हितैषी योजना के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. हमारा बुंदेलखंड एक पिछड़ा क्षेत्र है और मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से वहाँ छतरपुर में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता मैं महसूस करता हूँ. छतरपुर के चारों ओर औसतन दो सौ किलोमीटर दूर तक कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है. हालांकि चारों तरफ रीवा में, ग्वालियर में, जबलपुर और सागर में मेडिकल कॉलेजेस हैं लेकिन वह 200 से 250 किलोमीटर की औसतन दूरी पर हैं. वहाँ मरीजों का लगभग प्रतिदिन ओ पी डी में आगमन एक हजार से ज्यादा मरीजों का है. ऐसे में छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की जरूरत महसूस होती है. इस ओर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का, जो कि हमारे जिले के पालक मंत्री भी हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. वर्तमान में छतरपुर में जन आँदोलन के रूप में इस मांग का धीरे-धीरे परनपना शुरू हुआ है और इस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी छतरपुर में जो इस तरह की मांग उठ रही है उसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का क्षेत्र प्राथमिकता की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता में सरकार ने लिया है. यह भी एक प्रशंसनीय कदम है. शैक्षणिक गुणवत्ता वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाने की

सरकार की योजना का मैं सम्मान करता हूँ. छोटी बसाहटों तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ पहुँच रही हैं. यह उपलब्धि भी सरकार के लिए बहुत अच्छी है और शत प्रतिशत यहाँ तक उपलब्धता पहुँचाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ. प्रदेश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय बनवाने की जो योजना है उसको इस साल तक पूरा करने की जो सरकार ने घोषणा की है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है. मैं यह बताना चाहता हूँ कि निर्मल भारत अभियान के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से जो शौचालय हम अपने प्रदेश में बनवा रहे हैं उनका लाभ तभी होगा जब उन शौचालयों का उपयोग करना हम शुरू करें. हम देखते हैं कि ग्रामीणजनों में शौचालय तो खूब बनाए गए हैं लेकिन उनमें उपयोग करने की मानसिकता अभी हमारे किसान भाइयों में और ग्रामीणजनों में विकसित नहीं हुई है इसलिए मैं इस विशेष अभियान को गौर से देखते हुए यह कहना चाहता हूँ कि यदि स्कूलों में शौचालय बनाकर बच्चों में शौचालय जाने का अभ्यास डाला जाएगा तो यह निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा.

समय 4.27 बजे (सभापति महोदय(श्री रामनिवास रावत)पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, विद्यालयों का जो उन्नयन हुआ है इसके दृष्टिकोण से छतरपुर जिले को लाभ हुआ है, खास कर बिजावर विधान सभा को लाभ हुआ है. 50 हायर सेकंडरी स्कूल और 100 हाई स्कूल का उन्नयन जो हुआ है इससे निश्चित रूप से हमारे जिले को और बिजावर विधान सभा क्षेत्र को लाभ हुआ है. 7 अभी और हायर सेकंडरी स्कूल और 25 हाई स्कूल की हमें जरूरत है. आने वाले दिनों में सरकार उनको पूरा करेगी, ऐसा मुझे लगता है, इसके लिए मैं आशा भरी नजरों से सरकार की ओर देखता हूँ. खेती किसानी को सुविधाजनक वातावरण मिल रहा है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है.15 हजार करोड़ ऋण, कृषि ऋण के वितरण की व्यवस्था सरकार ने की है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ. नई तकनीक के माध्यम से खेती किसानी का लोगों तक ज्ञान पहुँचे इसके लिए मुख्यमंत्री खेत तीर्थ दर्शन योजना जो बनाई गई है वह निश्चित रूप से कारगर हो रही है और उसका लाभ भी हमें मिल रहा है. सभापति महोदय, जैविक खेती में

मध्यप्रदेश का हिस्सा सर्वोत्कृष्ट है और जैविक खेती में मध्यप्रदेश 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सबसे अग्रणी है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ. सरकार ने जो बिजली के बिलों में एक निश्चित मानक तय किए हैं प्रति हार्स पावर...

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ नरोत्तम मिश्र)-- सभापति जी, आप यहाँ बैठकर काफी सुन्दर लगते हैं. सुदर्शन चेहरा लगता है. इस पर कुछ विचार करें.

सभापति महोदय-- बैठा ही हूँ.

श्री बाला बच्चन-- सभापति जी, इसी पर विचार करना पड़ेगा आगे कि आपने जो बोला इस पर विचार करना पड़ेगा. विचार करने की बात यह है कि जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने आसंदी पर बैठे....

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- बाला भाई, उप नेताओं का इतिहास रहा है.यहाँ जो जो उप नेता रहता है आप अपने पीछे जाएँगे तो आप...

श्री बाला बच्चन-- उसको हम बदल देंगे. हम उन उप नेताओं के इतिहास को बदल देंगे.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक-- माननीय सभापति महोदय, बिजली बिल के लिए किसानों को जो राहत दी गई है निश्चित रूप से सरकार उसमें प्रशंसा के योग्य है. मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत डेढ़ करोड़ के लगभग खाते खुलना भी एक उल्लेखनीय कदम है और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि 2003 में जब सरकार ने अपना कार्यभार संभाला तब से लेकर 2013-14 तक सकल घरेलू उत्पाद 4 गुना हुआ है यह निश्चित रूप से प्रशंसा का विषय है और पूरे मध्यप्रदेश में इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, शिवराज जी की सरकार को, बार बार जनादेश देकर आशीर्वाद दिया इसके लिए मैं जनता के प्रति और सरकार के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ. धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र पटेल(इछावर)--- सभापति महोदय, **"कथनी और करनी में इनकी धरा गगन-सा अंतर है, प्रगति चक्र कागज के पहियों पर बढ़ रहा निरन्तर है."** माननीय सदस्या श्रीमती अर्चना

चिटनीस जी ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव रखा है . प्रदेश सरकार के इस अभिभाषण के पक्ष में अनेकों बातें कही गई हैं, मैं इन बातों से संतुष्ट नहीं हूं. प्रदेश की हालत अभिभाषण से उलट है. मैं बिंदुवार अपनी बात रखना चाहता हूं . अभिभाषण के बिंदु क्रमांक तीन में यह बात कही गई है कि राज्य की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है लेकिन हालत ऐसे हैं कि मध्यप्रदेश सरकार का खजाना खाली है, मध्यप्रदेश सरकार पर लगभग 96 हजार 163.87 करोड़ रुपये का कर्ज है जबकि 2013 की स्थिति में सरकार पर 77 हजार 413.87 करोड़ का कर्ज था ऐसे में मात्र एक साल में सरकार पर 18 हजार 749. 77 करोड़ का कर्ज बढ़ गया है . सरकार इसी वित्तीय वर्ष में बाजार से 6150 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है जो मार्च तक 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है. मध्यप्रदेश सरकार अपना दैनिक खर्च चलाने के लिए माह फरवरी में फिर बाजार से डेढ़ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने जा रही है , ऐसा पता चला है .

मध्यप्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 14 हजार रुपये का कर्ज है यह प्रदेश की जनता का हाल है और देश में जो आर्थिक स्थिति है उसका हाल है. सरकार के पास अनुपयोगी खर्चों की कटौती के लिए अभी तक कोई प्लान इस सदन में या कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है. हालत यह है कि सड़कें बनाने और आधारभूत ढांचे से संबंधित सारे काम ठप्प पड़े हुए हैं. वित्तीय कुप्रबंधन के चलते मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी खऱीदी पर रोक लगा रखी है . हालत यह है कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के अलावा सभी भुगतानों पर रोक लगा रखी है औऱ पिछले माह दिसंबर-जनवरी में तो तनख्वाह देने में भी दिक्कत आ गई थी,वह तनख्वाह भी कर्मचारियों को देरी से प्राप्त हुई थी यह हमारे प्रदेश के वित्तीय हालत हैं, जिसको संतोषजनक कहा गया है उसके उलट यह सरकारी आंकड़े हैं. दूसरी ओर जो कैग की रिपोर्ट है वह कुछ और कहती है. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने मध्यप्रदेश सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन एवं कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताते हुए सरकारी मशीनरी की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं. मध्यप्रदेश सरकार के पास करीब 28 हजार करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं है यह राशि जिन विभागों को जारी की गई थी उनके द्वारा अभी तक उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए गए हैं. कैग की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-13 में बताया गया है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी 38623 करोड़ रुपयों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो सका है. नतीजन इन कामों के लिए सरकार द्वारा आवंटित किए गए 28240 करोड़ रुपये के खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो सका है यह राशि कुल बजट की 28 प्रतिशत थी.

खर्च का हिसाब नहीं देने के मामले मध्यप्रदेश सरकार के उपक्रमों में स्वशायी निकाय सबसे आगे है. इन्हें बजट के अलावा भारी-भरकम राशि अनुदान के रूप में आवंटित की जाती है लेकिन हिसाब देने के मामले में यह सबसे ज्यादा फिसड्डी हैं जिससे सरकार के लिए यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि राशि खर्च हुई है या नहीं हुई है.

सभापति महोदय, मैं किसान हूं, किसानों के बारे बात जरूर रखना चाहता हूं किसान की स्थिति इस प्रदेश में बहुत दयनीय है . हमारे कृषि प्रधान देश का किसान हमारा अन्नदाता है , हमारा अन्नदाता किन स्थितियों और परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. प्रदेश का औसत किसान गरीब है, अभावों से जूझता है .अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले मुख्यमंत्री के राज में किसानों के साथ लगातार धोखा-धड़ी और छल-कपट हो रहा है . पिछले तीन सालों में प्रदेश में लगभग 1523 किसानों ने कर्ज के बोझ से तंग आकर मजबूरी में आत्महत्या की हैं . इस हिसाब से रोजाना 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और प्रदेश के मुखिया को इस ओर कोई सुध नहीं है. हाल ही में पाला-ओले आदि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है . प्राकृतिक आपदा किसानों पर बर्बादी का कहर बनकर टूटी है. मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि किसानों को नुकसान से अधिक मुआवजा दिया जाएगा लेकिन अभी तक न तो किसानों को मुआवजा दिया और न ही किसानों की फसल का सर्वे सही तरीके से हुआ है. पिछले सालों का कुछ खराब अनुभव हम हमारे सामने है जहां किसानों को फसल नुकसानी के 100-100 रुपये के चेक तक दिये गये थे और कई जगह तो यह चेक किसानों ने वापस कर दिये थे. किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ अभी भी सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा है. इस सरकार के राज में किसानों को न कर्ज से मुक्ति मिली है, न ही फसल बीमा का का पूरा लाभ मिला है. किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेना छलावा ही साबित हो रहा है. बार बार कहा जाता है कि किसानों के बिजली चोरी के असत्य मुकदमें वापस लिये जाएंगे तथा उनके बिजली के बिल माफ किये जाएंगे परन्तु न तो किसानों के मुकदमें वापस हुए हैं, न उनके बिल माफ हुए हैं. आत्म हत्या करने वाले किसानों के आश्रित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाने की बातें तो बहुत की गयीं लेकिन इस दिशा में

अभी तक कोई भी कदम नहीं बढ़ाया गया है. मध्यप्रदेश सरकार की ओर से अभी तक नकली, खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही अभी तक सामने नहीं आयी है. पिछले तीन वर्षों में मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर के बारे में बहुत सारी बातें की गयी हैं पिछले तीन सालों में मध्यप्रदेश को देश के कृषि मानचित्र पर तेजी से उभरता हुआ प्रदेश दिखाया गया है. राज्य की कृषि विकास दर पिछले दो सालों में 18 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी बतायी गयी है. मध्यप्रदेश सरकार तो पिछले वर्ष कृषि विकास की दर में 24 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि का दावा कर रही है लेकिन हाल ही में योजना आयोग के नये आंकलन में मध्यप्रदेश सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है.प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ में 4.2 प्रतिशत की कमी और कृषि उत्पादन में लगभग 23 प्रतिशत की गिरावट आंकी गयी है. पिछले 2 वर्षों में बारिश और ओले पड़ने से फसलों को भी नुकसान हुआ है. मौसम भी सामान्य रहा है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र से ओले पाले और अतिवृष्ट से खराब फसलों के लिए अनुदान की मांग भी बराबर की जाती रही है लेकिन न तो सरकार द्वारा मांगा गया अनुदान को केन्द्र सरकार से अभी तक किसानों के लिए मिला, न उनके नुकसान का मुआवजा अभी तक सही तरीके से प्राप्त हुआ है. प्रदेश की मुख्य फसल सोयाबीन खतरे में है.प्रदेश का सोया स्टेट होने का दर्जा छीना जा चुका है. प्रदेश की खरीफ की फसल की बुवाई का इलाका लगातार घटता जा रहा है और किसानों का प्रति एकड़ उत्पादन भी कम होता जा रहा है.

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में खाद, बीज और यूरिया की भारी कमी है.प्रदेश में किसानों की उनकी पैदावार का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है. पिछले साल जो धान की कीमत 4200 रुपये प्रति क्विंटल थी अब मात्र 1800 रुपये क्विंटल में किसान मजबूरी में अपनी फसल बेच रहा है. प्रदेश में बिजली की कमी के बारे में रोज नयी नयी खबरें आप सभी को पता हैं. ऐसे में यदि सरकार मध्यप्रदेश को कृषि के मामले में देश में नम्बर एक होने का प्रचार कर रही है तो यह किसानों को मुंह पर तमाचा है . प्रदेश का औसत किसान परेशान है और कर्ज में डूबा हुआ है.

माननीय सभापति महोदय, अब मैं युवा हूँ, रोजगार के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार तथा प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आने वाली इस सरकार ने नौजवानों के विश्वास को छला है. पिछले 11 सालों में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है. सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रकिया रुकी हुई है. एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के आरक्षित हजारों पद रिक्त पड़े हैं और बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं. स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार देने के उपाय में भी भाजपा असफल रही है. इन्फार्मेंशन टेक्नालाजी में पूरे देश में युवाओं को रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है परन्तु राज्य की भाजपा सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.प्रदेश के रोजगार केन्द्र में प्रतिवर्ष बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ रही है. मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में युवाओं से मामा का रिश्ता जोड़े हुए हैं और कई जगहों पर अपने भांजे भांजी और बेटे बेटियों को रोजगार और उद्योग लगाकर टाटा अम्बानी बनाने का सपना दिखाते हैं. मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए खाना पूर्ति के नाम पर दो दो योजनाएँ अभी बनायी हैं . पहली है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और दूसरी है युवा उद्यमी योजना. मुख्यमंत्री जी लम्बे चौड़े भाषण देते हैं कि मेरे बेटे बेटियों अपने रोजगार लगाओ, गारंटी की चिन्ता मत करो, गारंटी मामा देगा, इन जबानी जमाखर्च की जमीनी हकीकत यह है कि मध्यप्रदेश की युवा उद्यमी योजना के बैंकों ने केवल 12 प्रतिशत ही प्रकरण मंजूर किये हैं और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का तो इससे भी बुरा हाल है. मुख्यमंत्री द्वारा गारंटी लेने की दुहाई में भी कई पेंच फंसे हुए हैं . गारंटी के नाम पर प्रदेश सरकार भारत सरकार की संस्था क्रेडिट गांरटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इन्टरप्राइजेज सी सीजीटीएमएसआई का हवाला दे रही है, यह संस्था तो एक इन्श्योरेंस संस्था जैसी है जिसमें प्रीमियम भरने के बाद प्रोजेक्ट शुरु की बात कही जाती है. प्रदेश का नौजवान लम्बी कागजी कार्यवाही और बैंकों के चक्कर में उलझा पड़ा है. मैं मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूँ, मैं भी उन्हीं के जिले से

आता हूँ कि उन्होंने अपने गृह जिले सीहोर में कितने लोगों को टाटा अम्बानी बनाने के लिए रोजगार मुहैया कराया है और कितने बेरोजगार नौजवानों को पिछले 3 साल में नौकरी दी है.

राज्य मंत्री, श्री लाल सिंह आर्य -- माननीय सभापति महोदय, इसे पढ़ा हुआ मान लें.

श्री शैलेन्द्र पटेल -- कल जब प्रश्न का जवाब दे रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे. पहले अपना भी देख लें, फिर दूसरे के बारे में बात करें.

सभापति महोदय -- शैलेन्द्र पटेल जी, जल्दी समाप्त करें.

श्री शैलेन्द्र पटेल -- मैं अंत में यह बात कहना चाहता हूँ कि जब भी व्यापम की बात होती है तो कहा जाता है कि उचित फोरम से बोलें. 2-3 बातें उसके बारे में मैं रखना चाहता हूँ और अपनी बात समाप्त कर दूंगा. व्यापम की जो जांच हो रही है, उसमें लगातार तरह-तरह की बात आई है, अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने एस.आई.टी. को..

श्री लाल सिंह आर्य -- पटेल साहब हाकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं लेकिन माननीय सभापति महोदय, अभी तक खेल पर कुछ भी नहीं बोले.

श्री शैलेन्द्र पटेल -- रूक जाईये, मौका कम है. वह भी रखा हुआ था. मैं सेठ नहीं किसान हूँ. आप आइये मेरे खेत में कभी देखिए कैसी किसानी करता हूँ. अंत में इस सेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ-

अगर मुजरिम बना है, हाकिम कहेगा वह यही सबसे

लुटेरे यार सब मेरे, मैं किस-किस को सजा लिखूँ

श्री के.के. श्रीवास्तव (टीकमगढ़) -- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ. साथ ही धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सरकार के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को जिन्होंने कल्याणकारी संवेदनशील सरकार चलाकर इस बीमारू प्रदेश को विकसित करने की श्रृंखला में ला खड़ा किया है. माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के मन में बहुत कुछ इस प्रदेश के लिए कर गुजरने की तमन्ना है.

इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है,

नाव छोटी ही सही लहरों से टकराती तो है,

एक चिन्गारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों,

इस दीए में तेल से भीगी बाती तो है.

माननीय सभापति महोदय, अगर हम वर्ष 2003-04 की स्थिति का आंकलन करें तो यह प्रदेश अंधेर नगरी, चौपट राजा की स्थिति में था. वर्ष 2004 के पहले अंधेरा कायम रहा और वह आज समय चला गया. 2003 और 2004 की दुरावस्था के लिए जो जिम्मेदार थे, आज किस परिस्थिति में पहुँच गए, किस दुर्गति को प्राप्त हो गए, यह कहने की बात नहीं है. माननीय अटल बिहारी वाजपेई जी की वह दो पंक्तियां, वह सद्वाक्य " अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा" और वह परिस्थितियां मध्यप्रदेश के अंदर आई हैं और आज मध्यप्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है. प्रदेश में संचालित होने वाली इतनी सारी योजनाएं, चाहे बात कृषक कल्याण की हो, चाहे बात महिला सशक्तिकरण की हो, चाहे सिंचाई योजनाओं की बात हो, चाहे 24 घंटे बिजली देने की बात हो, ग्रामीण अथवा शहरी विकास हो, शैक्षणिक उन्नयन हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो अथवा पेयजल का समाधान हो, माननीय सभापति महोदय, हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश की सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है, योजनाएं बनाई है, बजट दिया है, तब भी राज्य की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है, यह कहने में कदापि संकोच नहीं है और कभी ओव्हरड्राफ्ट लेने की भी मध्यप्रदेश सरकार को जरूरत नहीं पड़ी. यह सरकार का केवल कुशल वित्तीय प्रबंधन नहीं है, प्रदेश की सरकार का गुड गवर्नेंस है.

श्री बाला बच्चन -- श्रीवास्तव जी, 11000 करोड़ रुपये का ओव्हरड्राफ्ट है.

श्री के.के. श्रीवास्तव -- माननीय सभापति महोदय, उपनेता जी अभी आपके बारे में टिप्पणी हो रही थी. अभी लोग कह रहे थे कि अपना पिछला इतिहास देखें, क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्यों अपने पीछे पड़े हो. माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2003 और 2004 में मध्यप्रदेश का सकल

घरेलू उत्पाद जहां लगभग 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपये का था, वह आज 4 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है. यह किसान हितैषी सरकार है, ओला हो, पाला हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, हर समय किसानों के दु:ख-दर्द में सम्मिलित होने वाली यह सरकार है. इस वर्ष भी प्रदेश की सरकार ने 15000 करोड़ रुपये के फसल ऋण दिए. सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र की विकास दर 24.99 प्रतिशत होना आश्चर्यजनक है. किन्तु यह सत्य है, यह भी सब स्वीकार करते हैं. प्रदेश की सफल कृषि नीति के कारण प्रदेश को एक बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार 'कृषि कर्मण अवार्ड' प्राप्त हुआ है. हमारे प्रतिपक्ष के साथीगण पिछले समय में कह रहे थे, ऐसे वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, मुझे कहने में बड़ा कष्ट होता है, ऐसे सदस्य कह रहे थे कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कौन-सा हल और बक्खर चलाते हैं जिसके कारण कृषि कर्मण अवार्ड उन्हें मिला है. सभापति महोदय, (XX), मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री हल और बक्खर नहीं चलाता, लेकिन हल बक्खर चलाने वाले उन किसानों को सुविधाएं देता है. सिंचाई के साधन देता है, 24 घंटे बिजली देता है, उन्नत खाद और बीज की व्यवस्था करता है, उनको अच्छे कृषि यंत्र मिल सकें, इसके लिए अनुदान करता है...

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

(व्यवधान)..

डॉ. रामकिशोर दोगने - 10 घंटे बिजली मिल रही है और आप 24 घंटे की बात कर रहे हो?

श्री के.के. श्रीवास्तव - यह असत्य बोलकर ही तो आपकी दुर्गति हुई है.

डॉ. रामकिशोर दोगने - सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है कि रामलीला के पात्र हैं.

(व्यवधान)..

सभापति महोदय - कृपया आप जल्दी समाप्त करें.

श्री के.के. श्रीवास्तव - सभापति महोदय, जीरो प्रतिशत पर ब्याज देता है और जब फसल आ जाय तो उसके उत्पादन पर उसे प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन मूल्य पर बोनस भी देता है, जिससे कृषि विकास दर में वृद्धि होती है और कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होता है.

श्री सुखेन्द्र सिंह - बोनस बंद हो गया है. आपको मालूम नहीं है. (व्यवधान)...मनमोहन सिंह जी थे तब बोनस मिल रहा था.(व्यवधान)..

श्री के.के. श्रीवास्तव - सभापति महोदय, भले ही बोनस बंद हो जाय, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रदेश की सरकार किसी न किसी रूप में किसानों की मदद करने के लिए कहीं न कहीं सदैव तत्पर रहती है और उनकी चिंता होगी. सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि और बिजली की उपलब्धता के कारण प्रदेश में खेती का रकबा बढ़ा है. प्रदेश में पशु संवर्द्धन संरक्षण की दिशा में भी काम हुआ है. सभापति महोदय, आज प्रदेश में सिंचाई का रकबा वर्ष 2003-04 का देखते हैं तो मात्र 8 लाख हेक्टेयर ही था. आज वह बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हो गया है. इसको आगामी वर्ष में 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का जिम्मा प्रदेश की सरकार ने लिया है. प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर भी काम हो रहा है. उसका पूरा दोहन किये जाने की योजना बनी है. बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में प्रदेश की सरकार ने अभूतपूर्व उन्नति की है. सड़कों के निर्माण के सारे रिकॉर्ड प्रदेश ने तोड़े हैं. वर्ष 2003 तक मध्यप्रदेश में मात्र 46000 कि.मी. सड़कें थीं, जिसमें राजे-रजवाड़ों के समय की, मुगलकालीन, नवाबों के समय की और अंग्रेजों के समय की निर्मित सड़कें भी थीं. लेकिन अब पिछले 10-11 वर्षों में 1 लाख 10 हजार कि.मी. से भी ज्यादा सड़कें मध्यप्रदेश में निर्मित की जा चुकी है.

सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेकर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है. मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है. 3 मेडिकल कॉलेज की चर्चा यहां पर हुई है. 7 नये मेडिकल कॉलेज, केन्द्र सरकार के द्वारा जिनकी अनुमति प्राप्त हुई है, उनके खोलने की भी बात हुई है. हमारे साथियों ने भी उनमें से बुन्देलखण्ड में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात की है. मैं छतरपुर वालों को भी निवेदन करता हूं कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी हो गई है, टीकमगढ़ में वह

मेडिकल कॉलेज आ जाए तो मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि टीकमगढ़ की भी चिंता हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा. चिकित्सा यूनिट खोले जा रहे हैं. राज्य बीमारी सहायता निधि, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की व्यवस्था की है.

सभापति महोदय -- अब आप समाप्त करें.

श्री के के श्रीवास्तव -- सभापति महोदय मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं. प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है सांप्रदायिक सौहार्द्र बना है . लोक सभा के चुनाव नगरीय निकाय के चुनाव एक दो अपवाद को छोड़कर निर्विघ्न और शांतिपूर्ण रूप में संपन्न हो गये हैं. उपलब्धियां बहुत हैं सरकार का एक विजन है, एक विषय है लेकिन समयाभाव के कारण विनम्र विनती के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं. मध्यप्रदेश के राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केन्द्र की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में नर सेवा और नारायण सेवा के मूल मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरे पराक्रम के साथ विघ्न और बाधाओं को कुचलते हुए जायें. पहाड़ कब किसी के सहारे का एहसान लेते हैं, अरे वह तो उसी को कर गुजरते हैं जिसे वह ठान लेते हैं. धन्यवाद.

श्री जयवर्द्धन सिंह (राघौगढ़) -- माननीय सभापति महोदय इस वर्ष के राज्यपाल जी के अभिभाषण में आंकड़े बहुत दिये गये हैं लेकिन अभिभाषण की जो दृष्टि होना चाहिए, आने वाले समय के लिए योजनाएं आना चाहिए थीं वह इसमें नहीं हैं. इसलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं.

बहुत सारे कृषि से संबंधित आंकड़े अभिभाषण में दिये गये हैं. वास्तव में यह स्थिति है, जिस तरह से किसान परेशान है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है. इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हमें ज्यादा ध्यान पशु पालन पर देना चाहिए, खासकर डेयरी पर. पिछले साल में जो परचेसिंग रेट होती थी पहले 5.7 पर केजी की थी वह कुछ समय से कम हो गई है मैं मानता हूं कि वास्तव में यह बढ़ना चाहिए. इसके साथ साथ एक रूपये का बोनस भी प्रति केजी किसानों को मिलना चाहिए ताकि उससे उसे प्रोत्साहन और लाभ मिल सकता है. उसके साथ साथ चिकन फार्मिंग और मत्स्य पालन पर भी ध्यान देना चाहिए. मैंने मत्स्य पालन में रिसर्च भी किया है. जहां

पर फसलें अच्छी नहीं आ रही हैं वहां पर अगर किसान मत्स्य पालन का काम करते हैं तो वहां उसे 200 से 300 प्रतिशत का लाभ मिल सकता है.

इसके साथ साथ अभिभाषण में लिखा है कि मध्यप्रदेश में पावर सरप्लस में है. किसानों को 10 घंटे बिजली मिल रही है लेकिन वास्तव में अभी 6 घंटे से भी कम सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है. मैं मानता हूं और मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ माह पहले पूरे प्रदेश में कृषि महोत्सव मनाया गया था और कृषि महोत्सव में मेरे विधान सभा में जो भी पैसा खर्च हुआ था, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे गावों में किसानों पर डीपी का बहुत बड़ा कर्जा है अगर यह ही कृषि महोत्सव का पैसा अगर आप डीपी के ऋण को चुकाने के लिए इस्तेमाल कर लेते तो हम सब मिलकर कृषि महोत्सव मनाते क्योंकि आज बहुत सारे किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं. उन पर डीपी का बहुत सारा ऋण बकाया है वे उससे काफी परेशान भी हैं.

इसके साथ साथ पेंशन की बहुत बड़ी समस्या है. कई जिले और तहसीलें हैं जहां पर 8 माह से उनको पेंशन नहीं मिली हैं. कुछ माह पहले मैंने पता लगाया था और मेरा एक मित्र है जो कि यूएन में काम करता है उनका कहना था कि मध्यप्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है एसएसएसएम (समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन) मैंने इस पर अध्ययन किया है तो पता चला कि तहसील स्तर पर हर व्यक्ति का कम्पयूटराइज्ड डाटा उपलब्ध होने वाला है. अभी हम जब भी कलेक्टर के पास जाते हैं या तहसील में जाते हैं तहसीलदार कहता है कि अभी भी वह सूचना तैयार हो रही है, कोई कहता है कि अब पूरी पेंशन कलेक्टरेट ही तय कर रहा है, किसी का कहना है कि डाटा में कमी आ रही है. इसी कारण से आज प्रदेश में जो लोग विकलांग हैं जो विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है. इस पर हमें प्रयास करना चाहिए कि इसमें जल्दी सुधार हो.

मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश के लिए मानव संसाधन सबसे बड़ी संपत्ति है. मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने अभिभाषण को 2 - 3 बार पढ़ा. शायद मैं गलत हूं तो मुझे सुधार देना, पूरे भाषण में एक जगह भी ड्रग्स के बारे में, पूरे बजट में एक जगह भी ड्रग्स के बारे में, स्मैक के बारे में कहीं भी

उल्लेख नहीं है. मैं मानता हूं कि आज युवाओं के साथ जो आज भी वर्किंग पापुलेशन है जो पूरे प्रदेश का कार्यबल है , अभिभाषण में कहीं भी ड्रग्स का उल्लेख नहीं है. मैं मानता हूं कि ड्रग्स और स्मैक, दारू और शराब यह सभी युवाओं के लिये दुश्मन है. सबसे बडे विरोधी है अगर हमें इसमें सुधार लाना है तो हमारी पुलिस फोर्स को इस पर ध्यान देना पडेगा. जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग ड्रग्स, स्मैक का सेवन करते हैं उनका भविष्य तो वैसे ही खराब हो गया है, मगर जो इसके असली अपराधी वह हैं जो ड्रग्स और स्मैक को बैचते हैं और वही समस्या है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, हर जिले के हर थाने की पुलिस फोर्स को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये.

सभापति महोदय, मानव संसाधन के लिये स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये जो बुनियादी सुविधायें हैं उसमें बहुत सारी कमी है. इनको दूर किया जाना चाहिये. स्वास्थ्य की तरफ अगर हम देखें तो स्वाईन फ्लू फैल रहा है उसमें जो प्रारंभिक व्यवस्थायें सरकार की तरफ से होना चाहिये थीं, वह नहीं हुई. सबसे पहले प्रकाशन, डायग्नोसेस, मेडिकेशन आपरेशन होता है मगर अगर हम प्रकाशन पर पहले से ध्यान देते तो स्वाईन फ्लू की बीमारी ऐसे नहीं पूरे प्रदेश में और लोग नहीं मरते, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये. आज कल हर ब्लाक में मांग है कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोनोग्राफी मशीन होना चाहिये. मुझे बताया गया था कि इसके लिये पैसा तो काफी है लेकिन जो डॉक्टर सोनोग्राफी मशीन का उपयोग करना जानते हैं उनकी भारी कमी है, तो सरकार को इस कमी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिये. ताकि प्रत्येक ब्लाक पर सोनोग्राफी मशीन उपयोग हेतु डॉक्टर उपलब्ध हो.

सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी पढ़ा था कि यह वर्ष शैक्षणिक गुणवत्ता का वर्ष रहेगा, मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मैंने विधानसभा में अपने पिछले भाषण में यही मांग की थी कि हमको शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिये. मगर मुझे काफी

डाउट है कि जो वस्तुस्थिति है आज भी हर जिले और ब्लाक में काफी शिक्षकों की कमी है. बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि स्टूडेंट और टीचर की जो रेश्यो होनी चाहिये वह नहीं है, उसके साथ साथ जो अध्यापक समान वेतन की मांग कर रहे हैं वह भी उनको नहीं मिल पाया है, प्रदेश में जो भी एक्सीलेंस स्कूल है वहां पर शिक्षक इसलिये नहीं आते क्योंकि उनको वेतन अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा वेतन नहीं मिलने के कारण वे शिक्षक शाम को ट्यूशन लेते हैं. मै मानता हूं कि इसमें भी सुधार तभी संभव है जब हम शिक्षकों का वेतन बढ़ायेंगे.

सभापति महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कोई समस्या है तो वह व्यापम घोटाले की है . इसमें सरकार को जल्दी से जल्दी जांच करनी चाहिये क्योकि आज मानव संसाधन के साथ में सबसे बड़ा अन्याय हुआ है तो व्यापम घोटाले के द्वारा हुआ है और जब तक इस मामले की ठीक तरह से जांच नहीं होगी, जो इसके असली गुनाहगार हैं जब तक वह जेल में नहीं जायेंगे तब तक हम प्रदेश का मानव संसाधन नहीं सुधार सकते हैं . इस पर कार्यवाही होनी चाहिये. सभापति जी आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद.

सभापति महोदय - विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार दिनाँक 24 फरवरी , 2015 के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

सायं 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 24 फरवरी, 2015 (5, फाल्गुन शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा

भोपाल,
दिनांक : 23 फरवरी,2015.